



प्रश्नोत्तरमाला

# क्षतिकृत्यों का कानून

( THE LAW OF TORTS )

[ नवीनतम् अधिकृत निर्णयों से समन्वित सरल व्याख्या ]

सेन्ट्रल ला एजेन्सी  
यूनियसिटी रोड  
इलाहाबाद

प्रकाशक  
सेट्रल ला प्जेस्टो  
यूनिवर्सिटी रोड  
इसाहायाद

---

मर्यादिकार प्रकाशक के आधीन

---

मुद्रक —  
योगमत प्रेस  
बीरो रोड,  
इसाहायाद

## अनुक्रमणिका

चौधाय	विषय	पृष्ठ
१—सामान्य पिदारत (General Principles) ✓		१
२—क्षतिहृत्या का वर्णन और उनके प्रति उपाय (Classification of torts and Remedies) ✓		५०
३—शरीर के प्रति क्षतिहृत्य (Wrongs to person)		५८
४—मानहानि (Defamation) ✓		६६
५—पारावारिक सम्बंधों के प्रति क्षतिहृत्य (Torts to Domestic Relations)		८०
६—स्वतंत्रता व प्राप्तियति पर प्रभाव ढालने वाले क्षतिहृत्य (Wrongs affecting freedom and Status)		८५
७—सम्पत्ति के प्रति क्षतिहृत्य (Torts to property)		९३
८—बाधा (Nuisance) ✓		१०४
९—मसावधानी (Negligence) ✓		११२
१०—संविदा पर आधारित क्षतिहृत्य ( Torts founded on Contracts )		१२५
११—ब्यापार सम्बंधी क्षतिहृत्य (Torts relating to business)		१२८
१२—विविध (Miscellaneous)		१३१



## सामान्य सिद्धान्त

(GENERAL PRINCIPLES)

प्रथम <—‘टाट’ (क्षतिकृत्य) शब्द की परिभाषा लिखिए और उसके विभिन्न तत्वों का चलन बीजिए।

उत्तर परिभाषा—‘टाट’ शब्द की यो पक्षि लेटिन भाषा के ‘टाटम्’ (Tortum) शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ यही परायवाचा शब्द (Wrong) है और हिन्दी परायवाची शब्द ‘क्षतिकृत्य’ है। अग्रेंटी कानून क साहित्य में इस शब्द का प्रयोग सबप्रथम नगमन विधिमालियों ने किया। उनके मतानुसार इस शब्द का अर्थ उस कृत्य से है जिससे कि किसी व्यक्ति विनेप का विधिक धर्ति ‘Legal damage’ पहुँचे और क्षतिकर्ता वो उसकी क्षतिपूर्ति करना पड़े। समाजशास्त्र की बहुत ज्ञान सहित (Encyclopaedia of Social Sciences) में कहा गया है कि टाट-सम्बंधी दायित्व सविदा भ्रगोकरण (Breach of Contract) दायित्व से भिन्न ऐसा दायित्व है जो कानूनी सामाज व्यवहारों का पालन न करने के कारण भाता है और जिसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति देकर हा सकता है। चम्बस के शास्त्राधीन में ‘टाट’ शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है—‘टाट, वह क्षतिपूरण या अनुचित कृत्य है जिसका उदय सविदा को भग करने के कारण न हुआ हा और जिससे पहुँचो क्षति को पूरा करने का एकमात्र उपाय क्षतिपूर्ति देना हो।’

प्रसिद्ध विधिशास्त्री डॉ. मार्डरहिल (Dr Underhill) न ‘टाट’ को परिभाषा देते हुए यहा है कि ‘टाट’ सविदा स पूरातया स्वतंत्र एवा कृत्य है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार (Absolute right) को भग करता है या किसी व्यक्ति के परिमित अधिकार (Qualified right) को भग करके उसका दानि पहुँचाता है अपवा किसी सांबजित अधिकार (Public right) को इस प्रकार अवहनना करता है जिससे कि किसी व्यक्ति विनेप का आम व्यक्तिया की अपेक्षा अधिक धर्ति पहुँचती है और जिसके परिणामस्वरूप वह क्षतिकर्ता (Tortfeasor) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा लाने का अधिकारी हो जाता है।

उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भूमि पर अनाधिकार प्रवृत्ता (Trespass) करे और उछ समय तक उस पर अधिगत्य (Possession) रखने के

बाद बिना हानि पूँछाये जाती वर द तो एसी हितनि म उस घटकि का जिसकी भूमि पर अनाधिकार प्रवेश किया गया उस घटकि पर जिसने अनाधिकार प्रवेश किया टाट के कानून के अन्तर्गत नुआइमा लगाने का अधिकार है ताकि अनाधिकृत प्रवेशकर्ता (Trespasser) ने उनके हस कानूनी अधिकार को कि वह अपनी भूमि पर किसी पोन आन द, भग किया ।

स्मरण रह कि 'टाट' की एक सुनिरचित और व्यापक वरिभावा देना कठिन है । इसका कारण यह है कि इस विषय का कानून भभा विवाम की परिपक्व प्रवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और न कानून की इम गाना का भभी सहिनामरण (Codification) ही हुआ है । इस विषय का गमण कानून इग्नैड के सवलाधारण कानून (Common Law) पर भवताभृत है । भारत म भी अपनी टाट सम्बद्धी माइ विधायक अधिनियम (Legislative enactment) नहीं है । इसलिए भारत में भी कानून को इन दाखा के ब हो गिडा त साझे किय जाते हैं जो इग्नैड म द्रचित हैं । सेविका वरिष्यतियों के अनुमार मारकोम मायातयों का अधिकार है कि व अप्रजी कानून के ऐसे छिडानो का उदाहा वर सबा है जो भारतीय जीवन व रोति खियाज आदि से सत नहीं लाते [ वसविकार प्रति रामश्वर, ए० आई० भार० १९५५ एसाटाराइट ५६४ ]

**उत्तरोषी व्याप्ति—**उत्तरोषी व्याप्ति से यह नलाभीत स्पष्ट है कि 'टाट' अवशा धातिहृत्य किया से पूलनया स्वन त्र ऐसा हृत्य है जो बिसी अस्ति व कानूनी अधिकार को प्रत्यक्ष या परा । इस म नग वर अपेक्षा अवहृतना वर धाति पूँछाये और किसी टाटा पूँछो लाति वा दूरा वरले वा एक माइ कानूनी उपाय कातिहृति देना हो । अठाइ उसमे निम्ननिचित लीन सर्वों का हारा आपाप है—

- (१) प्रतिकारी दारा एक हृत्य का किया जाना जो बिसी गति । को धर्ती का नग वरन के बारए हो शातिपूल न हो गया हा, अर्थात् एक हृत्य कियो यनि । वे अन्तर्गत न किया गया हा, और प्रतिकारी को एकाहृत्य वरा का प्रत्यक्ष या पराने रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त न हो ,
- (२) ऐसे हृत्य ग या । को प्रत्यक्ष या परोग न्न म विधिक धाति पूँछो हा, अर्थात् उद्योगी कानूनी अधिकार को भय किया गया हो अपेक्षा उगाही अवहृतना वर लाति पूँछाया गयो हा, एव
- (३) ऐसे हृत्य दारा पूँछो लाति वा दूरा वरो वा एक माइ कानूना उपाय कातिहृति देना हो ।

## प्रश्न २—पन्तर स्पष्ट कीजिय—

- (अ) क्षतिहृत्य (Tort) और सविदा भगाकरण (Breach of Contract),
- (ब) क्षतिहृत्य (Tort) और अपराध (Crime),
- (स) क्षतिहृत्य (Tort) और प्रायास भगाकरण (Breach of trust)

उत्तर (अ) क्षतिहृत्य (Tort) और सविदा भगीकरण (Breach of Contract) में अन्तर—क्षतिहृत्य और सविदा भगीकरण अलग अलग कोटि के हैं, जिनमें भी तर निम्नलिखित है—

(१) क्षतिहृत्य के मामले में काई व्यक्ति उन कर्ताओं को भग करता है जिन्हें बानून ने प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया है, लेकिन सविदा भगीकरण के मामले में वह उन कर्तव्यों का भग करता है जिन्हें करने या न करने का उसने स्वयं बचत दिया है।

(२) क्षतिहृत्य जनसाधारण के प्रति बानूनी कर्तव्यों का उल्लंघन है लेकिन सविदा भगीकरण में जिस कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है वह एसा कर्तव्य होता है जो विसो निश्चित व्यक्ति विशेष के प्रति है।

(३) क्षतिहृत्य के मामले में अपमर अतिकर्ता के उद्देश्य पर विचार किया जाता है लेकिन सविदा भगीकरण के मामले में सविदा की शर्तों का तोड़ने वाले अति के उद्देश्य पर विचार नहीं किया जाता है।

(४) क्षतिहृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में दी जाती है, लेकिन सविदा भगीकरण के मामले में सविदा की शर्तों का उल्लंघन करनवाला व्यक्ति प्रतिक्रिया को उपकी हानिपूर्ति करने के लिए प्रतिकर (Compensation) के रूप में अधिकतर सविदा के अनुगत निधारित क्षतिपूर्ति देता है।

(५) क्षतिपूर्ति की घटरानि का मापदण्ड क्षतिहृत्य एवं सविदा भगीकरण के मामलों में विभिन्न नियमों के आनंदत निश्चित होता है। क्षतिहृत्य के मामलों में क्षतिपूर्ति की घटरानि मदा पूर्वनिश्चित नहीं होती, जबकि सविदा भगीकरण के मामलों में वह प्राप्त पूर्वनिश्चित होती है।

स्पष्टरण यह कि पदार्थि क्षतिहृत्य और सविदा भगीकरण विभिन्न कोटि के हैं, किंतु भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें एक हो हृत्य का क्षतिहृत्य और सविदा भगीकरण के अलगत रहा जा सकता है। उदाहरणापूर्वक, कोई पिता अपने बीमार पुत्र का लिए विसी शाक्तर की निपुक्ति करता है और डॉक्टर के विसो अधिकारी इसे पुढ़र का मापात पढ़ूच जाता है, तो एसी स्थिति में पिता डॉक्टर

वे विद्व संविदा के आधार पर मुद्रदमा चला सकता है और पुन डाक्टर के अधिकै-  
पूण शृंखला से पहुँचे आपात की क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकृत्य के आधार पर मुद्रदमा  
चला सकता है। [गलडेक्स प्रति स्टगल, एवं ज० सी० पी० ३६१]।

(ब) क्षतिकृत्य (Tort) और अपराध (Crime) में अन्तर—पापुनिक  
यानून के अन्तर्गत क्षतिकृत्य और अपराध में भारी अंतर है जो निम्नलिखित है—

(१) क्षतिकृत्य संवादाधारण के प्रति बानूनी वक्तव्यों का उल्लंघन करने से  
उद्दीप्त होता है, लेकिन अपराध वह गैरकानूनी कृत्य है जो कानून द्वारा इस कारण  
वर्गित है कि वह समाज के लिए प्रत्यक्ष अपेक्षा परोक्ष इस सातक है।

(२) क्षतिकृत्य व्यक्ति विनेप के बानूनी अधिकारों को भग बरता है, लेकिन  
अपराध यामस्तु यथाज के विवरीत गैरकानूनी व मनेतिक कृत्य है।

(३) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिकर्ता ( Tortfeasor ) को क्षतिप्राप्त  
( Aggrieved ) व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देकर मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अपराधी  
व्यक्ति को राज्य दण्डित रखता है।

(४) क्षतिकृत्य का मुद्रदमा चलाना व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है लेकिन  
अपराधी को दण्ड देने के लिए उस पर मुद्रदमा चलाने का उत्तरदायित्व राज्य  
पर है।

(५) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिकर्ता के जो धनराजि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त  
की जाती है वह क्षतिप्राप्त व्यक्ति को मिलती है, लेकिन अपराध के मामले में  
अपराधी का अद्यादण्ड का रूप में जो धनराजि प्राप्त होती है वह राजकीय पोष में  
जाती है।

(६) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति बरना यायप्रधाना का  
का मुद्र उद्देश्य होता है लेकिन अपराध के मामले में यायप्रधाना का मुद्र उद्देश्य  
अपराधी को दण्ड देकर अपराधी को प्रकृति को राखता है।

स्मरण रह कि जो कृत्य अपराध होता है वह अकार क्षतिकृत्य भी होता है।  
उत्तराधार्य, प्राप्तमाला, धनपिकार प्रवेता, तुगानतरकानी व मानहानि प्रादि इसी  
प्रकार के हैं। इन कृत्यों का करनेवाले दोषी व्यक्ति के विट्ठु मुद्रदमा चलाकर  
दीवानी यायानय के क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की दिक्षी प्राप्त की जा सकती है और  
प्रीदारी यायानय के तत्त्वान्वयी का सहकर्ता है।

(७) क्षतिकृत्य ( Tort ) और प्रन्यास भंगीकरण ( Breach of  
Trust ) में अंतर—गाल्मी ( Salmond ) के महानुगार क्षतिकृत्य और प्रन्यास  
भंगीकरण में अन्तर नाना ऐनिहानिर है। क्षतिकृत्य कानून मूलत देशी संघ-

साधारण कानून (English Common Law) का एक भाग है जिसका अधिकोन सर्वसाधारण यायालयों (Common Courts) को प्राप्त या। इसके विपरीत प्रन्यास भगीरहण का दायित्व निर्गेत्र न्याय (Equitable justice) का विषय है जो बेदल चासी यायालयों (Chancery Courts) के अधिकोन में था। विनफोल्ड (Winfield) न क्षतिकृत्य और प्राप्ति भगीरहण में क्षतिपूर्ति के विषय में भी पत्र तर लिया है। उसमें मतानुसार प्राप्ति भगीरहण के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर को धनराशि गवन हुई प्राप्ति सम्पत्ति के मूल्य के बराबर होती है, लेकिन क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति को धनराशि को निर्दित करने के लिए ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है।

**प्रश्न ३—क्या एक ही कृत्य क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगीरहण से हो सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर व्याख्या—**क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगीरहण तीनों भलग अलग कोटि के कृत्य हैं। लेकिन ऐसा भी कृत्य हो सकता है जो एक साथ क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगीरहण तीनों हो। उदाहरणात्, एक व्यक्ति एक मोटरकार खरीदता है और अपने नगर की नगरपालिका (Municipal Board) से यह सविदा करता है कि वह सविदा के अंतर्गत निर्धारित गति से ही नगरपालिका दे क्षेत्र में मोटरकार चलायगा। उस राज्य की दण्ड सहिता में यह प्रविधान भी है कि यदि वोई व्यक्ति असाधानी और तोष गति से मोटरकार चलायेगा तो उस दण्ड दिया जायगा। मान लोजिए कि वह व्यक्ति उक्त सविदा में निर्धारित गति की उपेक्षा कर असाधानी और तोष गति से नगरपालिका दे क्षेत्र में मोटरकार चलाना दे और किसी व्यक्ति की धारण वर देता है तो उसके इस एक कृत्य के लिए उस पर क्षतिकृत्य, अपराध और एविं भगीरहण तीनों प्रकार का दायित्व आ जायगा। क्षतिकृत्य बानुन के अंतर्गत वह पायल व्यक्ति उसके विरुद्ध दीवानी यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा वरेगा, राज्य की सरकार दण्ड-सहिता के प्रविधानों का उन्नलभन करने के अपराध में उसके ऊपर फौजदारी यायालय में मुकदमा चलायगा जार नगरपालिका चस पर इस बात का मुकदमा चलायगा कि चसन सविदा की घटी को तोड़ा है। इस प्रकार एक ही कृत्य में क्षतिकृत्य, अपराध और सविदा भगीरहण तीनों का समन्वय हो सकता है।

स्मरणीय बात यह है कि उपयुक्त कृत्य को वैयक्तिक हृष्टिकोण से देखने पर दीवानों दायित्व और सामाजिक हृष्टिकोण से देखने पर फौजदारी दायित्व दित होता।

है। सालमन्ड (Salmond) का वर्णन है कि दोपासी और कीरदारी शान्तिका एक दूरवे के वेबल्टिव (Alternative) नहीं, बर्त्ति उभयर्थी (Concurrent) है। इष्टेंट में इन्हन वा यह इस घटना है कि इन प्रकार के मामले में दोपो शक्ति पर उस समय हर दोबासी व्यापारिय में शनिवारि प्राप्त वरते के लिए मुख्यमा तही चत्तारा वा सहरा वब तर यि उमक विरुद्ध फीजदारी व्यापारिय में मुख्यमा न चतारा जाय। सेकिन भारत में कानून का यह रख नहीं है। यही शनिवारि व्यक्ति शतिहता के विरुद्ध सोपा दोबासी व्यापारिय में जनिवारि प्राप्त वरते के लिए दावा हर सहरा है और यह प्रहरी नहीं है कि वह पहा फीजदारी व्यापारिय म उसके विरुद्ध मुख्यमा चतारे। उदाहरणाप, नुक्हामरसानी, मान्हानि चोरी आदि के मामलो में फीजदारी घटाते में मुख्यमा चतारे दिन। भारत में दोबासी व्यापारिय में शतिहृत के लिए दावा दिया जाता है।

**प्रश्न ४—शतिहृत्य (Tort) के विभिन्न भेदों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।**

चत्तर शतिहृत्य के भेद—**शापारट्टा** शनिवारि दो प्रकार के होते हैं—  
(१) स्वतं अभियोग शतिहृत्य (Torts actionable per se), अर्थात् ऐसे शतिहृत्य जो स्वयं अभियोग्य (Actionable) हैं और जिनमे शक्ति वो इमारित करते ही आवश्यक नहीं होती एवं (२) ऐसे शतिहृत्य जो स्वतं अभियोग्य नहीं होते और जिनमे शक्ति वो प्रधारित करना चाहरी होता है।

प्रथम प्रकार के शतिहृत्य को समझने के लिए उदाहरणाप मान लोजिए कि आपका कोई मिश उस निवारित दोष से जिनके आप नियामी हैं और आपको मत देने का अधिकार है विधान सभा की सदस्यता के लिए सदा होता है। आप भी मतदान के लिए चाहते हैं। सेकिन मन्त्रालय-अधिकारी आपको मत देने से रोक देता है। चुनाव का परिणाम घोषित होने पर आपको जान होता है कि आपका मिश चुनाव में विवरो हुआ। एको हिति में आपको मतदान अधिकारी द्वारा मत देने से रोक देने पर भी इसी प्रकार की शक्ति नहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति वो आप मत देना चाहते थे वह आपके मत के दिन भी विद्या हो गया। किर भी आप मतदान-अधिकारी के विरुद्ध शतिहृत्य इन्हन के मतदान शतिहृति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके मत देने के कानूनी अधिकार को ना दिया। इस प्रकार का शनिवारि स्वतं अभियोग शतिहृत्यों को कोटि में आपका।

दूसरे प्रकार के शनिवारियों के लिए हम तभी शतिहृति वा दावा हर सकते हैं यद्य हम यह प्रमाणित कर सकें कि अमुक शतिहृत्य से हमें वास्तव में शति पहुँची है।

मानहानिकारक बचन (Slander) इसी प्रकार का क्षतिकृत्य है, क्योंकि बचन द्वारा मानहानि करने वाले व्यक्ति पर हम तभी क्षणिपूति का दावा कर सकते हैं जब हम यह प्रमाणित कर दें कि हमें उसके उस बचन से वास्तविक क्षति पहुँची है। इस कोटि में वास्तविक क्षति (Actual damage) का परिस्थिति म अभियोग्य क्षतिकृत्य रखे जायेंगे।

**प्रश्न ५—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय में जो दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त हैं उनमें आपेक्षनात्मक व्याख्या बीजिए।**

उत्तर क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व का आधार—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय म बड़ा मतभेद है। इस मतनेद को दूर करने के लिए दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त प्रतिनादित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

**प्रथम सिद्धान्त—**यह सिद्धान्त सर फ्रेडरिक पोलाक (Sir Fredrick Pollock) का है। इस सिद्धान्त के मनुमार सभी प्रकार की क्षति जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहुँचाता है और जिसके लिए कोई कानूनी बचाव नहीं है क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के मात्रगत भावी है। उन्हरणाथ, यदि क' घपने पड़ोसी को कोई क्षति पहुँचाता है तो वह पड़ोसी 'क' के विरुद्ध क्षतिकृत्य बानून के मात्रगत मुकदमा चला सकता है, चाहे उस क्षति को आमतमा, उस मानहानि यादि कोई विशेष नाम दिया जाय गया वर्षा कोई विशेष नाम दिया हो न जा सक। ऐसी हितति में यदि 'क' कोई कानूनी बचाव प्रमाणित नहीं करता तो उस पर क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व भी जायगा। इस सिद्धान्त के एक समर्थक लाइ वामडन (Lord Camden) ने कहा है कि क्षतिकृत्य भवत्त है और उन्हें परिमित नहीं किया जा सकता। नए नए क्षतिकृत्यों पर आविभवि इस सिद्धान्त की विशेषता है।

**द्वितीय सिद्धान्त—**इस सिद्धान्त के मनुमार क्षतिकृत्यों का सम्पूर्ण परिमित है और उनके परिक्रिय गति विसी कृत्य के लिए क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व नहीं जाता। इन सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक मर जॉन सालमन् (Sir John Salmond) और डॉक्टर जेन्क्स (Dr Jenkins) हैं। इस सिद्धान्त के समयन म मर जॉन सालमन् (Sir John Salmond) न एमे मामलों को उद्धृत किया है जिसके व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य हानिकारक हो हो विनाशकीय न हो। इन विनाशकीय कृत्य (Damnum sine injuria) क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के मात्रगत नहीं जाते। लेकिन विनाशकीय कृत्य के हानिकारक कृत्यों के य मामले जिन पर सालमन् (Salmond) का सम्प्रयन निभर करता है इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं बरतते।

बात यह है कि वास्तव में कानून का कानूनों अधिकारा के भगोवरण को ही विधिक धति (Legal damage) मानता है। यह विधिक धति न तो वास्तविक धति (Actual damage) के घनुष्ठप ही और न ही इच्छा। तात्पर्य आधिक धति (Perpetracy damage) से होता है। वाचो के कानूनों अधिकारों को किसी प्रकार भा भग बरने को शतिकृत्य कानून के घारागत विधिक धति कहा, याहे उन अधिकारों के इस प्रकार भग बरन से बादा को गारारा प्रयत्न आधिक धति न पहुँची हो।

डॉक्टर जेंक्स (Dr Jenkins) का मत है कि इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह नहीं है कि नए अनिकृत्यों का आविभाव हा ही नहीं सकता, बल्कि बात यह है कि नए अनिकृत्य मायाएँ प्राप्त मूल अनिकृत्यों से ही उदित होने हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नए अनिकृत्यों का मूल इस सामाय सिद्धान्त पर निभर नहीं परता कि हरेक अनियमित हानि शतिकृत्य सम्बंधी दायित्व के अन्तर्गत घाली है। डॉक्टर जेंक्स (Dr Jenkins) की यह दलील बलगाली घबराय है कि इन्हु सभी मामलों में समयानुदूल प्रतीत नहीं होती। उदाहरणाय, पशु प्रवालिकार प्रवेष (Cattle trespass) से अनिकृत्य का दायित्व जैसा कि अधुनिक व प्राचीन कानूनों में है उसमें कोई कुनियादी समानता नहीं दीखती। [रेले-डस प्रति पनचर, (१८६८) ३७ एल आर ३ एच एल ३२०] यह बात भी है कि क नून इतना शक्तिहीन प्रमाणित नहीं हुआ है कि नए दायित्व और नए वक्त यों का आविभवि न कर सके। [ढारप्र प्रति स्टीवेसन, (१८३२) एस सी ६१६] विकाय कानून का नियम है। कानून उपायों विवित हो रहा है अनिकृत्य सम्बंधी दायित्व के लिए सामाय सिद्धान्त भी प्रतिपादित हा रहे हैं।

प्रश्न ६—अनिपूण कृत्य और हानिपूण कृत्य में क्या अन्तर है? क्या न्याययुक्त प्रतियायता से पहुँची हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा चल सकता है? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

चत्तर क्षतिपूर्ण (Wrongful) कृत्य और हानिपूण (Harmful) कृत्य—सरकारी इटि से देखन पर अनिपूण कृत्य व हानिपूण कृत्य एक ही प्रतीत होते हैं। लेकिन प्रमन में ऐसा नहीं है। अनिकृत्य कानून के सदभ में अनिपूण कृत्य से तात्पर्य उन कृत्यों से है जो हमारे कानूनों अधिकारा को भग बरते हैं, चाहे उन कृत्यों के परिणामस्वरूप हमें कोई हानि न पहुँची हो। इसके विपरीत कुछ कृत्य हानि पूण तो होते हैं किन्तु कानून की इटि से वे अनिपूण नहीं होते। ऐसे कृत्य अनिकृत्य कानून में हानिपूण कृत्य कहलाते हैं।

अनिपूण कृत्यों के विषय में यह बात स्मरणीय है कि जब कोई क्षतिपूण कृत्य किया जाय तब विसों को वास्तविक हानि पहुँचे हो, यह जल्दी नहीं है। इस कृत्य की

एकमात्र पहचान पह है कि उससे हमारे किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता चाहिए। उचाहरणात्, अनाधिकार प्रबंध बिना हानि पहुँचाये भी क्षतिकृत्य कानून के अतिगत अभियोज्य है।

जब जिसी कृत्य द्वारा किसी अक्षिक्त को हानि तो पहुँची हो किन्तु उसका कोई कानूनी अधिकार नग न हुआ हो तो हानि प्राप्त व्यक्ति का क्षतिपूति पान का अधिकार नहीं होता। क्षतिकृत्य कानून में यह बिना क्षतिपूण हानिकारक कृत्या (Damnum sine injuria ) का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के विपरीत एक भी सिद्धांत है जिसके प्रत्युपार यदि किसी अक्षिक्त का कानूनी अधिकार भग किया गया है और उसके द्वारा उसे कोई सनि नहीं पहुँची है तो भी वह प्रपने कानूनी अधिकार वो भग करने वाले के विश्वद क्षतिपूति के लिए दावा कर सकता है। इस सिद्धांत को 'बिना हानिकारक क्षतिपूण कृत्यो' (Injuria sine damno ) का सिद्धांत कहत है। ऐसा मामलो में क्षतिपूति का दावा करनेवाले व्यक्ति को बेवल हनना ही सिद्ध करना होता है कि उसके कानूनी अधिकार वो भग किया गया है और यह बात महत्व हीन है कि उस कानूनी अधिकार के भग किए जान स उसके बास्तव में हानि हुई है अथवा नहीं। [एशबी प्रति ह्लाइट, २ लिड० रेयम० ५३८]

न्यायुक्त प्रतियोगिता क्षतिपूण कृत्य नहीं—याययुक्त प्रतियोगिता को कानून में सैव मायता दी जाती है। भतएव ऐसा प्रतियोगिता (Competition) के परिणामस्वरूप किसी भी हानि पहुँचे तो हानिकृता उस हानि को पुरा करने के लिए याद्य नहीं है। अथोत् उसके विश्वद उसक हानिपूण कृत्य से पहुँची हानि के लिए क्षति पूति का दावा नहीं चलता। एक प्रमिद्य मायता इस सम्म म उल्लंघनात् है। जल यान की कुछ प्रतिद्वादी कम्पनियों में यह प्रतियोगिता हुई कि प्रतियोगिता को कम्पनी की व्यवसाय से नवक्षण पर विवरण किया जाय। एक पक्ष की ओर कम्पनियों के स्वामियों ने यह पोषणा की कि प्रतिपक्षी की पौरबों कम्पनी के द्वारा यात्रा न भेजकर यदि उनकी ओर कम्पनियों के द्वारा यात्रा भेजा जायगा तो विवाय सूट दो जायगे। इस पर पौरबों जलयान कम्पनी को ध्यापार म हानि हुई और उसन प्रिन्ट शी कम्पनियों विश्वद क्षतिपूति का मुकामा चलाया। इस मामले में निणय हुए कि व्यापारिक प्रतियोगिता द्वारा पहुँची हानि अभियोज्य (Actionable) नहीं है, क्योंकि उससे धार्यी कम्पनी का कोई कानूनी अधिकार भग नहीं हुआ। [मोर्गन स्टीम शिप कम्पनी प्रति एम० प्रब्र, (८८२ ए० सी० २५)]

प्ररन ७—“जिस प्रकार ऐसे मामले हैं जिनमें हति क्षतिकृत्य के

रूप में अभियोज्य नहीं होती उसी प्रकार ऐसे मामले भी हैं जिनमें किया गया हृत्य बिना सति पहुँचाये भी सतिहृत्य के रूप में अभियोज्य होता है।" (सालमण्ड)

उपर्युक्त कथन की उदाहरण सदित व्याख्याएँ कीजिए।

उत्तर व्याख्या—एवया प्रान् ४ का उत्तर इनिए और निम्नलिखितान का अतिरिक्त व्यवधान बीजिए।

सतिहृत्य कानून का यह सामान्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के कानूनी प्रविधियों की रूपान्वयन की जाए। इस उद्देश्य को पूर्ति के तिए वह प्राप्तें देता है कि योद्दे किसी व्यक्ति के व्यवधान का कानूनी प्रधिकार भग होना है तो वह विधिक सतिपूर्ति के सिए उत्तरदायी है, चाहे उसके हृत्य से दूसरे व्यक्ति को कोई व्यापक विविधान नहीं है। सालमण्ड (Salmond) ने इस उद्देश्य को व्याख्या करते हुए यह मिट्टान प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार कुछ मामलों में किसी कृत्य से किसी को हानि पहुँचनी है तो भी हानि पहुँचाने वाले के विषय सतिपूर्ति का मुख्यदमा नहीं चलाया जा सकता। उसी प्रकार कुछ मामल ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी प्रवार की कोई हानि न होते हुए भी सतिपूर्ति देय हो जाती है। ऐसे मामले जिनमें किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी प्रवार की कोई हानि नहीं होती पर किसी घटिया देय होती है, स्वतं प्रभियोज्य सतिहृत्य (Tort actionable per se) होते हैं। उदाहरणात्, एक घटियोदाता (Banker) ने एक व्यक्ति को चेता का रखा देन से घटारणा इनाम कर दिया जबकि वह में उसका परापूर्ण रखा जाता था। एवया न मिलते से उस व्यक्ति को कोई सति तो नहीं पहुँचे किन्तु उसके द्वारा चनाए गए मुख्यदमा में यायाधार ने निरुप दिया कि यादों के कानूनी प्रधिकार या फि याने वाला एवया जब खाह लब बैंक से प्राप्त कर स और जूँ कि प्रतिवानों ने उसके इस कानूनी प्रधिकार को भग किया है इसलिए वह बाती भी सतिपूर्ति देने के तिए जिम्मार है। [पारेशो प्रति विनियम]

ऐसा गूरा निराकरणलाभान्वयन "दृष्टि सति दाति" हृत्य के लागत में अभियोज्य नहीं होनी सतिहृत्य कानून का अन्तर्गत या उद्दृष्टि नहीं होती। इस मान्यता में ग्लूरेस्टर पासर शूल (Gloucester Grammar School) का मामला उदाहरणात् उपलब्ध है। इसकी वाली एक पाठ्यालय के ग्रन्थीय प्रतिवानों ने एक नवीन पाठ्यालय को भग किया। किसके परिणामस्वरूप पुरानी पाठ्यालय के प्रधिकारिय विद्यार्थी नवीन पाठ्यालय में दानिन हो गए और पुरानी पाठ्यालय के हसायी को भारी हानि पहुँची। इस

मामले में निणय दिया गया कि पापयुक्त प्रतियोगिता (Fair Competition) के द्वारा विपक्षी बोंचा है कितनी भी हानि क्या न पहुँचे पर वह मुकदमा चलाकर शतिकृति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न द—‘कानूनी अधिकार’ और ‘कानूनी ज्ञान’ से आप क्या समझते हैं? इस सदर्भ में निम्नलिखित सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए —

- (अ) विना नानिकारक ज्ञानिपूर्ण कृत्य (Injuria sine damno , एवं
- (ब) विना ज्ञानिपूर्ण दानिकारक कृत्य (Dignum sine injuria)।

उत्तर कानूनी अधिकार—कानूनी अधिकार की विवाद यावद् यावद् विधिशास्त्र ( Jurisprudence ) का विषय है। लेकिन शतिकृत्य कानून के अध्ययन के लिए भी कानूनी अधिकारों की आड़ति को समझ लेना नितात आवश्यक है। विधिशास्त्रिया न कानूनी अधिकार की जो परिभाषाएँ दी हैं वे लगभग सभी अपूर्ण हैं। सालमांड (Salmond) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक ऐसा अवश्य ( Interest ) है जिसे कानून द्वारा भावता प्राप्त है और जिसे कानून रक्षित करता है। पेटन (Paton) के मतानुसार कानूनी अधिकार कानून द्वारा स्वीकृत ऐसा कृत्य है जो कि विसी देश में एक निश्चित मान (Standard) के अनुसार हो। हालैण्ड (Holland) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कानूनी अधिकार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के कृत्यों की समाज के मत प्रोत्त प्रक्रिया द्वारा प्रभावित करने की क्षमता को बहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कानूनी अधिकार समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने से सम्बंधित ऐसी मार्गें हैं जो कानून द्वारा समाज हित की भावना से स्वीकृत कर ली गयी है। ऐसा मार्ग या अधिकार अनिवार्य है। उनका वर्णन दो गार्गों में किया गया है। एक वग के अन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकार (Personal rights) याने हैं और दूसरे वग में साक्षरताका अधिकार (Public rights) है। व्यक्तिगत अधिकार ही शतिकृत्य कानून के लिए सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ये निम्नलिखित तीन विभागों में विभाजित किए गए हैं —

- (१) शारीरिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता का अधिकार (Right of bodily security and freedom),
- (२) सम्पत्ति का अधिकार (Right of property), एवं
- (३) प्रतिष्ठा का अधिकार (Right of reputation)।

**कानूनी दाति—** कानूनी अधिकारों के भगीरहण को कानूनी दाति कहते हैं। यह न तो वास्तविक दाति (Actual damage) के अनुहृत है और न ही इसका तात्पर्य पालिक दाति (Pecuniary loss) से होता है। बाजी व कानूनी अधिकारों को विसी प्रशार भी भग करने को दातिहृत्य कानून में कानूनी दाति कहेंगे, चाहे उन अधिकारों व इस प्रशार भग विए जान से बाढ़ी को खोई दारीरिक अथवा पालिक दाति न पढ़ौंचा हो। यदि बाजी यह सिद्ध पर दे कि उसक विसी कानूनी अधिकार का भग किया गया है तो कानून विधिक दाति का पनुमान कर लेगा।

कानूनी दाति व मन्त्र में 'विना हानिकारक दातिपूण कृत्य' (Injuria sine damno) और 'विना दातिपूण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria) के उद्दात्ता वा विशेषण श्रेयस्कर होंगा जो निम्नलिखित है —

(अ) 'विना हा नकारक दातिपूण कृत्य' (Injuria sine damno)— इस किदात व मनुमार वह घटति जितना खोई पूण कानूनी अधिकार (Absolute legal right) भग किया गया ही और उसके द्वारा भग ही उसे दाति व पढ़ौंचा हो, फिर भा वह दातिपूति के लिए दावा वर मरता है। कानून अधिकार के गुण अनियारी अधिकारों को घटति और समाज के हिन में विशेष रूप से धारायक मानता है। अत ऐस प्रधिकारों का भगीरहण स्वक अभियोग (Actionable per se) है और ऐस मामलों म बाढ़ी वा वेषत इतना ही छिद बरला होता है कि उन्हे इस प्रकार के इसी कानूनी अधिकार को भग किया गया है तथा यह यात महस्तहीन है कि उसे खोई यातविह या पालिक दाति पढ़ौंचा है अपवा नहीं। अनाधिकार प्रवेश, मानहानि आदि इसी प्रकार के स्वत अभियाग्य दातिगत्यों के उदाहरण हैं।

(ब) 'विना दातिपूण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria)— इस किदात व मनुमार परि विसी घटति खोई कृत्य द्वारा हानि की पहुं ची हा इन्हु उमरा खोई कानूनी अधिकार भग न हुमा हो ता उस दातिपूति पान व विए दावा दून का अधिकार नहीं है। धारारिक अभियोगता के मामल इसके दावादरण है। कानून उपयोगता व हिन में एग कृत्या का दातिहृत्य नहीं मानता। अतएव अनिहृत कानून के मामले अभियोग्य नहीं हैं।

दोनों किदातों में अन्तर— मध्ये में उत्तु त दोनों किदातों में अन्तर निम्नलिखित है —

विना हानिकारक क्षतिपूर्ण हृत्य (Injuria sine damno)	विना क्षतिपूर्ण हानिकारक हृत्य (Damnum sine injuria)
१ कानूनी अधिकार का भगीकरण, चाहे हानि अयवा क्षति पहुँचो हो या नहीं।	हानि अयवा क्षति का पहुँचना, किंतु कानूनी अधिकार भग न हुआ हा। अभियोज्य नहीं।
२ स्वतं अभियोज्य।	कानूनी अधिकार के भगीकरण के बिना वास्तविक हानि का सिद्ध करना निर्यक।
३ केवल कानूनी अधिकार का भगीकरण मिथ्करना अनिवाय।	ऐसे नैतिक उपहृत्यों की उपता जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं हैं।
४ ऐसे कानूनी अपहृत्यों की उपता जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।	नैतिक अधिकारों का विषय।
५ कानूनी अधिकारों का विषय।	

प्रश्न ६—‘प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं।’—(Ubi jus ibi remedium)

उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कानूनी उपायों (Legal remedies) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर स्पष्टीकरण —विधिशास्त्रियों वा कथन है कि प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ-साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। उनके इस कथन ने ‘जहाँ वही क्षतिपूर्ण हृत्य है वही उपका उपाय भी है’ (Ubi jus ibi remedium) की कहावत का रूप ले लिया है। क्षतिहृत्य कानून की समझा सभी सामग्री इसी कहावत का विकसित रूप है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री थी रनलाल धीरजलाल ने अपनी दातिहृत्य कानून सम्बंधी पुस्तक में यथाय ही बहा है कि जर्नी कानूनी उपाय प्राप्त नहीं है वही यह समझ लेना चाहिये कि वोई कानूनी क्षति भी नहीं हुई है। वर्णोंवा कानून में कोई अधिकार विना उपाय के नहीं है और यदि विस्तीर्णी अधिकार के भग विषय जाने पर वोई भी उपाय उपलब्ध न हा तो समझ लेना चाहिये कि कानून की हाटी से वह अधिकार है ही नहीं।

कानूनी उपाय (Legal remedies)—यद्यपि यह सब है कि सभी क्षतिहृत्य दीवानी क्षति (Civil injuries) है पर एभी दीवानी कायवाही क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत अनिवायत नहा पाएगो। बात यह है कि जब तक विस्तीर्णी

मुद्दमें में शतिहृति प्राप्त करने का प्रश्न न हो तब तक वह शतिहृत्य कानून के आठगठ नहीं भागा। अबकर ऐसे मामले होते हैं जिनमें वार्ती शतिहृति पाने के लिये कानूनी कायवाही बरतन व साप साप दूसरे कानूनी उपायों (Legal remedies) के लिये भी कायवाही बरता है। उदाहरणात्, यदि कोई व्यक्ति अग्रावधानी से भोग चलाकर विसी की सम्पत्ति को हाति पहुँचाये और साप-भाप उस व्यक्ति को पारोरिक खोट भी पहुँचाय तो दाति प्राप्त यक्ति को दातिवर्ती के विषद् न बेबल शतिहृति का दाता करने का कानूनी उपाय हो उपसाध होगा, बल्कि वह फौजदारी कानून के आठगठ कायवाही बरतन व लिए भी राज्य का बाल्य बर सकता है।

प्रश्न १०—द्वेष (Malice), सकल्प (Intention) और मन्तव्य (Motive) को व्याख्या करते हुए ज्ञातिहृत्य सम्बन्धी मामलों में उनकी संगतता पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर द्वेष (Malice)—आमतौर पर द्वेष (Malice) शब्द से 'ईर्ष्या' अथवा 'वैर' का नाव प्रबढ़ हाना है। लक्षित कानून में यह २०३ दो विभिन्न घटयों में प्रयुक्त किया जाता है। एक घट में "स दा" से तात्पर्य एवं शतिहृत्य वृत्त्य से है जिनु करने का काई अोरिजिन (Justification) न हो तथा दूसरे घट में इस दा से तात्पर्य एवं शतिहृत्य वृत्त्य से है जो इसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित हाकर किया गया है। इस प्रकार इस दा का अर्थ होते हैं। एक हो जानकूक बर किया गया एका शतिहृत्य वृत्त्य जिसमें ईर्ष्या या वैर के तहत विद्यमान हों और दूसरा यदि वि ऐसा शतिहृत्य वृत्त्य जिसमें ईर्ष्या या वैर को काई भागता न हो पर वह इष्ट प्रकार के उद्देश्य से किया जाय जिसका कानून अनुचित गमनभवा हो। उदाहरणात्, यदि कोई विसी के जानबर को जानकूक बर जहर दें तो यह नहा जायगा कि उसका वह शतिहृत्य वृत्त्य द्वयू (Malicious) है। [ब्रामज प्रति प्राप्त, (१८२५) ४ दो० एण्ड सा० २४७]।

द्वेष के उपर्युक्त कानूनी घटयों के आपार पर विधिशास्त्रियों ने उसका दा भद्र बर किये हैं जो निम्नान्ति है —

(१) यास्तविक द्वेष (Malice in fact),—आपारल वास्तवास में हम द्वेष दा में ईर्ष्या या वैर भागि का जा तात्पर्य समझत है वह यास्तविक द्वेष (Malice in fact) है। यह यास्तविक द्वेष के बल निम्नलिखित शतिहृत्यों में ही उत्तरा उपार्द्ध (Relevant element) माना जाता है —

(अ) द्वेषीय अभियाचन (Malicious prosecution),

(ब) शतिहारण विष्पाचन (Injurious falsehood),

(स) पद्धयन्त्र (Conspiracy), एवं

(द) निसी विशेष अधिकारयुक्त अवसर पर मानहानि (Defamation on a privileged occasion)।

यह बात स्मरणीय है कि एक ऐसा कृत्य जो अध्यया कानूनी दृष्टि से उचित है वह केवल इम कारण गैरकानूनी नहीं हो जाता कि उसको द्वेष प्रथमा ढाह (III will) से प्रेरित होकर किया गया है। इसी अध्यार पर यह एक सामाय सिद्धात है कि द्वेष क्षतिकृत्य के लिए एक असगत (Irrelevancy) तत्त्व है। एक अग्रेजी प्रमुख भासले में इस विषय की अध्यया करते हुए कहा गया है कि यदि सामायत किसी व्यक्ति का कोई कृत्य क्षतिकृत्य नहीं है तो वह कृत्य इस कारण क्षतिकृत्य नहीं बन जाता कि उसके बरन वाले ने उसे द्वेष से प्रेरित होकर किया है। [ब्रेडफोड मेपर प्रति पिलिस, (१८६५) ए० सा० ५६७]

उपर्युक्त विवचना स हम यह निष्पत्ति निकाल सकते हैं कि क्षतिकृत्य कानून के प्रत्यक्ष स्वत द्वेष (Malice per se) से प्रेरित होकर किया गया काई कानूनी कृत्य गैरकानूनी नहीं हो जाता, चाहे उससे वादी को हानि ही पहुँची हो।

(३) विधिक द्वेष (Legal malice)—विधिक द्वेष का प्रथ वास्तविक द्वेष के अथ सं सवया विपरीत है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को भग घर उसको दाति पहुँचाना है तो क्षतिकृत्य कानून के प्रत्यक्ष दातिकर्ता का वह कृत्य द्वेषपूर्ण समझा जाता है, खाल उसन वह कृत्य दाति पहुँचान का नीयत से न किया हो या उस उसके कृत्य से किसी व्यक्ति को दाति पहुँचानी इसका पूर्वज्ञान न हो। अंडरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि किसी व्यक्ति न कानून का उल्लंघन घरक किसी व्यक्ति की भलाई क उद्देश्य से भी ऐसा कृत्य किया है जिससे उस दूसर व्यक्ति को दाति पहुँच जाता है तो कानून की दृष्टि म एसा कृत्य द्वेषपूर्ण हो कहलाएगा। उआहरणाय, यदि 'क' बिना किसी घोचित्य के 'ख' को इस बात के लिए प्रेरित करे कि यह 'ग' से अपना कोई सविदा तोड़ दे और इसके परिणाम स्वरूप 'ग' को दाति पहुँचे तब यह कहा जायगा कि 'क' का कृत्य 'ग' के प्रति दाति कृत्य है और 'क' यह दलोल दर्कर अपन दायित्व से गुक्त नहीं हो जायगा कि उसने जो कुछ किया वह सदमानना रा प्रेरित होकर किया था यह कि उमरी नियत 'ग' के दाति पहुँचाने की नहीं थी।

संकल्प (Intention)—सालमण्ड (Salmond) के मतानुसार जिस दराए दे कोई कृत्य किया जाय उस दराए का संकल्प (Intention) कहते हैं।

इरादे वा पूँछान भी उसको कृत्य द्वारा कार्यान्वित करने की आवाहा सबल्प के अन्तर्गत सत्त्व हैं।

यह बात विदेश रूप से स्मरणार्थ है कि बोई कृत्य पूँछाना सबल्पहीन (Unintentional) भा हा सकता है यद्यपि पूँछान्मेण सबल्पपूँछ (Intentional) भी हो सकता है। इसी प्रकार एसा कृत्य भी हो सकता है जिसका कुछ भग सबल्पहीन हो तथा कुछ भग सबल्पपूँछ हो।

विधिशाल का यह एक वृन्दियादो विद्वात है कि प्रत्यक्ष व्यक्ति को अपने विद्ये हृषि कृत्य मे स्वाभाविक परिणाम वा जान होता है। उच्चाहरणार्थ, यदि बोई व्यक्ति विद्यो कुत्ते दो भगाने के लिए उस पर गाली चलाए और कुत्ता गोली से मर जाय तो वानून यह कभी नहीं भगाने कि गोली घलाने वाले व्यक्ति का सबल्प कुत्ते की हत्या करने का नहीं था। भतएव इसी कृत्य को सबल्पहीन तभी बहा जायगा जब कर्ता को उस कृत्य के स्वाभाविक परिणाम का पूँछान न हो। इस विधि में एक भग्नेजी मुख्दम का भग्नार्थ विदेश रूप से उल्लङ्घनीय है जो निम्न प्रकार है —

प्रतिवादी ने बासी को जो एक सभान्त महिला थी यह मूठी सूचना दी कि उसका पति जा विदेश म था बुरो तरह धायल हो गया है और उसके होनों पर टूट गए हैं। इस सूचना से बासी को स्नायुविक्ष ट्रेम (Nervous Shock) पहुँची और बहु दिन तक उसके प्राण भी सबट मे पड़ गए। प्रतिवादी द्वारा दो गई सूचना ने मूरी हाने को बात जान होने पर बासी ने प्रतिवादी पर दातिरूति का मुख्दमा घलाया। प्रतिवादी ने अपने घराव मे यह दस्तील दी कि उमका इराना बासी को दिया प्रकार भी हानि पूँछाने का नहीं था। विद्वान यापायोग न इस मामले का निएय देने हृषि बहा कि बोई व्यक्ति जब बोई कृत्य करता है तो उसके स्वाभाविक परिणाम वा पूँछान रखता है। इस मामले मे प्रतिवादी ने जानवृक्ष कर ऐसा कृत्य दिया है जिसके बारे दाविद्य प्रतिवादी पर है भल हो वह प्रतिवादी के प्रति दियी प्रकार का देवपूँछ एवरत्य न रखता हो। [विविधन प्रति डाउनटन, (१८६०) २ वप्प० बो० ५७]

भन्तव्य (Motive) — यह एक मामाय विद्वात है कि बोई भी स्वेच्छा ते विद्या एवा कृत्य दिया मनन्य (Motive) मे नहीं हो सकता। सेंटिन बैंचम (Bentham) के मतानुसार एवा कृत्य मे प्राप्त फल के उपर के विद्य काने का भन्तम नहीं समझ सका। आदिए। एयो प्रकार यापारह दोमध्याल म भन्तम्य (Motive)

और सद्वल्प (Intention) एक दूसरे के परिधिवाचो माने जाते हैं, पर कानून की हटिट में इन दोनों में अन्तर है। विधिशास्त्रियों का मत है कि मतव्य दूरस्थ (Ulterior) सद्वल्प है। पेटन (Paton) इस प्रकार के भेद से महमत नहीं है।

क्षतिकृत्य कानून में मतव्य पर विचार किया जाना महत्वहीन समझा जाता है, क्योंकि इस कानून के अन्तर्गत केवल यह कृत्य विनोय रूप में विचारणीय होता है कि जो कृत्य किया गया है, वह कानून की हटिट से अधिकृत है अथवा नहीं। अतएव विसी कृत्य के दिवरोत किया गया है तो क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत उससे जो धर्ति पहुँचेगी, उसके लिए कॉर्टफर्स (Tortfeasor) क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरणात्मक, यदि कोई विसान अपने खेत में कुछ अनाज भूल जाय और उस अनाज की रक्षा में लिए काई याकत उसे खसिहान में रखवा दे तो भी वह विसान उस व्यक्ति के विद्युत अपने खेत में प्रवाली (Trespass) और अपने अनाज के प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप (Unauthorised interference) के लिए कॉर्टपूर्ति का मुक़र्रमा चला सकता है।

प्रश्न ११—क्या किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना (Malice in advance) किसी कृत्य का गैरकानूनी दण से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी कृत्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्त्तव्य नी अवहेलना घरना (Nonfeasance) क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत एक समान ही अभियोज्य (Actionable) है? अपने उत्तर की अधिकृत निर्णया में पुष्ट कीजिए।

उत्तर—विवेचना—किसी गैर कानूनी कृत्य का किया जाना (Malice in advance), किसी कृत्य का गैर कानूनी दण से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी कृत्य के करने अथवा न करने का अवहेलना घरना (Nonfeasance) क्षतिकृत्य कानून के मतव्य एक समान ही अभियोज्य (Actionable) नहीं है। किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना अनिवृत्य कानून में स्वतं अभियोज्य (Actionable per se) है और एम् मामने में किसी प्रबार की अवसाधनी (Negligence) तथा द्वेष इत्यादि को सावित करा का यावद्यरता नहीं होती। किया कृत्य के करने अथवा न करने के निष्पाद्य बत्तव्य की अवहेलना घरन से बत्ती पर कानूनी रूप से काद दायित्व नहीं आता, लेकिन किसी कृत्य का गैर कानूनी दण से किया जाने पर वस्ती क्षतिपूर्ति के लिये जिम्मेदार होगा। [एनमो प्रति गुटशारड (१०३), ५ टी० मार०]। यदि किसी कृत्य को करने के वक्ता पर कानूनी दायित्व]

है और वह उम कानूनी दण से न बरते किसी व्यक्ति को दाति पहुँचाना है तो क्षतिपूर्ति के लिए उसका हृत्य उसी प्रकार अभियोग्य है, जिस प्रकार किसी गैरकानूनी हृत्य का निया जाना क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोग्य होता है। [केसी प्रति मीट्रोपालिटन रेलवे कंपनी (१८८५), क्षू० ६४४]

**प्रन १३—उन डिग्रियों का बणन कीजिए जो क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत (अ) दाया करने के लिए अयोग्य मममे जाते हैं, तथा (ब) जिनके विरुद्ध दाया नहीं किया जा सकता।**

**उत्तर १४—टिप्पणी—**क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत दाया करने और किय जाने की व्यक्तिगत योग्यताएँ और अयोग्यताएँ के आधार पर समाज को तीन विभिन्न बगों में विभक्त किया जा सकता है—पहले वग में व्यक्ति हैं जिनको क्षतिपूर्ति के लिए दाया करने का अधिकार प्राप्त है और जिनका विरुद्ध भी दाया किया जा सकता है। दूसरे वग में व्यक्ति सम्मिलित हैं जो व्यक्तिगत अयोग्यताएँ के कारण क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत दाया करने की कानूनी क्षमता (Legal Competence) नहीं रखते। तो तीर्थ वग में व्यक्ति हैं जिनका विरुद्ध क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत दाया नहीं किया जा सकता।

(अ) दाया करने के लिए अयोग्य व्यक्ति—निम्नलिखित वग के व्यक्ति अन्तर्गत अयोग्यताएँ के कारण क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत दाया करने की कानूनी क्षमता नहीं रखते—

(१) विदेशी शत्रु (Alien enemy)—यह एक सामाजिक दिवात है जिनका यानु क्षतिहृत्य कानून के अन्तर्गत अधिकार के रूप में दाया करने का हक नहीं रखता। किंतु भारत की दायानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) का पारा दर के अन्तर्गत विदेशी शत्रु के द्वाय सरकार की पूछ अनुमति प्राप्त करने पर वाय दाया कर सकता है।

(२) दण दण प्राप्त अपराधी (Convict)—एक दण दण प्राप्त अपराधी एवं उसकी क्रान्ति के दण यदि क्षतिहृत्य के तिए दाया नहीं कर सकता, किंतु यदि वह क्षतिहृत्य उत्तरा सम्बान्ध के प्रति न होकर उस व्यक्ति (Person) के ही प्राप्त हाता वह क्षतिपूर्ति का दाया करा का परिकारी है। शो रत्नलल पारजतान के गठानुपार भारत म ला० १८८१ ई० तक यह नियम था जि कृष्ण अपराधी पर दण दण दण प्राप्त अपराधी का सम्बान्ध हस्तापत कर सी जाओ थी, किंतु यदि वह नियम थमा। हा यदा है। भारताय दण दाया (Indian Penal Code) की पारा १२०, १२१ पारा १६ का प्राविधिका का दाय वर अपर्याप्त हस्तापत करा का नियम

नहीं है। भरत अवधारों का छोड़कर दण्ड प्राप्त घपराधी भी भारत में क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत प्राप्त शरीर भीर सम्पत्ति दोनों के विषद् क्रिये गए क्षतिपूण कर्त्त्वों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

(३) पति और पत्नी (Husband and wife)—क्षतिकृत्य कानून में न तो पति अपनी पत्नी के विषद् भीर न पत्नी भरने पति के विषद् क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि कानून की इच्छा म पति पत्नी एक इकाई (One Unit) भान जाते हैं। लेकिन विद्वाह विच्छिन्न हा जान पर पत्नी भरने पति के विषद् उन क्षतिपूण कर्त्त्वों के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है जिनका कि पति न उन समय क्रिया या जबकि उनके वैवाहिक सम्बंध टूट नहीं थे। नारीय विधिशास्त्री भी भाववाला के मतानुसार भारत में पति-पत्नी के कानूनी एक्य (Legal identity) को बात साधू न हान के कारण वे एक दूसरे के विषद् क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कायवाही कर सकते हैं।

(४) निगम (Corporation)—कानून की इच्छा म निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समठित सम्पर्क है जिसके बत्त॑य भीर भवित्वार उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत कत्त्वों भीर भवित्वारों से भिन्न होते हैं जिसपर मिल कर निगम बनता है। क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत निगम वैयक्तिक क्षति (Personal wrongs) के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता, किन्तु ऐसे मानहानिकारक लेस (Libel) के लिए जिसके द्वारा निगम वी सम्पत्ति का क्षति पहुँचो हा भवित्वा उसका व्यावसायिक हानि हुई हो तो वह क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। [मैनवर्टर का भरप्रति विलियम्स (१८६१), १ एल० बो० ५४]

(५) गर्भस्थ यालक (Child in womb)—माता के गर्भ के भीतर वा खात्वा ज म होने के पश्चात् उस क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता जो उस उस समय पहुँचो जबकि वह माता के गर्भ म था। [वारर प्रति थेर नादन रेलवे, (१८८०), एल० मार० प्रायरिंग ६६]

(६) दिवालिया (Insolvent)—दिवालिया व्यक्ति भरना सम्भव न प्रति वर्ष गय क्षतिपूण काय्य के लिए क्षतिकृत्य का दावा नहा कर सकता, विन्तु वैयक्तिक क्षति (Personal wrong) की दावा म उप दूण भवित्वार है कि वह क्षतिकृत्य पर क्षतिपूर्ति के लिए मुरामा पलाय।

(७) यहाँ जिन पर क्षति का नहा खलता —निम्ननिवित्व व्यक्ति क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत दावा क्रिय जाए स न्यून (Immune) गमन जाते हैं —

(८) सम्राट् (Crown)—प्रधेश के दावत है कि सम्राट् उ क्षिति का क्षति

नहीं पूरे क सकती (King can do no wrong) मतएव सर्वधानिक कानून का यह एक सामाजिक सिद्धान्त है कि सचिव अधिकारी (Head of the Government) भव्यता कानूनों कायदाही से उमुक्त समझे जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रायः राज्याध्यक्ष मंत्रिमण्डल (Cabinet) को सबाह पर कायदा करता है और जो भी आनाएँ अधिकारी कायदा दिये जाते हैं, उन पर बेवज सरकार के प्रतीक वा रूप में उग्रा नाम होता है।

(२) विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष (Foreign Sovereigns)— साधारणतया विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष पर धातिकाल कानून के ग्राहकीय दाया नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि वह स्वयं ही अपनी उमुक्ति (Immunity) का स्वेच्छा से परिवर्त्याग कर दे तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कानूनी उमुक्ति विदेशी सत्ताधारियों के अनिवार्य राजदूतों को भी प्राप्त है।

भारतीय सरिष्ठान की धारा १६१ के प्रत्युमार भारत के राष्ट्रपति (President of India), राज्य के राज्यपाल (Governors of the States), तथा राज्यप्रमुखों पर किसी चायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

एक बात जो इस गम्भीर में विनाय रूप से स्मरणीय है वह यह है कि किसी भी दश के राज्याध्यक्ष चाहे वे विस्तीर्ण छाटे दश के हों अधिकारी बडे दश के, मदा एवं समाज ही मात जात हैं, पर्याप्त दश के छोटे बडे होने के अधार पर उनमें किसी प्रकार का नेभाव नहीं माना जाता।

(३) राजदूत (Ambassador)—विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्षों की नीति हा राजदूतों का भी कानूनी उमुक्ति प्राप्त है तथा उनके परिवार व उस्थिति का भी वन्न तो दीयाही तथा फोजाधारी उमुक्तियों प्राप्त होती है। अतः उन पर धातिकाल कानून के प्रतीक वास्तविक शातिरुद्धरण नहीं चलाया जा सकता। वह तक कि वे स्वयं उन उमुक्तियों का परिवर्त्याग न कर दें।

(४) राजकीय कर्मचारी (Public or State officials)—यदि राजकीय कर्मचारी गरणारी दश को हीतियत तो कोई एक वृत्त वर विषय दिये दृष्टि को शातिरुद्धरण को वा उन वृत्त के लिए शातिरुद्धरण कानून के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं माना जायगा। निरिंग यदि उपने ऐसा वृत्त अपनी अविभागी है तियत में दिया है तो वह शातिरुद्धरण के लिए विद्येशीर होता। यह भी उपन रनिए विकाई सरकारी कम जागी अपने अपनी कर्मचारियों के वृत्तों के प्रति उन दशा में उत्तरदायी नहीं है जबकि उनके विविध वृत्तों के बरते वा स्वयं प्राप्त्या न दिया हो। [मर्यादा दाता दृष्टीकोण प्रति विका (१८६१), एस० पार० प्राप्तिता० एस० एस० १३]

(५) निगम (Corporation)—क्षतिहृदय कानून के प्रत्यगत नियम पर शतिपूर्ति का दावा करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह वत्य जिससे शति पूँछी, निगम के अभिकर्ता (Agent) भववा कमचारी ने भवनी व्यक्तिगत हैसियत में नहा, वरन् निगम के अभिकर्ता भववा कमचारी की हैसियत में निगम के हित में किया है।

(६) अमिक सघ (Trade union)—भारतीय अमिक सघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के अन्तर्गत रजिस्टर अमिक सघ के विहृद सघ के रजिस्टर नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कमचारी क्वल कुछ विदिष्ट क्षतिहृदयों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल छ्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामाय नियम है कि पागल छ्यक्ति क्षतिहृदय कानून के अन्तर्गत उन वृत्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिनके प्रति वह फौजदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यही चान मदाव (Drunk) व्यक्ति के लिए भी वहां जा सकता है। सकिन यह बात बचाव के लिए तब तक पर्याप्त नहा हांगो जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उस व्यक्ति ने मद्यपान भवनी इच्छा के विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु वया मल्पवयस्क व्यक्तियों पर क्षतिहृदय कानून के अन्तर्गत मुक्तमा नहीं चलाया जा सकता। जिस क्षतिपूर्ण कान्ध में पूढ़ाना या डोप आवश्यक तरह हों, वहां शिशु वा मल्पवयस्क होता एक अच्छा बचाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—इंग्लैण्ड के सावजनिक कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर प्रत्येके मुक्तदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके पति को भी प्रतिवानी के रूप में सम्मिलित न कर लिया जाय, बिन्तु सन् १८८२ ई० के विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के प्रत्यगत विवाहित स्त्री पर प्रत्येके भी मुक्तमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों को सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ के प्रत्यगत विवाहित स्त्री पर प्रत्येके भी मुक्तदमा चलाया जा सकता है। सेकिन यह अधिनियम हाँह, मुख्यमान, बोट, जैन और चिक्ष्य स्त्रियों पर सारू नहीं होता। विवाहित मिया एवं शतिकर्ता अधिनियम, १९३५ (Married Women and Torts Act, 1935) के प्रत्यगत स्त्रियों द्वारा किये गये क्षतिहृदयों के लिए उनके पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

नहीं पढ़ौच सकती (King can do no wrong) अतएव सर्वेषानिक कानून का यह एक सापाय सिद्धात है कि सम्मान अधिकारी राज्याध्यक्ष (Head of the Government) भक्ति कानूनी कायदाही से उमुक्त समझे जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्राय राज्याध्यक्ष मणिमण्डल (Cabinet) द्वारा सलाह पर काय करता है और जो भी घानाएं अधिकारी घादा दिये जाते हैं, उन पर केवल सरकार के प्रतीक के रूप में उसका नाम होता है।

(२) विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष (Foreign Sovereigns)—सापारणतया विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष पर शांतिवृत्त कानून के अनुगत दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह स्वयं ही अपनी उमुक्ति (Immunity) का स्वच्छा स परिव्याग वर इतो उम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कानूनी उमुक्ति विदेशी सत्ताधारियों के अनिरिक्त राजदूतों को भी प्राप्त है।

भारताय संविधान की धारा १६१ के प्रनुभार भारत के राष्ट्रपति (President of India) राज्यों के राज्यपाल (Governors of the States), उथा राज्यप्रमुखों पर विसी धायात्रय म मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

एक बात जो इस सम्बन्ध में विभाग स्वयं से स्मरणीय है वह यह है कि विसी भी दश के राज्याध्यक्ष, चार व विसी छात दण के ही अधिका वड दण क, सदा एक रामान हा मान जाते हैं, अर्यात् उनके छोर वड हान व आधार पर उनमे इसी प्रवार का भेदभाव नहीं माना जाता।

(३) राजदूत (Ambassador)—विदेशी सत्ताधारा राज्याध्यक्षों की भावि जो राजदूतों का भी कानूनी उमुक्ति प्राप्त है उथा उनक परिवार के सम्पत्ती का भी दून मा दीवानी तथा विदेशी उमुक्तियां प्राप्त होती हैं। अब उन पर शांतिवृत्त के अन्तर्गत शांतिवृत्त के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि व स्वयं उन उमुक्तियों का परिव्याग न कर दें।

(४) राजकीय कर्मचारी (Public or State officials)—यदि वाई राजकाय कर्मचारी सरकारी मरक की हैमियन स का एक वृत्त इर जिसमे विसी व्यक्ति को दानि पढ़ौच तो वह उम कर्त्तव्य के निए शांतिवृत्त कानून के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं माना जायगा। नविन यदि उमन ऐसा कर्त्तव्य अपनी व्यक्तिगत हैमियन म विदा है तो वह शांतिवृत्त के निए जिम्मेदार होगा। यह भी उनक रक्षिए कि वाई सरकारी कर्म वाई अपन घानान कर्मचारियों के कर्त्तव्यों के प्रति उन दगा दें उत्तरदायी नहीं है अबकि उनक उत्तरदायी कर्त्तव्यों के बरने का स्वयं भार्या न दिया हो। [मर्फी डाइरेक्टर दृस्टोर प्रवि विभा (१८६६), एस० भार० आयरिंग० एच० एस० ६३]

(५) निगम (Corporation)—कानून के प्रार्थना नियम पर अधिपूर्ति का दावा करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह पूर्य जिससे स्थिति पटुचो, निगम के अभिकर्ता (Agent) अथवा कमचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत म नहा, वरन् निगम के अभिकर्ता अपवा कमचारी की हैसियत में निगम के हित में निया है।

(६) श्रमिक संघ (Trade union)—भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के प्रार्थना रजिस्टर श्रमिक संघ के विशद संघ के रजिस्टर नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कमचारी क्वल कुछ विशिष्ट क्षतिकर्त्यों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल व्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामाय नियम है कि पागल व्यक्ति क्षतिकृत्य कानून के प्रत्यक्षत उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिनके प्रति वह कोङदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यहो चाहे मदाय (Drunk) व्यक्ति के लिए भी वहा जा सकती है। लेकिन यह चाहे व्यक्ति के लिए तब तक पर्याप्त नहीं हांगो जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उस व्यक्ति ने मदायान अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु तथा घल्पवयस्व व्यक्तियों पर क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत मुक्तमा नहीं बलाया जा सकता। जिस क्षतिपूण दृश्य में पूर्वज्ञान या दृष्टि आवश्यक तत्व हो, वहाँ गिर्जा वा घल्पवयस्व हाना एक अच्छा बचाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—इंग्लैण्ड के सावजनिक कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर अपने मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वि उसके पति को भी प्रतिवादी के हाथ में सम्मिलित न कर लिया जाय, किन्तु उर १८८२ ई० के विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के प्रत्यक्षत विवाहित स्त्री पर अपेल भी मुक्तमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ के प्रत्यक्षत विवाहित स्त्री पर अपेल भी मुक्तमा चलाया जा सकता है। सेविन यह अधिनियम हूँ, मुमलमान, बोद्ध, लेन और तिक्का स्त्रिया पर लागू नहीं होता। विवाहित स्त्रियों एवं क्षतिकर्ता-अधिनियम, १९३५ (Married Women and Tortfeasors Act, 1935) के प्रत्यक्षत स्त्रियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों के लिए उनके पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

प्रश्न १३—उन परिस्थितियों का विवेचनात्मक उल्लेख कीजिए जिनमें क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वत्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने उत्तर में क्षतिकृत्यन्वयी अधेजी और भारतीय कानून का अन्वर भी स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व से सुरक्षा—निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति नहीं का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वत्र मुक्ति प्राप्त कर सकता है —

(१) क्षतिकर्ता या क्षतिप्राप्त यक्ति की मृत्यु—कानून का यह एक सामाजिक सिद्धांत है कि जिसी व्यक्ति पर मुकदमा उतान का घटितगत अधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाता है (Actio personalis moritur cum Persona—A personal action dies with the parties to the cause)। यह सिद्धांत अपेक्षी सावजनिक कानून (English Common Law) का एक सामाजिक नियम है। जिसने कानून मुख्यार (विविध प्राविधिक) अधिनियम, १९३४ [The Law Reforms (Miscellaneous Provisions) Act, 1934] ने उक्त सिद्धांत में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। इस अधिनियम ने बताने के बाद अपेक्षी कानून में यह एक सामाजिक नियम हो गया है कि प्रत्येक क्षतिकर्ता के मामले में क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal representative) को क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला कर क्षतिकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। और क्षतिकर्ता की मृत्यु से यह अधिकार समाप्त न होगा। लेकिन निम्नाद्वितीय क्षतिकर्तों के लिए यह नियम लागू न होय। और क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु के साथ साथ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त हो जायगा —

- (अ) जब क्षति प्राप्त व्यक्ति को मानहानि की गयी हो,
- (ब) जब बहुवाद द्वारा क्षति पढ़ौचायी गयी हो,
- (स) जब दम्पति भर्ते से किसी को अलग होने के लिए बहका कर क्षति पहुंचायी गयी हो, तथा
- (द) व्यामिषार (Adultery) द्वारा की गयी क्षति।

प्राप्तिकारक दुर्घटना अधिनियम, १८५६ (The Fatal Accidents Act, 1846) के भावनानुसार यह प्राविधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटनाकारी मृत्यु हो जाय तो जिस क्षतिकृति का क्षतिकृत्य उसकी मृत्यु के सिए विमेहार है, उसके उपर

क्षति प्राप्त मूरक व्यक्ति के पति, पत्नी, बच्चे या उसका सम्पत्ति वा व्यवस्थापक (Administrator) क्षतिपूति के लिए मुकदमा चला सकते हैं। सेवायोजन दायित्व अधिनियम, १८८० (The Employers' Liability Act 1880) के अन्तर्गत यदि किसी कमचारी की नियुक्ति काल में ऐसे किसी भा कारण से मृत्यु हो जाय जिनका बाहर इस अधिनियम में है, तो मृतक कमचारी का वाई नो कानूनी उत्तराधिकारी सवायाज़ (Employer) पर क्षतिपूति का मुकदमा चला सकता है। अमिक्र प्रतिक्र अधिनियम, १९२५ (The Workmen Compensation Act, 1925) के प्राविधाना व अनुसार यदि किसी अमिक्र कमचारी की कारबान में काम करते समय दुष्टनारण मृत्यु हो जाय तो उस अमिक्र कमचारी के आधिकरित (Defendant) व्यक्ति कारबान वे मालिक से क्षति प्राप्त वरन के लिए उम पर दावा कर सकत है।

क्षतिकर्ता (Tortfeasor) की मृत्यु का परिणाय अप्रेजो वानून के अनुसार यह है कि उसका क्षतिपूण कृप के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होता है जबकि मृतक क्षतिकर्ता न अपने जीवनकाल में क्षति प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति या उसकी आय (Proceeds) का स्वायत्तीकरण (Appropriation) कर लिया हो। और उस सम्पत्ति अपवा आय को अपनी सम्पत्ति अपवा आय में मिला लिया हो।

### भारतीय कानून

भारतीय कानून में उम्मीद सामाय उद्घात के, कि क्षति प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु का परिणामस्वरूप उसका मुकदमा चलाने का यक्तिगत अधिकार भी समावृद्धा जाता है, निम्ननिलिम अपवा (Exceptions) है —

(अ) कानूनी प्रतिनिधि वाद अधिनियम, १८५५ (The Legal Representative's suits Act, 1855) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति वा प्रतिनिधि अपवा उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूति वा आदा कर सकता है, यदि क्षतिकर्ता की क्षति प्राप्त मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रति लिया गया हो।

(ब) प्राप्तघातक दुर्घटना अधिनियम, १८५५ (The Fatal Accidents Act, 1855) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति जो कारबाने में काम करता है, उसे समय किसी दुष्टनारण मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारी, परिवारी व सन्तान क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूति के लिए उस

जपाकी की मृत्यु के दिन से दो वर्ष का अवधि के भीतर मुकदमा चला सकता है। जबोन अवधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में अवधि दो वर्ष निर्धारित की गयी है।

(स) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (The Indian Succession Act, 1925) को पारा २०६ के अनुगत किसी व्यक्ति के कुछ जा नकाशन घाषकार उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। अतएव उसकी समृद्धि का अधिकारी (Administrator) एवं अतिकृत्य के लिए जो उस मृतक व्यक्ति के जावनशाल में किया गया हो और जो मानहानि (Decimation) आम स्थल या प्रहार (Assault) तथा विकिरण क्षति (Personal injury) के बग का क्षतिकृत्य न हो, अतिकृति के विरुद्ध अतिपूति का मुकदमा चला सकता है।

अतिकृति का मृत्यु के परिणाम के विषय में भारतीय कानून यह है कि विसी अतिकृति के अधिकारी (Administrator) या प्रतिनिधि (Representative) पर एवं अतिकृत्य का अतिपूति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो मृतक अतिकृति ने घपन जीवन वाले में किया हो और जो मानहानि, आम स्थल या प्रहार तथा विकिरण क्षति के गण का क्षतिकृत्य न रहा हो।

(३) निवाचन द्वारा परित्याग (Waiver by election)—जब किसी दानि प्राप्ति व्यक्ति का विसी क्षतिकृत्य का प्रतिकार करने के लिए अपेक्षा कानूनी उपाय उपलब्ध हो और वह उनमें से विसी एवं जो कायदाही के लिए चुन ले तो उसे उपायों के लिए यह समझा जायगा कि उसने निवाचन के द्वारा उचित परित्याग कर दिया है। उदाहरणालय, यदि वाई अतिपूति क्षति क्षतिकृत्य कानून के अनुगत भी अभिभाव्य (Actionable) हो और उसके लिए सविचाभगाकरण (Breach of Contract) के अनुगत भी कायदाही की जो सँकेत दाति प्राप्त अवधि अतिकृति की कायदाही करता चुन ले तो वह किर अतिकृत्य कानून के अनुगत अवधिपूति का मुकदमा नहीं चला सकता, परन्तु वह वक्तिपर दावदारी (Alienative relief) अवधि ले सकता है। [नीते प्रति हाफिङ (१८५१), सौ० एवं १४६]

(४) समर्झिता एवं सन्तोष (Accord and satisfaction)—यदि वा और प्रतिवानी में परस्पर समझौता हो जाता है जिसमें उत्तराधिकार प्रतिवानी अवधिनगत एवं संतोषित दृष्टि द्वारा उसको सम्मुखीकरण कर दता है तो वादी का अतिपूति प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। स्पष्टता इह है कि परस्पर समझौता द्वारा वादी का सम्मुखीकरण किया जा सकियमित नहीं

है। [लो प्रति लकाशायर एण्ड याक रेसवे कम्पनी (१८७९), एल० थार० ६ चासरी डिं ५२७]

(४) मुक्ति (Release)—वादी अपने प्रति विद्य गय शतिष्ठिय कृत्य की शतिष्ठिति प्राप्त करने के अधिकार को स्वयं भी छोड़ सकता है। इस सम्बाय म अपेजी कानून यह है कि इस प्रवार का मुक्ति पत्र या तो लिखित होना चाहिए या इस प्रवार की मुक्ति के लिए वादी को कुछ प्रतिदान (Consideration) अवश्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भारतीय कानून में मुक्ति के बदल में कोई प्रतिदान लेना अनिवाय नहीं है।

(५) मौन सम्मति (Acquiescence)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति अपने क्षति पूति पान के अधिकार को जानते हुए भी एक सम्बोध समय तक कोई कायबाहो नहीं करता और चूप्ती साध लता है तो विषक्षी यह निष्पत्र निरान मर्ता है कि सम्भवत उसन अपना शतिष्ठिति का मुख्दमा चलान के अधिकार को त्याग दिया है। लेकिन मौन सम्मति का यह सिद्धात अधिकतर वादी के व्यवहार पर अधिकार के प्रति सचेत पान पर अवलम्बित है।

(६) न्यायादेश का निष्पादन (Execution of judgment)—कानून का यह एक सामाय नियम है कि काई भी एक व्यक्ति एक शतिष्ठिय के लिए केवल एक बार ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उग पर दार-बार मुख्दमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस सामाय नियम के निम्नलिखित अपवाद भी हैं—

(अ) यदि किसी शतिष्ठिय कृत्य से लगातार किसी व्यक्ति को नित्य क्षति पहुंचती जा रही हो तो एक बार शतिष्ठिति प्राप्त कर लेने के बाद शतिष्ठिति के लिए पुन दावा किया जा सकता है।

(ब) यदि एक ही शतिष्ठिय हारा किसी व्यक्ति ने दो विभिन्न अधिकारों को भग किया गया हो तो शतिष्ठिति के विषद एक से अधिक मुख्दम भग किये गये अधिकारों वे अनुयार चलाये जा सकते हैं।

(स) उन मामलों म जिनम वास्तविक क्षति (Actual damage) मुख्दमे का मूल क्षय नहीं है अथवा उन मामलों म जिनमे क्षति ही भभियोज्य कृत्य का मूलाधार है, परिस्थिति के अनुयार मुख्दमे घलाय जा सकते हैं।

(७) तमादी (Bar of limitation)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति शतिष्ठिति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उपर्युक्त यायासय में मुख्दमा दायर करने में

असमय रहे तो तमादी द्वारा उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

भारत के नवीन अवधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में विभिन्न प्रकार के क्षतिकृतियों की कायवाही के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न १४—प्रिंदेश में किये गये क्षतिकृतियों के कानून पर जैसा कि इगलैण्ट और भारत में अचालत है, अधिकृत निर्णयों से पुष्टीकरण करते हुए सन्निम्न टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—प्रिंदेश में किये गये क्षतिकृतियों का कानून—प्रिंदेश में किये गये क्षतिकृतियों का कानून जो इगलैण्ट में प्रचलित है, वही भारत में भी है। अग्रेजी कानून का यह एक सामान्य नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अचल सम्पत्ति (Immovable property) के प्रति कोई क्षतिपूण वर्त्य कर तो क्षति प्राप्त यक्ति क्षतिकर्ता पर तब तक क्षतिपूति का मुकदमा नहीं चला सकता। जब तक कि वह विदेश में हो, भले ही क्षतिकर्ता इगलैण्ट का नागरिक हो। लेकिन यदि क्षतिपूण वर्त्य किसी की चल सम्पत्ति (Movable property) या गतीर (Person) के प्रति किया गया हो तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को क्षतिकर्ता पर क्षतिपूति प्राप्त करने के लिए वेवल निम्नलिखित परिस्थितियां में मुकदमा चलाने का अधिकार है, भले ही क्षतिकर्ता विदेश में हो—

(म) प्रतिवादी ने जो दातिपूण वर्त्य किया है, वह उस देश के कानून के विचार से गैरकाननी हो, जहाँ वह किया गया है। उदाहरणाय, यदि कोई नद्य इगलैण्ट में गैरकानूनों है कि तु भारत में कानून सम्मत है तो ऐसे वर्त्य के लिए इगलैण्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। यदि वह वर्त्य भारत में किया गया हो। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख मामले का अधिकार निर्णय उल्लेखनीय है। बांग्ना ने जमैका के राज्यपाल (Governor of Jamaica) पर अवधि कारावास (Illegal detention) के लिए क्षतिपूति का मुकदमा चलाया जिसमें राज्यपाल को और से यह दलील दी गयी कि उसने बांग्ना को राजद्रोह का दमन करने के गिरफ्तारी में कारावासित किया था। और जमैका के कानून के अन्तर्गत उसको एसा करने का अधिकार था। इस मामले में निर्णय देते हुए विद्वान् यायाधीन ने कहा कि यदि किसी अवधि दान के कानून में कोई काय वंश (Lawful) है तो उसके लिए इगलैण्ट में क्षतिपूति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही वह कृत्य इगलैण्ट के कानून में काय वंश हो। [किन्तु प्रति घायर (१९७०), ६ ब्यू० बी० १]

(ब) प्रतिवादी ने जो क्षतिपूरण दृत्य किया है, वह इस प्रवार का होना चाहिए कि यदि वह इगलैण्ड में किया जाता तो अभियोज्य (Actionable) हाता। उदाहरणाथ, यदि किसी अधेज ने भागत में ऐसा कृत्य किया है जो भारतीय कानून के अनुच्छेद तो अभियोज्य है किन्तु इगलैण्ड के कानून के अनुच्छेद अभियोज्य नहीं है तो वादी को जिम्मे बल सम्पत्ति या शरीर की क्षति पटौचो है, इगलैण्ड में उसने दृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दारा करने का अधिकार नहीं है। बारण पह है कि इगलैण्ड अपने दारा का कानून ही अपना देश में लागू कर सकता है, विदेश का कानून नहा। ऐसे दृत्य के लिए, यदि वादी को कानूनों का समान प्राप्त है, तो भारत में ही क्षतिपूर्ति का मुकदमा बल सकता है।

प्रश्न १५—‘जान वूक वर आपत्ति लेना’ (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर—जान वूक वर आपत्ति लेना (Volenti non fit injuria),— क्षतिकृत्य कानून का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है कि यदि बोई व्यक्ति जान वूभकर अपने ऊपर आपत्ति लता है और उस दशा में उस की दृष्टि पटौचतो है तो उस क्षति के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त ‘जान-वूभकर आपत्ति लना’ (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त बहलाता है। इस सिद्धान्त के प्रत्यक्ष वेवल शरीर (Person) का पटौची क्षति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धान्त के लागू वरने के लिए दो बातें विशेष स्पष्ट से विचारणीय हैं। एक तो यह कि क्षति प्राप्त व्यक्ति न अपने आपका जान वूभकर आपत्तिजनक परिस्थिति में ढाला हुए, और दूसरी यह कि आपत्तिजनक परिस्थिति ये जो क्षति उसको पटौची हो, उसका पूर्णान भी उस हो। यह बात भी विचारणीय है कि क्षति प्राप्त व्यक्ति न अपने को आपत्तिजनक परिस्थिति में ढालने को सहमति (Consent) बच्चापूवक घोट स्वतंत्रतापूवक ही हो। इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट रहे कि वेवल जोहिम के जान होने का अर्थ ही सहमति नहीं है। [हिस प्रति हारड़, (१६३५), १ वे ० चौ० १४६]

अपने उस सिद्धान्त को भली प्रवार दमकते के लिए एक उदाहरण देना आवश्यक है। मान सोजिए कि किसी दगीचे के मालिक ने अपने दगीचे की रक्षा के लिए कुत्ते पास रखे हैं और दगीचे के बाहर दरवाजे पर यह तम्ही लिख कर टांग दी है कि इस दगीचे में कुत्ते पल हैं। अब यदि उम दगीचे में कोई व्यक्ति मकारण प्रवेश करता है और कुत्ते वसे काट लेते हैं तो वह व्यक्ति उम कुत्तों के मालिक से क्षतिपूर्ति

प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने वो उस आवधिजाक परिस्थिति में स्वयं दाना है और उस परिस्थिति की जोविष्म वा उस पूर्व नाम भी है। इसी प्रकार यदि पाई रोगी किसी साने वा पापा जाय और वह सजन उम वत्साय वा आपरेशन में उसके प्राणों वा खतरा है और इस पर भी वह रागी उस सजन से आपरेशन बराय तो आपरेशन में यदि रोगा वो बाइ दाति पहुँचती है तो सजन शातिपूति देने का जिम्मेदार नहीं है।

ऐसा मामल में जिसमें प्रतिवाची की लापरवाही से बादी को दाति पहुँची हो, उन्हें उस सिद्धान्त की दलोल बचाव में बारबर न होगी। इस प्रकार वा एक मामला उल्लेखनीय है। प्रतिवाची के नोकर ने एक घोड़ागाड़ी साधजनिक भाग पर छोड़ दी। घोड़े गाड़ी को दिना विनी चालक के हो सेवर सड़क पर भाग निवल। बादी ने जो एक पुलिस सिपाही वा, गाड़ी को दिना चालक के सड़क पर भागते देता। उसकी दृष्टियों उस समय सड़क पर नहीं थी बल्कि पुलिस स्टेशन पर थी। वह पुलिस स्टेशन से बाहर आया और उसने खेला वा शड़क पर इम प्रबार दिना चालक के भागती हुई घोड़ागाड़ी को यदि न रोका गया तो वह सड़क पर चलने वाले एक स्त्री और कुछ बच्चों का तुरात बुचल देगा। बादी ने उहैं बचाने के लिए अपने वो खतर में डाल कर गाड़ी राक ली और इस प्रयत्न में वह दुरी तरह घायल हो गया। उसने शातिपूति के लिए गानों के स्वामी के विश्वद मुकदमा चलाया। प्रतिवाची ने उपर्युक्त सिद्धान्त की दलोल अपने बचाव में दी। विद्वान् यायाधीश न निषय दिया वा जिस प्रबार की घटनाएँ इम मुस्क्यम म हैं, उन परिस्थितियों में प्रतिवाची की दलोल नितारत स्थिर है, क्याकि जान-बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। प्रतिवाची ने बहुत ही लापरवाहीपूर्वक अपने बादी प्रतिवाची से शातिपूति पाने का गानूनन घघिकारी है। [इस प्रति हारयुह (१६३५), १ वा० दो० १४६]

प्रश्न ६—निम्नलिखित समस्याओं की समस्यापूर्ति कीजिए —

(अ) 'त' यह जानते हुए कि 'स' पाराव पिए हुए है, उसकी बार में दिना भाड़े के यात्रों की हैसियत से उकर करता है। 'स' पाराव के नरों में द्रुतगति से बार चलाना है। रामत में वह एक अम्य यात्रों को बार रोड़ बार उतार दता है और फिर उसों द्रुतगति से बार चलाने लगता है। 'व' फिर भी अपनी यात्रा की, यह जानते हुए भी वि 'त' में इस प्रबार बार चलाने से लगता है, जारी रखता है। यवस्मात् कार विनी पेड़ में टकराती है जिसके परिणामस्वरूप 'क' दुरी तरह घायल हो जाता है। वह शातिपूति के लिए 'त' के विश्वद मुकदमा चलाना है। 'त' अपने बचाव में

जान वूझकर भ्रापति लेने (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त को दलील देता है।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' को क्षतिपूति के लिए 'ख' उत्तरदायी है ?

(ब) 'ख' अपनी घोड़ागाड़ी को सावजनिक भाग पर बिना चालक के छोड़ कर समीप की दूवान पर सामान खरीदने चला जाता है। उस समय जबकि वह दूवान के भीतर खरीदारी कर रहा होता है, सड़क पर चलता हुआ बोई व्यक्ति "रार" तन पटाका छोड़ देता है जिसके घमाके से बिटक कर घोड़े गाड़ी को लेकर भाग निकलते हैं। 'क' इस प्रकार बिना चालक के सड़क पर भागती हुई घोड़ागाड़ी को जिससे सड़क पर चलते हुए लोगों के कुचले जाने वा खतरा है, रोकन का प्रयास परता है और परिणामस्वरूप उसको चाट पहुंचती है। वह क्षतिपूति के लिए 'ख' के विशद् मुकदमा चलाता है। 'ख' अपन बचाव में यह दलील देता है कि 'क' ने स्वेच्छा से जान दूँझ कर यह भ्रापति लो और यह कि पटाका छोड़न वाले व्यक्ति के भ्रपकृत्य से यह घटना पटी है जिसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं हो सकता।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' का क्षतिपूति के लिए 'ख' उत्तरदायी है ?

(स) 'क' को रेलवे स्टेशन जाना है। वह 'ख' के तींग में किराया दब्तर खलता है। 'ख' रेलवे स्टेशन को सड़क पर तींग चलाते हुए ऐसे मोड़ पर भ्राता है जहाँ मरम्मत के लिए सड़क बद होन की तस्ली लगी है। 'ख' तींग का दूसरों पुमारार सड़क से जान के लिए मोड़ता है। 'क' को रेलवे स्टेशन पहुंचने की जल्दी है। वह यह दब्तरे हुए भी कि एक अन्य तींग उसका बाहर सड़क की बगल से जहर्ता एक सतरनान फ्लान है, मुरशित गुजर जाना है, 'ख' में भी उसा और में तांगा ले जाने को बहता है। 'ख' उसकी बान मानवर उम और में तींगा ले जाने को कोणिया परता है। लेकिन उनान पर तांगा पिस्ल जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। वह एवं दूसर के विरुद्ध क्षतिपूति का दावा करते हैं।

उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' अद्यता 'ख' में कौन क्षतिपूति के लिए जिम्मेदार है ?

(द) सड़क पर पैरेस चलते हुए 'क' को 'ख' मोटरवार चलात हुए मिलता है। दोनों मिलते हैं। 'ख' 'क' से मोटरवार में बैठने के लिए बहता है और 'ख' उसकी बात स्वीकार कर लेता है। 'ख' की असावधानी से मोटरवार बिसी पड़ से टकरा जाती है जिसके परिणामस्वरूप 'क' को घोट पहुंचती है। वह 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूति का दावा करता है।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' की क्षतिपूति के लिए 'ख' जिम्मेदार है ?

**उत्तर—समस्याएँ—**(म) आमतौर से यदि किसी व्यक्ति को खतरे का पूर्व जान हो और वह फिर भा जाविम उठाए तो यह समझा जायगा कि उसने जान दूर कर आपत्ति ली। सेकिन यदि किसी व्यक्ति को भाय व्यक्ति के कानूनी बत्तयों का पालन न करने के कारण अति पढ़ु चो हो तो उसकी क्षतिपूति के लिए क्षतिवर्ती जिम्मेदार होगा और वह जान दूर कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का मिठात की दलील अपने बचाव में नहीं दे सकेगा। [देन प्रति हेमिल्टन (१६३६), १ वो ५०७] प्रस्तुत मामले में यद्यपि यह मही है कि 'क' को खतरे का पूर्व जान या और उसने स्वच्छा से आपत्ति ली, परन्तु 'ख' ने भी दाराब पीकर कार चलाने हुए अपनी कार के यात्रियों की सुरक्षा का अपना कानूनी बत्त य पालन नहीं किया। बार की दुघटना जिसके परिणामस्वरूप 'क' घायल हुआ, 'ख' के उक्त कानूनी बत्तयों को भग करने के बारण हुई। अतएव 'ख' 'क' की क्षतिपूति के लिए जिम्मेदार है।

(ब) प्रस्तुत मामल की घटनाए [हस प्रति हारवुड (१६३५), १ वो ५०८४] के मामल की पटनाप्रो से मिलती जुलती हैं। इस मामल में यह तथ्य हुआ है कि जान दूर कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धांत ऐसी परिस्थितिया में लागू नहीं होगा जिनमें पढ़ु चो क्षति के लिए प्रतिवादी अपनी लापर वाही के कारण जिम्मेदार हो। प्रस्तुत मामले में 'ख' ने अपनी घाड़ागानी को सावजनिक मार्ग पर बिना चालक के ढाढ़कर बहुत हा लापरवाही का व्यवहार किया। उसे यह जानना चाहिए था कि ऐसी हालत में घाड़े गाड़ी को लकर भाग सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर चलते हुए लोगों की जान व माल का खतरा हा सकता है तथा वाई व्यक्ति उँहें रातने की भी कोणिंग कर सकता है। 'क' ने जिन परिस्थितिया में घोड़ा को रोकने की कोणिंग की ओर वह योग्यत हुआ उनम जार दूर कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि पटना सबव्या 'ल' को लापरवाही का हत्याण परिणाम है। यह दलाल भी कि घरना पटाना छोड़ने वाले व्यक्ति के अपकृत्य व कारण घटी, 'ख' का जिम्मेदारी को हन्ता घयश नहीं बरतो। पटाना छोड़ने वाले व्यक्ति न एक अपकृत्य अवश्य किया। एक सही निमाग रागिक वा हैसियत में उसे एसा दरारत नहीं करनी चाहिए थी। इस घटना का उत्तरदायित्र उन पर भा है। लविन 'ल' को भी यह जानना चाहिए था कि यह बिना चालक के सावजनिक मार्ग पर घोड़ा गाड़ी छाड़ रहा है और यदि किसी इर्दिके को गरारत से पांडे बिंक गए तो लागा के जान

व माल को धति पहुँचने की सम्भावना है। अतएव 'क' प्रत्येक परिस्थिति में 'क' वी धतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

(स) प्रस्तुत मामले में 'क' घपवा 'क' में स नाई भी एक दूसरे का धतिपूर्ति वा जिम्मेदार नहीं है। 'क' न स्वयं 'क' से उम खतखाक छनान स तागा ले जाने वो कहा और स्वेच्छा स स्वयं जान बूझकर आपति ली तथा 'क' न तागा चलाने हुए कोई लापरवाही या असावधानी का व्यवहार नहीं किया। अतएव 'क' वी धतिपूर्ति के लिए 'क' वाचपि जिम्मेदार नहीं है। इसो प्रतार 'क' न भा धनर वा दूर नान हास हुए 'क' को वात मानकर स्वेच्छा स आपति ली इसलिए 'क' उसको धतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(द) प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि दुपटना 'क' की असावधानी के बारण थठी। अतएव इस मामले में जान बूझ कर भारति लेन (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त साझा नहीं होता। ऐन प्रति हेमिल्टन [ (१८३६) १ के० वी० ५०७ ] के प्रसिद्ध मामले में यह तथा हुआ है कि यदि दुपटना प्रतिवादा की लापरवाही या असावधानी का उत्थाण परिणाम हो तो वह बादी द्वारा जान बूझ कर भारति लेन की दलोल घपन बचाव म नहीं द सकता। प्रस्तुत मामले में 'क' ने भल ही स्वेच्छा से 'क' वी मोटर कार में चलना स्वीकार कर लिया बिन्तु उसे 'क' की असावधानी से चोट पहुँची। अतएव 'क' उसकी धतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न १७—ऐसे सामान्य अपवाहों की तालिका प्रस्तुत कीजिए जिनमें किये गये धतिष्ठ्य अभियोज्य नहीं होते।

उत्तर—सामान्य अपवाह—यद्यपि व्यक्ति का कोई भी ऐसा कृत्य जिसके द्वारा उसन धाय व्यक्ति के कानूनी अधिकार का भग किया हो या धाय व्यक्ति के प्रति कानूनी व्यवधार का पालन करने म असमय रहा ही, धतिष्ठ्य कानून के अत्यन्त अभियोज्य है, सेविन इस सामाय सिद्धान्त के कुछ घपवाह भी हैं। ये घपवाह माव जनिव शाति व्यपन्ना तथा सार्वजनिक मुदिषा के गिदाना पर आधारित हैं। सर फ्रेडरिक पॉलक (Sir Fredrick Pollock) व मतानुयार य अपवाह एसो उमुक्तियों (Immunities) हैं जो व्यक्ति के कानूना आवित्व को सामित बरती हैं। इन सामाय घपवाहों घपवा उमुक्तियों को तालिका निम्नलिखित है —

(१) राय कृत्य (Act of state),

(२) कायपातिता (Executive), यायपातिता (Judiciary) एवं अप-न्यायिक (Quasi Judicial) कृत्य,

(३) माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा विव ग्र कृत्य,

- (४) प्रवस्थाभावो दुष्टनाय (Inevitable accidentis),
- (५) सहमति से किये गये कृत्य,
- (६) भावशक तथा सावजनिक हित में किये गये कृत्य,
- (७) स्वरक्षा के सिए किये गये कृत्य,
- (८) सामाजिक अधिकारों के उपभोग के लिये किये गये कृत्य (Exercise of Common right),
- (९) साधारण क्षतिपूण कृत्य,
- (१०) कानून सम्मत कृत्य,
- (११) व्यक्तिगत उमुक्तियाँ (Personal immunities), एवं
- (१२) ईश्वरीय कृत्य (Act of God)।

प्रश्न १६—राज्य कृत्यों (Acts of State) के आचित्य (Justification) की विवेचना करते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन भी जिनमें  
के क्षतिहृदय कानून के अन्तर्गत अभियोज्य हो जाते हैं।

उत्तर—राज्य कृत्यों का आचित्य—सर जेम्स स्टीफन (Sir James Stephen) ने राज्य कृत्यों की परिभाषा देते हुए यहा है कि राज्य कृत्यों के प्रातगत समाट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये सभी अधिकृत कृत्य सम्मिलित हैं। इगलेंड के कानून का यह एक सामाजिक सिद्धान्त है कि समाट कुछ भी अनुचित नहीं करता। इसी सामाजिक सिद्धान्त के प्रनुगार सम्मान अपदा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अधिकृत कृत्य क्षतिहृदय कानून के प्रातगत अभियोज्य नहीं होते। यदि किसी घटना के बाद भी स्वीकृति देती हो तो वह भी राज्य कृत्य समझा जाता है और उसके विषद् कायबाहा नहीं की जा सकती। [बहन प्रति ऐमा (१८४७), २ एक्स० १६७]

भारत में भी राज्य कृत्यों के आचित्य के सम्बन्ध में इगलेंड में प्रचलित मिदात ही अधिकतर लागू होते हैं। भारतीय कानून के अन्तर्गत सरकार अपने विधायिका द्वारा किये गये ऐसे क्षतिहृदयों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उन्होंने अपने कानूनी विधायों का अधिकृत स्वयं संपादन वरन् में किये हों। इस उमुक्ति का अधार यह हिदात है। कानून द्वारा धर्म धोषित किया हुआ कृत्य वरन् ए विद्या यों कानून की हस्ति में कार्ड क्षति पहुँच ही नहीं सरकारी, और जब क्षति ही नहीं पहुँच सकती तो क्षतिपूर्ति भी प्राप्य नहीं है और ए ही मुख्दमा चलान के लिए कोई अधार है। लेकिन यह घटना रहे कि यदि यह तिक्क कर दिया जाए कि ऐसा कृत्य क्षमावधानी के किया गया है तो क्षतिपूर्ति के लिए मुख्दमा चलाया जा सकता है।

उदाहरणाय, यदि विधान मठल (Legislature) ने किसी माग पर रेलवे चलाने का बानन बना दिया है तो उस रेलवे लाइन के स्टेशन के पास रहने वाले इस आधार पर क्षतिपूनि का मुकदमा नहीं चला सकते कि रेलो की आवाज से, उनका क्षति पहुँचती है। किन्तु यदि यह रेलवे कम्पनी विसी बस्ती म अपना कारखाना खोल दे और उसके द्वारा स उस बस्ती म रहने वालों को क्षति पहुँचे तो क्षातप्राप्त व्यक्तियों को उस कम्पनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिय अच्छा आधार होगा। [ राजभौहन बोस प्रति ईस्ट इंडिया रेलव (१८७२) १० बी० एल० आर० ५४१ ]

उपर्युक्त परिस्थिति के अतिरिक्त राज्य कृत्य निम्नसिखित परिस्थितियों में भी अभियोज्य हो जाते हैं —

(१) जबकि अचल सम्पत्ति पर अनाधिकार प्रवेश किया जाय ,

(२) जबकि कानून द्वारा दायित्व स्वीकृत हो, एवं

(३) जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि कमचारी द्वारा किय गय कार्य से सरकार को लाभ पहुँचा है।

प्रश्न १६ — ‘अवश्यम्भावी दुष्टनाएँ’ क्या हैं ? क्षतिकृत्य कानून के अर्तमें औचित्य पर टिप्पणी लिखए।

उ०— अवश्यम्भावी दुष्टनाएँ— अब यम्भावी दुष्टना (Inevitable Accidents) वह दुष्टना है, जिसको सतक, सावधानी (Reasonable prudence) या सतकता (vigilence) के बरतन पर भी न रोका जा सक। कानून का (Technical) माया म एपो दुष्टना को जिस सतक, सावधानी या सतकता बरतन पर बचाया जा सक, अवश्यम्भावी दुष्टना नहीं बहा जायगा। अवश्यम्भावी दुष्टना म बारण विलुप्त हो प्रत्याशित (Unforeseen) होने चाहिए।

ऐसी दुष्टना ही अवश्यम्भावी दुष्टना की श्रेणी में रखी जा सकती है जो सावधानी या सतकता बरतने पर भी घटित हो जाय। उदाहरणाय, यदि कोई व्यक्ति अपन साथ स्वत आग लग जाने वाला पदाय (Explosive substance) को न जा रहा हो तो उसका क्षतिय है कि वह आग लगन वाल कारणों स बचने के लिए गतकता बरत, विन्तु यहि अप्रत्याशित बारण स उस पदाय म आग लग जाय तो उसके परिणामस्वरूप जा जाति विसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को पहुँचेगी उसका उत्तरदायित्व उस पदाय को स जान बाने व्यक्ति पर न होगा, क्योंकि वह अनि अवश्यम्भावी दुष्टनाक्षय पहुँचो।

उपर्युक्त विधय के प्रबरण में ज्ञानन प्रति के तेल [(१८५०), ६ वार्षिक २६२] का मुद्रदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुद्रदमे की घटनायें इस प्रकार हैं— एक बार बादों और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। प्रतिवादी कुत्तों को हुडात के लिए उनको मार रहा था और बादों वही खड़ा इस घटना को देख रहा था। इसी दौरे प्रतिवादी डारा बादों की आख में चोट लग गई। बादों न क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी पर मुद्रदमा छलाया। यायात्रा न निशुल्य दिया कि प्रतिवादी का दृश्य पूरा=या विधिपूर्ण था, वर्षाँसि उड़त हुए उत्ता को अनुग बरना एक उचित व्याय था। यदि एक विधिपूर्ण और उचित व्यवहय सतर्कता एवं सावधानी से बरन पर भी यह व्यवहय ना हो गई और बादों की आख में चाट लग गई तो वह अदृश्यमभावी हुपर्या हो द्योग इसके लिए बाहर की प्रतिवादा से क्षतिपूर्ति पाना बा अधिकार नहीं।

त्वरण रह कि अवश्यमभावों दुष्टनामा प्राय दो कारणों से होती हैं। एक सो वे रा हिसा प्राकृतिक कारणवा हुई है, और दूसरी व जा किसी मनुष्य द्वारा तो हूँ हों लिन उनको सतर्कता एवं सावधानी बरतन पर भाराका जाना मनुष्य की सामान्य क बढ़ाव है। पहले प्रकार की अवश्यमभावों दुष्टनामा को हम "द्वरीय दृश्य (Act of God) कहते हैं। एकी दुष्टनाओं के उदाहरण के लिए यदि किसी घटना पर ता में चलते समय बजना गिर पड़ भार उससे उसकी मृत्यु हो जाय तो हम उसे प्राकृतिक दूष्टना कहते हैं। लिन यदि राह चलते समय दिसा व्यक्ति का पैर विवल गाए और वह गिर बर चाट ला जाय तो दूसरे क्षय के लिए यदि किसी सतर्क, सावधानी बरतन पर भी हो गई। सावधानी का मापन के लिए बोई माप दण्ड नहा है। पर सावधानी की प्राय तो बाटियाँ (Degrees) हो सकती हैं— साधारण में क्षम, साधारण और साधारण से अधिक। साधारण सावधानी या साधन सावधानी उस सावधानी की बहते हैं जो कि साधारण यक्ति सामायत साधारण परिस्थितियों में बरतत है।

प्र० २० —क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत न्यायाधीशों की उमुक्ति (Immunity) पर मतिस टिप्पणी लिखिए।

उ०—न्यायाधीशों की उमुक्ति —क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत कुछ विभिन्न अतिया का कानूनी दावितों से सूट या उमुक्ति प्राप्त होती है। इन उमुक्तियों का याधार साधनिक दान्ति ध्वस्था या साधनिक मुविधा होता

। याधारों को इसी प्रकार की उमुक्तियों प्राप्त हैं। किसी याधारों पर किसी एक वर्त्य के लिए क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत मुक्तमा नहीं चलाया जा सकता

जिसको कि उसने, अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिये किया हो, भले ही उमकाय व्यवहार क्षतिपूण बर्यों न रहा हो। अत यदि किसी 'यायाधीश' ने विसी मुकदम के कामले में विसी के प्रति कुछ अपमानकारी बातें निलो हो तो वे अपमानकारी लेख (Libel) नहीं मानी जायेगी और न ही उस 'यायाधीश' के विशदभानहानि का मुख्यमा चलाया जा सकगा।

'यायाधीश' को उमुक्ति वा उद्दीप्त यह है कि वह अपना काय निभवनापूरक कर सक। श्री रत्नसाह धीरजसाल के मतानुसार यह उमुक्ति रिखा भए या ईर्पानु-यायाधीश इहि व तिए नहीं है, वहि व सावजनिक व्यायाएं व तिथ है। इसी सायनिक अल्पाण के उद्दीप्त पर प्राधारित गभी आधुनिक सिद्धाना म 'यायाधीशों' को बाहु प्रभावा से गुरा रखा गया है और यह अपन 'याय सम्बन्धों' बत यों व पालन करन ग जा दुउ भा करत या कहत हैं, उमर तिय उट रिया प्रभार भी उत्तरदाया नहीं ठ राया या सबता है। भारत क संविधान (Constitution of India) न भा 'यायाधीश' को इस प्रभार का उमुक्तिया द रखी है। लकिन यदि 'दृष्टिकृत्य' का यायाधीश जानूर्स वर अपन धर्मित्र (Jurisdiction) स बाहर काय करता है तार अपराधिकार संविधान के अधिकार है तो धर्मित्र प्राप्त व्यक्ति को 'यायाधीश' के विशद धनिरूपि के लिए मुक्तमा चान दा अधिकार है।

पच (Arbitrator) तथा जूरो (Jury man), भी 'यायाधीश' को धेणी म भान है। यन कानून उनका भी 'यायाधीश' क उमरका मानता है और जो उमुक्तियों 'यायाधीश' का प्राप्त है, व उनको ना प्राप्त है।

प्रक्ल २१—इत्यरीय इत्य कानून के अनुगत नहाँ यक शानूनी वदाय प्रस्तुत भरते हैं ? उनाहरण सर्दिव त्याख्या-वाजिए।

उ०—इत्यरीय इत्य म तात्त्वा प्राप्तिर घटनामें दो हैं जो अशरणागत रूप से परित राना हैं भीर जिह मनुष्य गतव ता धरतन पर भी पहर ग नहा जाने सकता। उदाहरणाय, 'व' को पकड़ा म एक जनान्य है तिसमें उन लियापद भरा रहता है। अचानक तज बया और तूफान ग जलान्य क बिनार हौ जाने हैं जिनक परिणामस्वरूप 'व' क मान म पानी भर जाना है और उसका धात पूर्वती है। ऐसी परिस्थिति म 'व' त' को धर्तिरूपि क लिए निम्नगर नहीं है, वयोंकि 'व' का धर्ते इत्यरीय इत्य उ पूर्ण। मनुष्य धर्ते की साधारण घटनामा का राका क लिए उत्तरता बरत राकता है, लकिन उपरी स्तरता स असाधारण प्रकामो क रका की माना नहीं को जा रकठी। कानून वा यह एक

सामाय नियम है कि जबकि कानून के अनुगत किसी व्यक्ति पर किसी कर्तव्य को पालन करने का दायित्व है और वह व्यक्ति सततता बरतते हुए भी किसी ईश्वरीय कारणवश उस कर्तव्य का पालन करने में समय नहीं हो पाता तो कानून उसके दामा कर देगा।

**प्र० २२—व्यक्तिगत स्वरक्षा (Private Defence) की परिभाषा**  
देते हुए उसके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

**उ०—व्यक्तिगत स्वरक्षा** —मक्कर एसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाती हैं जब कि व्यक्ति को अपने धर्मवा अपने पर आधित विसी व्यक्ति की जान या माल के बचाव या सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय की शरण लेना सम्भव नहीं होता। एसी परिस्थितियों में कानून ने व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वरक्षा का अधिकार दिया है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए व्यक्ति को बेबल उत्तरा ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि नितात आवश्यक हो। यह बात कि वित्तना बल प्रयोग किया जाना चाहिए परिस्थिति विशेष पर निभर है और इसी कारण उसकी माप निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल-प्रयोग की आवश्यकता वो मानित करने का उत्तरदायित्व बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर है। जिस समय व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल प्रयोग किया जा रहा हो, उस समय यदि किसी अन्य व्यक्ति को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस द्वाद में भाग न ले रहा हो, किसी प्रकार का आधात पहुँच जाय तो वह अप्रसिद्ध आपात (Accidental harm) माना जायगा।

सेविन व्यक्तिगत स्वरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने का अधिकार नहीं है जिससे कि जान बूझ कर अन्य व्यक्ति का हानि पहुँचे। उदाहरणार्थ, यदि किसी असुधारणा बाड़ जान के शारण किसी तो भूमि पर बाड़ का पानी आने वाला हो तो उस भूमि के स्वामी को अधिकार है कि अपनी भूमि का पानी स बचाने के लिए उस पर चहार दिवारी बनवा स। सेविन यह किसी को भूमि पर जल एकत्रित हो गया है तो वह उस जल को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर नहीं फेंक सकता। यह बात भी स्मरणीय है कि जब विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो जाये तो उमड़ बाढ़ बल का प्रयोग अनुचित माना जाता है। मोरिस प्रति यूजेट का मामला इस सदम म उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी वादी ने मकान के पास से बा रहा था। जिस समय वह मकान के निकट पहुँचा, मकान से निकल कर कुछ कुत्तों ने राह चलना वालों पर भूंकना शुरू कर दिया और प्रतिवादी के कुत्तों के कारण बढ़ा हुआ चमड़े का पट्टा (Gillet) भी पाठ-

किया। जब प्रतिवादी न कुत्तों को बन्दूक दिखाई तो वे भयभीत होकर भागे, इन्हुंने प्रतिवादी न गानों चला दो जिसके परिणामस्वरूप वानों का कुत्ता मर गया। इस मामले का निषेध देते हुए विद्वान् यायाधीश न यह तथा किया नि प्रतिवादी को भायते हुए कुत्ते पर गानों चलाने का कोई घोषित्य (Justification) नहीं था, चर्योंवा उस समय विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो चुकी थी। अतएव प्रतिवादी वादी को शतिरूपि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

**प्र० २३ —आवश्यक अथवा सावजनिक हित में किये गए कृत्यों के औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।**

**उ०—आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्य—** शतिरूप्य कानून में आवश्यक धर्यवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों का घोषित्य एक अच्छा कानूनी इच्छाव समझा जाता है। अतएव आवश्यक धर्यवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों द्वारा जो क्षति किसी व्यक्ति को पहुँचती है उसके लिये शतिरूपि का मुख्यमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक हित का उद्देश्य ही ऐसे कृत्यों का घोषित्य है। बात यह है कि समाज के हित के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति, स्वतंत्रता एवं प्राण प्रादि सभी कुछ की प्राप्ति दो जा सकती है। वर्धानील में सार्वजनिक हित के लिए ही सरकार गिराऊ मदानों को गिरवा देती है। हूँवते हुए जहाज को झड़ने से बचाने के लिए भवसर उम्हे ऊपर लगा हूँपा सामान समुद्र में फँका पहता है। सिद्धि यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार के कल्य तभी किये जा सकते हैं जब विषय का क्षतिरूपि परिस्थिति में निरान्त आवश्यक हों और उनसे विस्ता सार्वजनिक हित की रक्ता होती हो धर्यवा होने की सम्भावना हो।

**प्र० २४ —उन सिद्धान्तों की व्याख्या कीनिए जिनके आधार पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व पर आता है।**

**उ०—अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व ( Vicarious Liability ) —** शतिरूप्य कानून के अन्तर्गत कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी उपलिपि हो जाती हैं जब कि विसी कृत्य का करने वाला धर्यवा कृत्य द्वारा पहुँचाई गई क्षति के सिये उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उस कृत्य के लिए कोई धर्यवा व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाता है। जब विसी कृत्य के लिए उसके कर्ता को उत्तरदायी न ठहरा बर विसा धर्यवा व्यक्ति पर उपरा दायित्व दाना जाता है तो वह धर्यवा व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व ( vicarious liability )

पहलाता है। उदाहरणाथ जब किसी व्यक्ति का नीकर प्रपा किसी वृत्त्य द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की शति पहुँचाय तो उस नीवर द्वारा उस शति का उत्तरदायी न मान कर उसके स्वामी का ही उत्तरदायी माना जाता है। सामण्ड (Salmond) के मतानुसार आधुनिक याय प्रणाली में कानून दो प्रकार के वृत्त्यों में ही एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के वृत्त्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। एक ही स्वामी द्वारा सेवक के वृत्त्य के लिये उस दूसरे मुतक यति के जीवन काल में किये गए वृत्त्यों के लिए उसके प्रतिनिधि (Representative) का। क्षतिवृत्त्य कानून में पहले प्रकार के उत्तरदायित्व का ही अध्ययन किया जाता है और दूसरे प्रकार के उत्तरदायित्व साधारणतया इस कानून के अत्यंत नहीं आते।

अब व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिवृत्त्यों का दायित्व निम्नलिखित सिद्धान्तों पर भवतम्बित है —

(१) कोई व्यक्ति जब किसी अब्यक्ति द्वारा कोई वृत्त्य करता है तो कानून में वह वृत्त्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जाता है। [Qui facit alium facit per se—'He who acts through another is deemed in law as doing it himself'] सेवक के वृत्त्य के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व इसी सिद्धान्त पर भवतम्बित है लेकिन यह बात स्मरणीय है कि सेवक द्वारा किया गया वृत्त्य उसके नियुक्ति काल में किया गया हो।

(२) प्रधान (Principal) अभिवर्ती (Agent) के हाथों के लिए उत्तरदायी समझा जाना चाहिये—(Respondent Superior—'The Superior must be responsible, or let the Principal be liable')। इस सिद्धान्त का मूलाधार यह है कि कोई सभी वृत्त्य जो अभिवर्ती द्वारा किये जाते हैं, प्रधान की स्पष्ट (Express) अथवा गमित (Implied) सहमति से ही कानूनी तौर पर किये गये समझे जाते हैं और वे बास्तव में प्रधान द्वारा ही किये गये वृत्त्य हैं।

(३) आधुनिक काल में अब्यक्तियों द्वारा किये गये शतिवृत्त्यों का अधिकार उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त एक अब्यक्ति सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धान्त उपयोगिता (Expediency) और सावजनिक नीति (Public policy) पर भवतम्बित है। कानून का यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक वृत्त्य का कर्ता अपने वृत्त्य का स्वयं उत्तरदायी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अब्यक्ति द्वारा कोई वृत्त्य करता है तो उस स्वयं उस अब्यक्ति द्वारा किये गये वृत्त्य का उत्तरदायित्व लेना चाहिये। मर्फेरेस्ट्रिक पोलक (Sir Frederick Pollock) का वहना है कि कोई व्यक्ति अपने नाकरों या अभिवर्तीयों के वृत्त्यों के लिए वेदन्द

इसोलिए ही उत्तरदायी नहीं है कि उसने उन नौकरों या अभिकर्ताओं का वे कृत्य करने के लिए अधिकार दिया है अथवा वे उसके प्रतिनिधि हैं, प्रत्युत वे हृष्ट य उसके अपने मामले हैं और वे कृत्य उचित रीति से किए जायें, यह ऐसना उमड़ा करता है।

**प्रश्न २५** — किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्यों का दायित्व किन अवस्थाओं में आता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

**उ०**— किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए हृष्ट वा दायित्व निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में आता है —

(१) **पुष्टीकरण (Ratification)** — जब कोई व्यक्ति कोई कृत्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है और वह दूसरा व्यक्ति उसके कृत्य वा पुष्टीकरण कर देता है तो उस पुष्टीकरण वा हृष्ट उसी पुष्टि करने वाले व्यक्ति का समझा जाता है और उमड़ा सारा उत्तरदायित्व उसी पर भा जाता है लेकिन यह बात भी स्परणीय है कि प्रत्यक्ष पुष्टीकरण वी परिस्थिति में पुष्टिकर्ता के कारण सारी वी सारा जिम्मेदारी आ जाय और कृत्य करने वाला पूर्णपूर्ण उत्तराधिकार से गुण हो जाय, एसा सदा और हर परिस्थिति में सावधान नहीं है। यह बात भी स्परणीय है कि गैरकानूनी कृत्यों का पुष्टीकरण नहीं किया जा सकता तथा वह हृष्ट जिसका पुष्टीकरण किया गया है, मेवढ़ न अपने लिए न किया है।

(२) **विशेष सम्बन्ध (Special relationship)** — कुछ व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं कि उनके इस परस्पर सम्बन्ध मात्र से ही उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्य का उत्तरदायित्व दूसरे व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व समझा जाता है। इस प्रकार के विशेष सम्बन्ध निम्नलिखित हैं —

(अ) स्वामी तथा सेवक (Master and Servant),

(ब) मालिक तथा स्वतन्त्र छेदार (Owner and Independent Contractor),

(स) प्रधान तथा अभिकर्ता (Principal and Agent),

(द) अभिभावक तथा प्रतिपाल्य (Guardian and Ward),

(क) कम्पनी तथा उसके नियन्त्रक (Company and its Directors),

(ग) फर्म तथा उसके साभीदार (Firm and its partners)

(३) **महायता (Abatement)** — इसी क्षतिपूरण हृष्ट का बरने वाले व्यक्ति की यहायता बरने वाला भा उस हृष्ट द्वारा प्रतिक्रिया किय गय दायित्व को पूरा बरने का उत्तराधी होता है।

प्रश्न २६ — स्वामी और सेवक के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए सेवक द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों के लिये स्वामी के उत्तर दायित्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर— स्वामी और सेवक का सम्बन्ध — ओस्बर्न (Osborn) का मत है कि दो व्यक्तियों के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध तब होता है जबकि स्वामी का यह प्रधिकार हो कि वह कृत्य विशेष कारत समग्र सेवक के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रख सके और उससे अपनी इच्छानुसार काम करा सके। क्षतिवृत्य का नून का आतंगत स्वामी अपने सेवक के कृत्य के लिए तभी उत्तरदायी होगा जबकि सेवक ने वह कृत्य के बाल उसी क्षेत्र में तथा उसी सीमा तक किया हो जिसके लिए वह सेवा में रखा गया है। यदि स्वामी ने किसी घायल यक्षिणी को अपना सेवक काम करने पर लिए दिया हो तो उस सेवक के कृत्यों का उत्तरदायित्व उसके स्वामी पर न होगा, क्योंकि सेवक का कृत्य न तो उसके निर्देशानुसार हुआ और न ऐसी परिस्थिति में उसका सेवक के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं।

स्वामा और सेवक का सम्बन्ध का नून में बहुत ही घनिष्ठ माना जाना है। एक प्रसिद्ध मामले में यह सिद्धात प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई स्वामी अपने सेवक को कोई काम करने का आदेश दे जिसमें कि साधारण साधानों में सतकता वरतन की आवश्यकता है और सेवक के साधानों वरतन पर भी किसी चयकित को क्षति पहुँच जाय तो ऐसी दाना में भी उत्तरदायित्व स्वामी का होगा। [मेंगरी प्रति पाइपर (१८२६), ६ बी० एण्ड सी० १६१] यदि सेवक स्वामी द्वारा आदेशित कृत्य करने में पूर्ण रूप से सतक न भी हो तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का हो होगा। [जोस प्रति हाट, (१६६८) २ साल० ४४०, किलोटर प्रति फियड, (१९४७), ११ क्यू० बी० ३४३] स्मरण रहे कि यदि सेवक ने स्वामी का आदेश पालन करने में थोड़ा-बहुत हर फर किया है तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का होगा, किंतु यदि सेवक ने आदेशों का पालन करने में बहुत बड़ा हेरफेर कर दिया है तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर न होगा। [विलियम्स प्रति जोस, (१८६५), ३ एच० एण्ड सी० ६०२]

सेवक के कृत्य के लिए स्वामी वो उत्तरदायी ठहराने के लिए यह सिद्ध बरना आवश्यक है कि सेवक ने स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनित कृत्य या उससे मिलता जुलता कृत्य ही किया है और वह कृत्य उसमें सेवा वरते समय किया है [नलनो रजन संन गुप्ता प्रति कलदत्ता निगम, आई० एल० ग्रार० ५०, कलदत्ता, ६८३]

किसी कृत्य को सेवा के समय किया गया निम्नलिखित परिस्थितियों में समझा जाता है —

(क) जबकि स्वामी ने कृत्य किया जाने के लिए सेवक को अधिकृत किया हो,

(ख) जबकि किसी अनधिकृत कृत्य (Unauthorised act) को सेवक ने सेवा करते समय किया हो।

यदि किसी व्यक्ति को अपने प्रधीन किसी कानून के भल्लगत विषेष व्यक्ति को अनिवायत नौकर रखना पहला है तो इस प्रकार रखे हुए नौकर के कृत्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं समझा जायगा। इसके अतिरिक्त जब स्वामी और सेवक के बाच विभागाध्यक्ष (Head of the Department) वा प्रधोन कमचारी (Subordinate servant) वा सम्बाध हो तो स्वामी अपने ऐसे सेवक द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरणात्मक, पास्ट मास्टर जनरल (Post master General) अपने प्रधोनस्य किसी डाकिए (Post man) द्वारा किये गये क्षतिकृत्य का जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न २७ — एक रेलवे कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को मना ही कर दी थी कि वे अपनी व्यक्तिगत कारों को अन्य व्यक्तियों की जोखिम का घीमा कराये तिना कम्पनी के सेवा कार्यों में प्रयोग न करें। एक दिन कम्पनी का एक कर्मचारी अपनी विना घीमा कराइ कार से कम्पनी के किसी सेवा कार्य में जा रहा था। उसकी असावधानी से उसकी कार से एक बच्चे को चोट पहुँच गई।

उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चे की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे कम्पनी और उसके उक्त कर्मचारी के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर—समस्या — यह समस्या विवी बाड़सिल के एक प्रसिद्ध मामले पर आधारित है। इस मामले में यह तथा हुआ है कि यदि सेवक सेवा के समय अपने दातिकृत्य से किसी वो दाति बैठूचारा है तो स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। [बनाड़ियन पसीफिक रेलवे कम्पनी प्रति ल्योनाड लॉक हाट, १६४३ ए० एल० २७७]। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि दातिकर्ता कमचारी कम्पनी के सेवा कार्य में जा रहा था और कम्पनी ने दातिकृत कार वो अपने सेवा कार्य में प्रयोग करने के लिए उसे अधिकृत भा किया था भल ही उसने दिना घोमा कराइ बारों वा प्रयोग घरने की मना हा बर दी हो। अतएव उमचारों के द्वारा किया गया दातिकृत्य उसके सेवा के समय में ही अधिकृत है तो क्षतिपूर्ति के प्रति किसी उत्तर नहीं है।

**प्रश्न २८** — प्रतिवादी एक अस्तवल के स्वामी से दो घोड़े और एक कोचवान किराये पर लेकर अपनी गाड़ी में सेर को लाया करता था। वह कोचवान और घोड़ों के किराये में प्रति सप्ताह निर्धारित रकम अदा करता था। एक दिन कोचवान की असाधानी से घोड़े बिलकु गये जिसके परिणामस्वरूप वाढ़ी को खोट पहुँची।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में वाढ़ी की शतिष्ठि के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार है ?

**उत्तर—समस्या** — प्रस्तुत समस्या में यह प्रान विचारणीय है कि क्या कोचवान प्रतिवादी की नौकरी में था ? इम प्रान का उत्तर दते हुए एक प्रसिद्ध मामल में जिसकी घटनाए प्रस्तुत मामले की घटनाप्रा में मिलती-जुलती हैं, यह निषय दिया गया कि कोचवान प्रतिवादी की नौकरी में नहीं था, भले ही वह कोचवान को मामले इधिछत स्थाना की ओर घाड़ों को चलाने का निर्देश दे सकता था पर घोड़ों को चलाने की किसी विशेष रोति के सम्बन्ध में वह कोई निर्देश नहीं दे सकता था। [ वचरमैन प्रति बैनेट, ६ एम० एण्ड डब्ल्यू० ४५६ ] प्रति उपर्युक्त परिस्थितियों में वाढ़ी की शतिष्ठि के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है।

**प्रश्न २९** — 'क' अपने मित्र 'ख' को जो उसके साथ कार में बैठा था, कार चलाने की अनुमति दे देता है। 'ख' जिस समय कार चला रहा होता है वह चिप्रेट जलाता है और जलतो हुए तीली गाहर फेंक देता है जो करीब की एक मोपड़ी पर गिरती है और जिसके परिणामस्वरूप उस मोपड़ी में आग लग जाती है।

क्या 'क' मोपड़ी के मालिक की शतिष्ठि करने के लिए जिम्मेदार है ?

**उत्तर—समस्या** — प्रस्तुत मामले में दो प्रान उठते हैं—क्या 'ख' 'क' की नौकर की हैसियत में कार चलाना है ? (२) क्या 'ख' न शतिहृत्य मवा के समय में दिया है ? पहले प्रान के उत्तर के लिए यह बान विचारणीय है कि यदि 'क' 'ख' के हृत्य पर नियत्रण रखता है तो उनके बीच स्वामी और सदक का सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। मान सौजिए कि 'क' का अपन मित्र 'ख' में उत्तर स्थिति में स्वामी और सदक का सम्बन्ध स्थापित भा हो जाय हो भा दूसरा प्रान कि 'म' का शतिहृत्य उसके सेवा-काय व सेवा-काल के अन्तर्गत भाना है या नहा, विचारणीय रह जाता है। प्रस्तुत मामल में 'ख' का मिप्रेट जलाना और जलतो हुई तीक्ष्ण फेंकना उसका

सेवा-कार्य कदाचि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कृत्य स्वयं 'है' ने अपने स्वार्थ में किया है। भ्रतएव 'है' भोदडी के मालिक की शतिष्ठिति का जिम्मेदार नहीं है।

**प्रश्न ३०** —(अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार (Owner and Independent Contractor) के आपसी सम्बन्ध पर प्रकाश ढालते हुए नन परिस्थितियों का वर्णन कीनिए जिनमें मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किये गये क्षतिग्रस्तों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है।

(ब) एक कम्पनी ने जिसे किसी मटक पर याइयों खुदवाने वा अधिकार नहीं वा, वस सटक पर याइयों खुदवाने के लिए "क ठेकेदार वो ठेका किया। ठेकेदार के नीकरों ने याइयों घोल कर मलवा वहीं सुइक पर छोड़ दिया। वह व्यक्ति नम मलवे से टररा रर गिर पड़ा जिससे परिस्थितिग्रस्त उमको चोट पहुँची।

क्या कम्पनी क्षतिप्राप्त व्यक्ति की नतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

**उत्तर** —(अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार — कानून का यह एक सामाय नियम है कि कोई भी यक्ति जिसी वाय व्यक्ति के कृत्य द्वारा पहेंची शति का उत्तरदायी नहीं हो सकता जब तक कि वह कृत्य या तो उनकी पूर्वानुमति से न किया गया हो या बाद में उसे कृत्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुष्टीकरण घणवा समयन न किया हो। यह नियम मामायत स्वामी और सेवक के मामनों में लागू होता है। लेकिन स्वतन्त्र ठेकेदार वो सेवक वी थेरौ में नहीं रखा जाता है। स्वतन्त्र ठेकेदार से तात्पर ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी काम को बरने का ठेका दिया जाय और उसके काय पर मालिक का किसी प्रकार का भी नियन्त्रण न हो। आम तौर पर जब किसी स्वतन्त्र ठेकेदार को काम पर लगाया जाता है और वह वा उसका कोई सेवक वाम करने में कोई ऐसा काय करता है जिससे किसी तीसरे व्यक्ति को शति पहुँचती है तो वह व्यक्ति जिसने कि स्वतन्त्र ठेकेदार को काम का ठेका दिया है दातिष्ठिति का उत्तरदायी नहीं होता है, पर इस सामाय नियम के निम्न-सिद्धित घणवाद है जिनम मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार या उसके सेवक वे शतिग्रस्तों की शतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है —

(१) यदि किसी व्यक्ति ने किसी काम के बरने का ठेका किसी ठेकेदार वो दिया है जिन्हु ठेकेदार वे काय पर नियन्त्रण रखने के साय-साय वह उसको निर्देश भी देता है और व्यक्तिगत रूप से उसके काय में भाग सेता है।

(२) यदि ठेकेदार वो जिस काम के बरने का ठेका दिया गया है वह काम स्वत ही दातिष्ठित है।

(३) यदि किसी मालिक पर कोई कानूनी क्षतिवृद्धि पालन करने वा दायित्व है तो ऐसे क्षतिवृद्धि को किसी अन्य व्यक्ति पर डाल कर अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता ।

(४) यदि किसी काय वा स्वास्थ्य या प्रदृशि ही ऐसी है कि उसके करने में दूसरे को क्षति पहुँचने की सम्भावना है तो ऐसे काय के तिए यह आवश्यक है कि ठेकेदार वा काय देते समय मालिक हर सम्भव सतरकता बरते । ऐसा काय यद्यपि स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किया गया हो पर उत्तरदायित्व मालिक पर होगा ।

(५) अभिक प्रतिकर अविनियम ( Workmen's Compensation Act ) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था के अनुसार ।

स्मरण रहे कि यदि ठेकेदार अपना कोई उप ठेकेदार ( Sub Contractor ) नियुक्त करता है तो प्रधान ठेकेदार ( Principal Contractor ) ही उप ठेकेदार के हुत्यों द्वारा को गई क्षति वा उत्तरदायी माना जायगा ।

(६) समस्या — प्रस्तुत समस्या की पठनाए एलिस प्रति शोफोहड गैस एंजीनर्स कम्पनी ( २३ एल० जे० ब्य० ३०० ४२ ) की पठनामों से मिलती जुलती हैं । इस मामले म यह तय हुआ है कि क्योंकि कम्पनी को उस सढ़क पर खाइयाँ खुदवाने का अधिकार मही था । इसलिए कम्पनी का उस सढ़क पर खाइयाँ खुदवाने का ठेका देना ही एक अवध काय था । अतएव कम्पनी क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ।

प्रश्न ३१ — (अ) सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त ( The Doctrine of Common Employment ) की व्याख्या कीजिए ।

(ब) एक व्यक्ति ने जिसे एक कुत्ते की रखवाली दे लिए नौकर रखा गया था, अपने स्वामी की एक अन्य सेविका के साथ परिहास करने के निमित्त उसके ऊपर कुत्ते को ढीला छोड़ दिया । कुत्ते ने उम सेविका को काट लिया । क्या ऐसी परिस्थिति में सेविका स्वामी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकती है ?

उत्तर—(अ) सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त ( The Doctrine of Common Employment ) — इस्तेष्ठ के सब साधारण वाद्वन के अनुसार यदि किसी स्वामी के एक से अधिक सेवक होते हैं और कोई एक सेवक दूसरे सेवक को अपनी असावधानी द्वारा क्षति पहुँचाता है तो ऐसी क्षति दे लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं माना जाता है । लविन यह नियम कानून सुधार ( शारीरिक क्षति ) अधिनियम, १९४८ [ The Law Reforms ( Personal Injuries ) Act, १९४८ ]

द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस नियम को रद्द करने का कारण यह है कि सेवा-काल में सभी प्रकार की क्षति प्राप्त करने पर सेवक को स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता चाहिए, चाहे इस प्रकार की क्षति सह सेवक ( Fellow servant ) की असावधानी से हुई हो या क्षतिप्राप्ति की अपनी त्वय की असावधानी के कारण हुई हो। सह सेवक द्वारा पहुँचाई क्षति के लिए स्वामी से क्षतिपूर्ति पाने का मुकदमा चलाने के लिए क्षतिप्राप्त सेवक को निम्नलिखित शर्तें पूरे करना आवश्यक है —

(१) जिस सेवक को क्षति पहुँची हो और जिस सेवक द्वारा क्षति पहुँचाई गई हो, उन दोनों को सह सेवक होना यानिवाय है, अर्थात् दोनों एक ही स्वामी के सेवक हों, तथा

(२) दुष्टना के समय दोनों सामूहिक रूप से एक साथ काय बर रहे हों।

सह-सेवक के भातगत एवं स्वामी के ऐसे दो सेवक भी आते हैं जिनमें एक प्रबर (Superior) तथा दूसरा उसका अधीन (Subordinate) हा।

उपर्युक्त वाक्यन सुधार (शारीरिक क्षति) अधिनियम, १९४८ के भातगत ऐसे सविदा (Contract) भी निष्प्रभाव (Void) माने जाते हैं जिनमें कि स्वामी अपने सेवकों से इस प्रकार का समझौता करे कि वह सह-सेवक द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी नहीं होगा।

सामूहिक नौकरी का जो सिद्धान्त इतनांड म प्रचलित है, उस भारत म लागू करने में भारतीय यायालयों म मतभेद है। वर्षाई और नागपुर उच्च यायालयों की राय म सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत म लागू नहीं होता है। लेकिन इन्हावाद और कलकत्ता उच्च यायालयों की राय म सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत में लागू होता है।

(३) समस्या — प्रस्तुत समस्या की घटनाएं बहर प्रति सन् [ (११०८) २ के० वी० ३५२ ] की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले का निणय इस सिद्धान्त के अधार पर है कि किसी सतरनाक जानवर का रखयाल जो उस जानवर को सनरनाक जानता है, अपनी जिम्मदारी पर रख सकता है और यदि उससे किसी को कोई क्षति पहुँचती है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मदार होगा। इस मामले में सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त को दसील नहीं दी गई थी। सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त के अन्तर्गत स्वामी सेविका की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दुष्टना सह-सेवक की असावधानी के कारण हुई।

प्रश्न ३२ —स्वामी का सेवक के प्रति क्या उत्तरदायित्व है ?  
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—स्वामी का उत्तरदायित्व सेवक के प्रते —थमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२५ एवं १९४६ [The Workmen's Compensation Act, 1925 & 1946] के मन्त्रगत प्रत्यक्ष स्वामी का अपने सेवक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ता है यदि रोक वाय वरते समय इसी दुष्टनावा वाय करने के अयोग हो जाय। इस अधिनियम मे रह भा प्राविधिक है कि यदि जिस वर्गका को सेवा वरते समय मृत्यु ता जाय तो उमर्द्वा आवाना (Dependents) को मृत्वा सेवा के स्वामी द्वे रा क्षतिपूर्ति द्वय होगा।

लमरा रह कि न तप्राप्त पक्षि को क्षतिपूर्ति उमो अवस्था मे दय होगो जबकि यह य० सिद्ध दर।—

(१) उग्रा दुष्टना हारा शारीरक क्षति पटुची है,

(२) दुर ना सेवा वरते समय हर्दि है

(३) दुष्टना हारा शारीरक क्षति के कारण वह तीन दिन स अधिक के लिए अपना गाविधायान वरने के अयोग हो गया हो, तथा

(४) शारीरिक क्षति सेवा समर्थन के कारण हुई है।

यह बात यिष्प सप्त स समरलाप है कि यदि सेवक की गारीरिक क्षति सेवक के क्षतिका स तोना भी समझ है तो वह यारीरिक क्षति गेवा के कारण हुई समझी जाना चाहिए। इस विषय मे निष्पवत प्रति रन एव घन [ (१६१०) २ व० वी० ६८६ ] का मुद्रामा उन्नेपनाय है। एक बार एक मजा को जिम्बा काय यह कि वह वहुत सा घन दोषन की दान के मज्दूरा का बाटन के लिए स जाय, राते म मार नाना गया। इस पर मजा को के परिवार के आधिको न उस मृत्वा के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुद्रामा चलाया। इस मुद्राम मे यह निश्चय दिया गया कि मज्बा को गारीरिक क्षति सेवा वरने समय पटुची है।

उन्डरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि सेवक दुष्टनावा काम वरने के लिए घस्थायी अयोग हो गया है और यह गिर हा जाय कि दुष्टना का वारल सेवक का जान दूख के दुराचार (Wilful misconduct) है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहा होगा। लिखित यदि जान तूम पर विष गय दुराचार के कारण सेवक की सेवा वरते समय दुष्टना के कारण मृत्यु हो जाय तो स्वामी को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगा।

प्रश्न १३ — संयुक्त ज्ञातिकर्ता की परिभाषा देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें संयुक्त दायित्व का उदय होता है।

उत्तर — संयुक्त ज्ञातिकर्ता (Joint Tortfeasors) — जब एक संघिक व्यक्ति मिलकर काइ ज्ञातिहत्य करता है तो वह संयुक्त ज्ञातिकर्ता (Joint Tortfeasors) कहाना है। संयुक्त ज्ञातिकर्ता संयुक्त हस्त से उस घटितिगत स्थ में ज्ञातिपूर्ति दिन के उत्तराधीन है। ज्ञातिप्राप्ति का अधिकार है जिसे वह सभी ज्ञातिकर्ता पर मुख्यमा बचावर उनसे ज्ञातिपूर्ति प्राप्त नहीं प्राप्तवा उनमें से किसी एक पर मुख्यमा बचावर ज्ञातिपूर्ति को पूरा धनराशि बमूल बरे। यहीं ज्ञातिप्राप्ति घटिति में गम्यता ज्ञातिरक्षणाप्या पर एक माय मुख्यमा नापा है प्राप्त दिन प्राप्त वर तो है तो वह दिनी का नियामन कियो एक ज्ञातिकर्ता के विरद्ध आये बराबर पूरा धनराशि उमम बगूत बर मात्रा है।

संयुक्त दायित्व घट्य होने वाली परिमितियाँ — ये परिस्थितियाँ जिनमें वे संयुक्त दायित्व का उदय होता है, निम्नलिखित हैं —

(१) प्रजेन्सी (Agency) — प्रधान और एक दानों ही एजेंट के अन्त मूल वृत्त्य के लिए उत्तराधीन हैं।

(२) संयुक्त हृत्य (Joint actions) — जब एक संघिक व्यक्ति फिलकर जिसी ज्ञातिपूर्ति के बाकरत है तो वे सभी ज्ञातिपूर्ति के उत्तराधीन होते हैं।

(३) अन्य व्यक्तियों के कृत्य का उत्तराधीनित्य ( Vicarious Liability ) — जब कभी कोई व्यक्ति एका ज्ञातिपूर्ति कृत्य करता है जिसका उत्तराधीनित्य व्यक्ति पर होता है तर वहूँ वे परिस्थितियों में ज्ञातिपूर्ति कृत्य का बरने वाला होता भाव व्यक्ति दानों ही उत्तराधीन ठहराए जाते हैं प्राप्त दानों ही गम्यता ज्ञातिकर्ता की काटि से रमे जाते हैं।

प्रश्न १४ — (अ) संयुक्त ज्ञातिकर्ताओं द्वारा नी जाने वाली ज्ञातिपूर्ति का परस्पर विभाजन नियम प्रकार क्या जाता है? सचित्र प्रिवेचना पीजिष।

(ब) 'क' और 'ब' के किसी ज्ञातिपूर्ति कृत्य से 'ग' के कारदाने को ज्ञाति पठुधरी है और वह 'क' और 'ब' के विरद्ध ज्ञातिपूर्ति का मुख्यमा चला फर १००० रु० की द्रिनी प्राप्त कर लेता है। लेविन वह टिक्की का उपया केयल 'क' से बसूल करता है। क्या 'क' 'ब' से ज्ञातिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है?

क्षतिपूरण विधि पर प्रबोधन

**उच्चर (अ) क्षतिपूर्ति की घनराशि का सयुक्त क्षतिकर्ताओं के बीच विभाजन** — इंग्लैण्ड के सबसाधारण कानून (Common Law) का यह नियम या कि यदि समुक्त क्षतिकर्ताओं में से किसी एक से क्षतिपूर्ति की पूरी घनराशि वसूल हो ली गई हो तो वह व्यक्ति घरने वाय साथी क्षतिकर्ताओं से उस घनराशि का नई भी माल वसूल नहीं कर सकता या। लेकिन यह नियम घब्बे कानून मुधार अधिनियम, १९३५ (Law Reforms Act, 1935) के द्वारा इह वर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रत्यक्ष घब्बे यह प्राविधिक है कि यदि समुक्त क्षतिकर्ताओं में से विस्तीर्ण को अवैत्त ही क्षतिपूर्ति की सारी घनराशि दोनों पड़ी तो वह वाय समुक्त क्षतिकर्ताओं से इस घनराशि का उचित अनुपात वसूल वर सकता है। उदाहरणाय, यदि एक क्षतिपूर्ण कृत्य के बरन बाल तीन समुक्त क्षतिकर्ता हैं और यायालय ने उन पर ३०० रु. की डिनी वर दी है तो विस व्यक्ति ने डिनी की सारी घनराशि दी है, उसको अधिकार है कि वह वाय दो व्यक्तियों से घनराशि का उचित अनुपात, प्राप्त २०० रु. वसूल वर ल।

**(ब) समस्या** — समुक्त क्षतिकर्ताओं में क्षतिपूर्ति की घनराशि के परस्पर विभाजन वा नियम घब्बे है कि यदि समुक्त क्षतिकर्ताओं में विसो एक को घटके ही क्षतिपूर्ति की सारी घनराशि दोनों पड़े तो वह वाय समुक्त क्षतिकर्ताओं से उस घनराशि वा उचित अनुपात वसूल वर मरकता है। प्रस्तुत मामल में क्षतिपूर्ति की सारी घनराशि घटेते 'क' से वसूल वर लो गई है। अतएव वह 'व' से क्षतिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है।

**प्रश्न ३५** — (अ) सयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति (Nature) पर साक्षम टिप्पणी लिखिए।

**(ब) क्षतिपूर्ति के एक मुख्यदमे में वादी ने समुक्त क्षतिकर्ताओं में से बुद्ध को प्रतिवादी नहीं बनाया। क्या वादी उन समुक्त क्षतिकर्ताओं से जिहें उसने प्रतिवादी बनाया है? क्या यदि वादी किसी एक समुक्त क्षतिकर्ता के विरुद्ध कार्यगाही चालू रखने का अधिकारी नहीं रहेगा?**

**उच्चर—(अ) सयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति** — मावदाला के मतानुसार समुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति पर कानून मुधार (विवाहित स्त्री एवं क्षतिकर्ता) अधिनियम, १९३५ [The Law Reforms (Married Women and Tortfeasors)]

Act, 1935] का विनेप प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम ने अब यह निश्चित कर दिया है कि एक समुक्त क्षतिकर्ता के विश्व निणय प्राप्त करने के बाद दूसरे समुक्त क्षतिकर्ताओं पर क्षतिपूति बसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

(घ) समस्या — समुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अजित किया गया दायित्व समुक्त एवं यक्षिनगत दोनों है, अर्थात् समुक्त क्षतिकर्ता समुक्त रूप से तथा व्यक्षिनगत रूप से क्षतिपूति देने के उत्तरदायी हैं। अतएव बादों न यदि क्षतिपूति के मुद्दमे में कुछ समुक्त क्षतिकर्ताओं को प्रतिवादी नहीं बनाया है तो जिनका उसने प्रतिवादी बनाया है उनसे भी वह क्षतिपूति की सारा घनराशि वापल करने का अधिकारो है।

समझोते का प्रभाव उसकी शर्तों पर अवलम्बित है। समुक्त क्षतिकर्ताओं के विश्व दावे का कारण एक ही होता है। अतएव किसी एक समुक्त क्षतिकर्ता से समझोता कर लेने का प्रभाव दूसरे क्षतिकर्ताओं के विश्व दावे के कारण पर पड़ता है। एक प्रमुख मामले में यह तय हुआ है कि यदि वा तो किसी एक समुक्त क्षतिकर्ता से समझोता कर ले और इस प्रकार उसे दायित्व से मुक्त कर दे किन्तु उसका इरादा दूसरे समुक्त क्षतिकर्ताओं को उनके दायित्व से मुक्त करने का न रहा हो तो वह उसी अनुपात से दूसरे समुक्त क्षतिकर्ताओं के विश्व क्षतिपूति की कायदाही चालू रखने का अधिकारो रहेगा। [रामरत्न क्षपाली प्रति भद्रिवना कुमार दत्त, आई० एस० आर० ३३ बलवत्ता, ५५६]

---

# क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण और उनके प्रति उपाय

## CLASSIFICATION OF TORTS AND REMEDIES

प्रश्न ३६—क्या क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है? क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण दीजिये।

**उत्तर** — क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण (Classification of Torts) इसमें ऐह नहीं कि तुड़ वग के क्षतिकृत्यों को नाम दिया जाना सम्भव है, लेकिन हानि, वाधा (Nuisance), अपमानकारी लेख इत्यादि। परन्तु विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न विभिन्न कारण के क्षतिकृत्यों को नाम दिया जाना सम्भव नहीं है। अतएव यह पारणा गलत नहीं है कि क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हो सकता। किंतु भी सुविधा के लिए क्षतिकृत्यों की तालिका तैयार की जा सकती है जो निम्नलिखित है —

### १ शरीर के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Person)

#### (अ) मृत्यु (Death)

(आ) मानसिक एवं स्नायुतिक आघात (Mental and nervous shock),

(ब) भावभण (Assault),

(म) सप्रहार (Battery),

(ग) अग भग (Mayhem),

(ह) मिथ्या नारावास (False Imprisonment)

### २ प्रतिपुष्ट के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Reputation)

माहानी (Defamation) इसके भावगत निम्नलिखित क्षणिकृत्य हैं

(अ) अपमानकारी लेख (Libel)

(ब) अपमानकारी वाचन (Slander)

### ३ पारिशारिक सम्बन्धों के प्रति क्षयिकृत्य (Torts relating to Domestic relations)

(अ) मातृ पितृ राम्य धी धधिकार के प्रति (Torts relating to parental rights),

(ब) दावपत्त्य धधिकार के प्रति (Torts relating to marital rights),

(स) सशास्त्रों के प्रविराम के प्रति (Torts relating to master's rights)।

४ सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrong to property)

(अ) अनभिकार प्रवेश (Trespass),

(ब) निपासन (Dispossession),

(स) परिवर्तन (Conversion)

५ शरीर एवं सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrong to person and property),

(अ) छल (deceit),

(ब) भ्रष्टाचारी (Negligence),

(स) बापा (Nuisance),

(द) पड़य न (Conspiracy),

(२) दृष्टिकूल प्रविधान (Malicious Prosecution),

६ सावदा पर आधारित क्षतिकृत्य (Torts founded on contract),

७ व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य (Torts relating to business)

८ विविध (Miscellaneous)

प्रश्न ३६—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra Judicial) उपायों से आप क्या समझते हैं? क्षतिकृत्यों के प्रति विभिन्न उपायों का उपयन कीजिए।

उत्तर—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra-Judicial) उपाय —क्षति कृत्य के प्रति हमें दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। ये दो प्रकार के उपाय न्यायिक (Judical) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra judicial) उपाय पर आते हैं। न्यायिक उपाय वे हैं जो चाहे प्रणाली द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त न्यायिक उपाय वे हैं जिनमें हि धनि प्राप्त व्यक्ति क्षतिकृत्य का बचाव के लिए चाहए। मपन द्वाय मसे लता है। हम देखते हि एसी बहुत रा परिस्थितियों मानो हैं जिनम व्यक्ति को तुरत न्यायिक उपाय उपलब्ध नहीं हात। ऐसी परिस्थितियों म बातून व्यक्ति का अनिरिक्त न्यायिक उपाय द्वारा मपन बातूनी अधिकारों का बचाव करने का छूट दता है। उदाहरणार्थ यहि कोई व्यक्ति भारत कर मापदी शारोरिक क्षति पहुंचा के लिय प्राप्तमणु करे तो मापदी मरना स्वरक्षा के लिय अधिकार है हि आप उपरा तुरन्त एसा क्षति पहुंचा हि वह भारतमणु करने म प्रममय हो जाय।

## क्षतिकृत्यों के प्रति विभिन्न प्रकार के उपाय निम्नलिखित हैं — न्यायिक उपाय

(१) क्षति पूति (Damages) —यदि विसी व्यक्ति को किसी अच्छी व्यक्ति के क्षतिकृत्य द्वारा क्षति पहुँची है तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को यह भविकार है कि वह क्षतिकर्ता पर क्षति पूति वा मुकदमा चलाकर उससे क्षति पूति प्राप्त कर ले।

(२) न्यायादेश (Injunction) —आम तौर से यायादेश क्षति को रोकने के लिये जारी किए जाते हैं, किन्तु अच्छी परिस्थितिया भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। यायादेश द्वारा यायालय विसी क्षतिकृत्य की पुनरक्षण (Repetition) या स्थिरता (Continuance) का भी रोक सकता है। वहाँ जा सकता है कि यदि क्षतिपूर्ति को गई क्षति अथवा हानि की पूति के लिए उपलब्ध उपाय है तो यायादेश बताना क्षतिपूण कृत्य या भविक्य में होने वाले क्षति पूण कृत्य के प्रति उपलब्ध उपाय है। स्मरण रह कि यायादा दो प्रकार के होते हैं एवं तो निषेधात्मक (Prohibitory) तथा दूसरे आदेशात्मक (Mandatory)। निषेधात्मक यायादेश में विसी क्षतिपूण कृत्य के किए जाने की मनाही होती है और आदेशात्मक यायादा में प्रतिवाची को कोई विशेष काय करने वा आदेश होता है। यह बात भी स्मरणीय है कि न्यायादेश चाहे निषेधात्मक हो अथवा आदेशात्मक, दोनों या तो अतरिम (Interlocutory) होते हैं या स्थायी (Permanent or Perpetual) होते हैं। अतरिम यायादा का ददेश यह है कि मुकदम के अन्तिम निणय तक क्षतिकर्ता को क्षतिपूण कृत्य करने से राका जाए और यदि वह कृत्य एक बार किया जा चुका है तो उसकी पुनरक्षण रोक दी जाए। इस प्रकार के यायादा मुकदमे के अन्तिम निणय से पूर्व जारी किए जाते हैं। इसके विपरीत स्थायी यायादा मुकदमे के निणय के उपरान्त ही जारी किए जाते हैं।

(३) सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति (Restitution of property) —यदि विसी व्यक्ति की चल अथवा अचल सम्पत्ति प्रतिवादी न अनुचित ढग से हायिया ली है तो वारी को भविकार है कि वह अपनी सम्पत्ति वा वापस ले ल और जितने में उमड़ी सम्पत्ति प्रतिवाची के अनुचित बबज म रही है और उसे जा क्षति पहुँची है उसके लिए क्षतिपूति का मुकदमा चलाए। यह न्यायिक उपाय विशिष्ट सम्पत्ति (Specific property) की पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध हाता है।

### अतिरिक्त न्यायिक उपाय

(१) स्वरक्षा (Self-defence) —परिस्थिति के अनुपार व्यक्ति को अपने कानूनी भविकारों के बावजूद किए स्वरक्षा (Self defence) का भविकार प्राप्त है। स्वरक्षा में किया गया क्षतिपूण कृत्य क्षतिकृत्य नहीं है।

(३) निष्काशन तथा पुनर्प्रवेश (Dispossession and re entry)

जिस व्यक्ति वा अपनी सम्पत्ति पर तुरन्त अधिगत्य (Possession) प्राप्त करने का अधिकार है वह अनधिकृत प्रवेश कर्ता (Trespasser) को सम्पत्ति से निष्काशित (Dispossessed) बनके उस पर पुनर्प्रवास (Re-entry) कर सकता है। लेकिन इस प्रकरण में यह स्मरण रह कि इस प्रकार निष्काशित करने के लिए केवल उनकी ही शक्ति वा प्रयोग करना चाहिए जिसनी वि नितात आवश्यक है।

(४) पुनर्प्रदेश (Recapitulation) —यदि काई यक्ति जिसको अपनी सम्पत्ति पर तुरत अधिगत्य प्राप्त करने वा अधिकार है एसो सम्पत्ति को अनधिकृत प्रवासकर्ता के पास देखता है तो उसे अधिकार है वि वह अपनी सम्पत्ति का उस अनधिकृत व्यक्ति से पुनर्प्रदेश करने। लेकिन इस काम में केवल उनकी ही शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसनी वि नितात आवश्यक है तथा जिसमें शान्ति भग दोने की तरिक भी सम्भावना नहीं है।

(५) आधारों का अवसान (Abatement of nuisance) —इस अतिरिक्त यांत्रिक उपाय के घन्तव्य व्यक्ति वो जिसको भूमि पर दाधा उपस्थित की गई है इस दाधा को समाप्त करने वा अधिकार है। उदाहरणाय, यदि किसी की भूमि पर वक्ष की दाखाए लकड़ रही हों जिनमें उसकी भूमि वाधति पहुँच रही हो तो उस अधिकार है वि वह पढ़ोखा के बूँद की दाखाए अपनी भूमि की दाधा दूर करने के लिये बटवाद।

(६) अभिहरण (Distress damage feasant) —यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर किसी भाय व्यक्ति का ढार (Cattle) अनधिकार प्रवेश कर जाए और भूमि पर उसी दूई दाधा को धोते पहुँचाये तो भूमि के स्वामी का अधिकार है कि वह उस ढारों का अभिहरण करते और उनको तब तक वापस न कर जव तक वि उन ढोरों का स्वामी दोरों द्वारा को गई शक्ति को पूरा न कर दे। यह नियम प्रत्येक व्यक्ति सम्पत्ति के प्रति साधु होता है।

सालमन्ड (Salmond) वे प्राचीन साम्राज्य भूमि पर अधिगत्य (Possession) रखने वाले वा वह वाकुनी अधिकार है जिसके द्वारा वह अपनी भूमि पर अनधिकार प्रविष्ट की गई उस सम्पत्ति वा अभिहरण के उक्ता है और उस अपने अधिकार में तब तक रोक रखता है जब तक वि अनधिकार प्रविष्ट की गई शक्ति वा स्वामी शक्ति पूर्ण न कर दे। अपने रह कि भूमि के स्वामी को उस उस सम्पत्ति के बेदत गव लेने भरवा अधिकार है और वह उसका विनाय नहीं कर सकता।

प्रश्न ३८ — क्षतिपूति (Damage) से क्या तापर्य है ? इसकी विभिन्न कोटियों का बणन कीजिये।

उत्तर— क्षतिपूति (Damage) — क्षति वृत्य हारा की गई जाति को पूरा करने के लिये दी गई धनराशि को क्षतिपूति कहते हैं। क्षतिपूति क्षतिप्राप्त दक्षि को वास्तविक रूप में पहुँची क्षति तब ही समित रही है, बल्कि उम्बा रहे य क्षतिवर्ती को दण्ड देना भी हाहा है। प्रतिवादी अपने क्षतिपूण वृत्य के परिणाम स्वरूप पहुँचो क्षति की क्षतिपति बनन वा उत्तरदायी है, भल ही वह क्षति पहुँचान का इरादा न रखता हा अथवा ~मन वृत्य स क्षति पहुँचानी, एसना पूर्णान उम न हो।

### क्षतिपूति की कोटियाँ

क्षतिपूति का साधारणतया चार कोटि मे विनष्ट किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं —

(१) साधारण क्षतिपूति (Ordinary damage) — यह क्षतिपति तब प्रदान की जाती है जम किसी यक्ति को वास्तव म क्षति पहुँचती है। इसका वास्तविक क्षतिपूत (Real damage) भी कहते हैं। सामण्ड (Salmond) न इस प्रकार की क्षतिपूति की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधारण अपया वास्तविक क्षतिपूति का उद्देश्य क्षतिप्राप्त व्यक्ति का हर्जना देवर देखे वास्तव म पहुँची क्षति की क्षतिपूति करना है।

(२) उदाहरणीय क्षतिपूति (Exemplary damage) — यह क्षतिपूति प्रतिवादी के लिय एक प्रकार से अर्थ दण्ड के रूप म होती है और इसका प्रभाव अर्थ व्यक्तियों के क्षतिपूण वृत्य का बरन वा प्रवृत्ति पर पड़ता है। सामण्ड (Salmond) के मतानुसार इस प्रकार की क्षतिपति दने का उद्देश्य वास्तविक क्षति से अधिक की धनराशि को दना है जिससे वि यनि वादी को भौतिक (Material) हानि के अविरिति इसी प्रकार की मानविक देख आगि लगी हो तो उस क्षति की भी पूति हो जाय और वह अधिक वे अर्थ म अर्थ व्यक्तियों वे लिय भी उदाहरण हो जाय। उदाहरणाय, प्रतिवादी ने वादी की अविवादित वाया को प्रलोभन देवर उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार वादी अपनी वाया की सबाप्तो से वचित हो गया तथा प्रतिवादी के इस अनुचित वृत्य से अपमानित भी हुआ। ऐसी परिणामिति में वादी को पहुँचे दोषे आपात को क्षतिपूति के लिय न्यायालय उदाहरणीय क्षतिपूति (Exemplary damage) प्राप्त कर सकता है।

(३) नाममात्र क्षतिपूति (Nominal damage) — इस प्रकार की क्षतिपूति उब प्रदान की जाती है जब वि क्षति वा उद्देश्य क्षति प्राप्त व्यक्ति के

अधिकार को केवल मात्र पात्वता (Recognition) देना होता है। इसमें घनराशि कवल नाममात्र के लिये हा होती है।

(५) तिरस्कारयुक्त क्षतिपूर्ति (Contemplious damage) — इस प्रकार का क्षतिपूर्ति एमो परिस्थित में जाती है जब प्रायालय की दृष्टि में यादी को पहुँचो भवि बहुत ही तुच्छ होती है प्रीर यादी तो ऐसी तुच्छ भवि के लिये क्षतिपूर्ति का मुद्ददमा होता चलाता चाहिये था। एसी क्षतिपूर्ति साधारणतया मान हाति (Defamation) गम्भीरत मुरदों में प्रकार की जाती है।

### प्रन्त यांत्रिकण

शानिपूनियों का वर्गीकरण एक आर द्वारा सभा विद्या पाता है जिसके प्रत्युतार क्षणपूनियों का विवरणित काटियाँ हैं —

(१) सामान्य क्षतिपूर्ति (General damage) — यह क्षतिपूर्ति एसी परिस्थिति में प्राप्त की जाती है जिसमें दि बातुन यह अनुमान कर रहा है कि वाने वे बातुनी अधिकार का नाम दरले के कारण दमका शर्त पड़ेथा है। एसी मामला में यह बात विवेद है कि ग्राम्यमें वार्ता का क्षति पड़ता है या नहीं। यादी का यह विद दरल का भा ग्राम्यता नहीं है कि उस दानवार्ता के द्वारा सह हानि होती है।

(२) विशिष्ट क्षतिपूर्ति (Special damage) — यह क्षतिपूर्ति एसी परिस्थिति में दी जाती है जिसमें वार्ता यह विद दरल रहा है कि वाम्यमें ज्ञे क्षति पड़ता है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये याम्यमें दमोत का उल्लंघन होता चाहिए।

प्रश्न ३६— क्षति की दूरस्थिता (Remoteness of damage) से आप क्या समझते हैं? मात्रा विषयी लिखिए।

उत्तर—क्षति की दूरस्थिता (Remoteness of damage) — क्षति की दूरस्थिता न हो पर एसो कोटि द है जो क्षातिपूर्ति का अर्थ न परेग परिमाप हो। प्रायत में बातुन यास दरल क्षतियों का पूर्ण दराता है जो कि क्षतिपूर्ति क्षय के प्रदद्या परिणाम स्वरूप होती है। मी किसी द द के प्राय परिणाम स्वरूप तो यादी का कोई हाति न पड़ती है किन्तु पर क्षणपूर्ति में बातुन यादी का प्रतिवाद में क्षतिपूर्ति नहीं होता क्षितिपूर्ति के दशहरणार्थ, यह किसी व्यक्ति की सोटर यादी। दुखन वर को, व्यक्ति याप प्रददा उस याप पूर्व तो उसी मृत्यु, या खाट क्षितिपूर्ति के प्रमाणधारी

से मोटरगाड़ी चलाने का प्रत्यक्ष परिणाम है और वह क्षतिकरता व्यक्त उस क्षतिशास्त्र-यक्ति का क्षतिपूनि के नियमेशार है। लेटिन यदि उस कुचल हुए क्षतिकर मोटरगाड़ी के स्वामी पर इस कारण मुकदमा चलाय कि उस क्षतिके मर जाने से उसकी नोकरी समाप्त हो गई तो यह यहाँ जायगा कि तोकर वा क्षति दूरस्थ (Remote) है और इसलिय उस क्षतिपूनि पान का अधिकार नहीं है।

यह बात विशिष्ट करना कि क्षतिकरता कृत्य वा प्रत्यक्ष परिणाम है और क्षब परोप्य, बहुत ही अठिन वाय है और इसका विषय म वाई विशिष्ट नियम नहीं दिया जा सकता। इस बात पर विचार करन व लिय प्रत्यक्ष मामले वा परिस्थितियों में यह प्रश्न उत्तम म रखना चाहिये। कि वह क्षति प्रतिवादी द्वारा किये गये क्षति पूण उत्त्य वा परिणाम है भा भयवा नहीं। उत्तलाल धीरज लाल व मतानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में यह मान लना चाहिये कि प्रतिवादी के कृत्य का परिणाम दूरस्थ है —

(१) जब कि प्रतिवादी के कृत्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वादी का क्षति न पृच्छी हो ।

(२) जब कि क्षति विशेषकर वादी के अपने कृत्य का परिणाम हो ।

(३) जब कि क्षतिपूण कृत्य किसी ग्राम स्वतन्त्र यक्ति (Independent third person) व व या एसा पारदाम हो जिसका दूष प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी और किसके विषय म यह नहीं कहा जा सकता या कि उस भय पर्ति के कृत्य के परिणामस्वरूप वादी के आवरण से एक प्रवार की दानि होयी ।

स्मरण रहे कि यदि प्रतिवादी एक बार अपने किसी अनुचित कृत्य के लिय उत्तरदायी मान लिया गया तो वह उस कृत्य द्वारा उत्पन्न सभी प्रत्यक्ष परिणामों का भी उत्तरदायी माना जायगा चाहे साधारण विवेक वाला क्षति उस कृत्य द्वारा जनेत परिणाम का पूर्ण प्रत्याशा कर सकते की क्षमता रखता हो भयवा नहीं, [प्रथम प्रति एल० एम० छवत्य० रत्न, (१८३०) एल० भार०६ सी० १४] ।

दानि की दूरस्थ्या के विषय म यिद्धा ता का सारांश निम्नलिखित है —

(१) यदि किसी सदृश को ध्यान म रख पार को कृत्य लिया गया हो तो उस कृत्य द्वारा कृत्य सभी प्राप्त हो गया है तब किसी भी परिस्थिति म यह नहीं कहा जायगा कि कृत्य का क्षति पूण परिणाम दूरस्थ है ।

(२) यदि कृत्य और उसके परिणाम के बीच किंहा भाव तत्वों ने हस्तक्षेप किया है जिसके कारण हो वह कृत्य क्षतिपूण हो गया है तो एम कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम उस कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम के अनगत नहीं माना जायगा।

(३) विसी कृत्य के सकल्प विहीन परिणाम अवसर दूरस्थ परिणाम वह जात है।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादा के कृत्य और उसके बादी के प्रति परिणाम के बीच बादी ने जो हस्तक्षेप किया उसमें अमावधानी का तत्व वतमान या तो बादी ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पान का ग्रंथिकारा नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी वे एसे कर्त्य द्वारा की गई क्षति जिसको बाद साधारण विवेक वाला अक्षति पूर्व प्रत्याहा नहीं कर सकता साधारणतः दूरस्थ क्षति हो जाएगा।

— —

(२) यह प्रहार या स्पश उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं आज्ञा के विरुद्ध होना तथा

(३) यह नियम है कि शरीर का स्वर्ण घोरे से किया गया अथवा इस प्रकार उस व्यक्ति का इसी प्रवार वा कट हुआ या नहीं।

आक्रमण (Assault) और सप्रहार (Battery) का अंतर — आक्रमण और सप्रहार दोनों विभिन्न प्रकार के धौतिपूर्ण कृय हैं। आक्रमण में कबल प्रहार की घमड़ी मात्र दी जाता है, जबकि सप्रहार में दोरी पर प्रहार अथवा उसका स्पश भी किया जाता है। इन्हाँ घोरने लाने के मनानुभार आक्रमण में दारार का वास्तव में स्पश किया जाता आवश्यक नहीं है कि तु सप्रहार में ऐसा होना आवश्यक है। यद्यपि दोनों क्षतिपूर्ण कृत्य में गति (Motion) आवश्यक है परंतु जब एक व्यक्ति द्वारा इसपर व्यक्ति के विरुद्ध बल वा अनविक्त प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग में उस दूसरे व्यक्ति के शरीर वा स्वर्ण हो जाता है तो वह कृत्य जो बिना स्वर्ण के आक्रमण होता, सप्रहार वा अवश्य भी जाता है।

प्रश्न ४२ — आक्रमण और सप्रहार किन परिस्थितियों में अभियोग्य (Actionable) नहीं हैं ? प्रियेचना कीजिये।

उत्तर — आक्रमण और सप्रहार का अधिकार — आक्रमण भार सप्रहार के धौतिपूर्ण कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोग्य नहीं हैं।

(१) स्वरक्षा (Self defence) — यदि किसी व्यक्ति ने आक्रमण या सप्रहार घमड़ी स्वरक्षा के लिये किया है तो वह उनके दायित्व से मुक्ता समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा के अधिकार वा सिद्ध करा को जिम्मेदारी हमेशा प्रतिकारी पर होनी है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property) — सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा के लिये कृत्य करते समय बल उत्तरा ही बल प्रयुक्त होना चाहिये प्रियता कि उस परिस्थिति में नितात आवश्यक हो। [हेटिंग प्रिय घार, (१९५३) ४ ५३१]

(३) सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण (Retaking of Property) — किसी सम्पत्ति के स्वामी अवश्य उसके अधिकार सदरा को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति से किसने कि उसकी सम्पत्ति को गैरकानुनी ढग से हृदया लिया हो वापस ले से। ऐसे मामले में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य है। [० नदम प्रिय हिंग, (१९६१) १० सां ३० १०१]

(२) यदि वृत्त्य और उसके परिणाम के बीच किंहा अब तत्वों न हस्तक्षेप किया है जिसके कारण ही वह वृत्त्य क्षतिपूण हो गया है तो ऐसे वृत्त्य का क्षतिपूण परिणाम उस कर्त्य के प्रत्यक्ष परिणाम के अउगत नहीं माना जायगा।

(३) किसी वृत्त्य के स्वरूप विद्वान् परिणाम अवसर दूरस्थ परिणाम कह जाते हैं।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादा व वृत्त्य और उसके बादी के प्रति परिणाम के बीच बादा न जो हस्तक्षेप किया न सम असावधानी का उत्तर बतमान या तो बादी ऐसी परिम्यनि में क्षतिपूर्ति पान का अधिकारी नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी के एस कर्त्य द्वारा की गई क्षति जिसकी काई साधारण विवेक वाला व्यक्ति पूर्व प्रत्याशा नहीं कर सकता साधारणत दूरस्थ क्षति कही जाएगी।



## शरीर के प्रति ज्ञातिकृत्य

(WRONGS TO PERSON)

प्रश्न ४० —(अ) आक्रमण (Assault) की परिभाषा दीजिए और नन तथ्यों का उल्लेख दीजिये जो इस ज्ञातिकृत्य को सिद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

(ब) 'र' ने 'ख' के ऊपर आक्रमण किया और उसके हाथ को माधारण चोट पहुँचाई। अचानक 'र' की चोट का घाव मर्टिर (See puc) बन गया जिसके परिणाम स्तर पर 'ख' एक लग्ने समय तक धीमार रहा। 'र' ने 'क' के बिन्दू सारी ज्ञातिपूर्ति पाने के लिय सुन्दरमा चलाया। इस मुकदमे में ज्ञातिपूर्ति का माप क्या होगा ?

उत्तर (अ) आक्रमण (Assault) — आक्रमण से तात्पर्य ऐसे कृत्य से है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे यति के शरीर पर प्रहार करने की धमकी दते हुए प्रहार करने की स्थिति में हो। इस दृष्टि से लिये यह भावशक नहीं है कि आक्रमण करने वाला विपक्षी के शरीर पर प्रहार करे भधवा उसके शरीर का स्पर्श करे। लिकिन यह बात भी स्मरणीय है कि प्रत्येक धमकी की आक्रमण की ओट में नहीं रखा जा सकता। उदाहरणात्मक, यदि कोई यति किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में आक्रमण की धमकी दे ज़र नि वह उसकी पहुँच के बाहर हो सो यह आक्रमण नहीं माना जायगा। यदि कोई बादी बादीगृह के कटघरे के पीछे से बादीगृह के बाहर लड़े किसी व्यक्ति पर प्रहार करने से लिय मुट्ठी तान बर प्रहार करने की धमकी दे तो यह गुट्ठी तानना आक्रमण नहीं कहलायगा क्योंकि इस प्रहार कटघरे म बादी बादी घटघरे से बाहर रहे हुए यति की पूसा मारने म पूणतया असमय है।

आक्रमण को शतिगृह्य के स्वरूप म सिद्ध करने के लिय वाली की निम्नलिखित तथ्यों को विद्ध करना चाहियक है :—

(१) यह नि प्रतिशादी के व्यवहार य भाव भगी भाइ से ऐसा प्रतीत होता पा कि यह बादी के विरुद्ध बल का प्रयोग करने वाला है।

(२) यह कि प्रतिवादी के अधिवाहर या भाषा भगी आदि इस प्रकार के थे कि वादों को यह भय हो गया कि प्रतिवादी उसके विद्वद् अवद्यम ही बल वा प्रयोग बरने वाला है, एवं

(३) यह कि प्रतिवादा वाणी पर आऽमण्ड करन वो स्थिति म था, अर्थात् वादों प्रतिवादों की पहुँच के भीतर था।

(४) समन्वया — धृतिपूति के लिये यह एक भासाय नियम है कि प्रतिवादों अपने धृतिपूति कर्त्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पूँजाई गई यथा धृति की धृतिपूति वरों का उत्तरदायी है चाह वह उम क्षति को पूछ प्रत्यापा नहा रखता हो। प्रस्तुत मामन में 'ए' को चाट 'क' के धृतिपूता कर्त्य वा प्रत्यक्ष परिणाम है और घाव के सेप्टिक (Sceptic) बन जान पर उत्तरका सम्बन्ध ममय तक वोमार रहना 'ग' के धृतिपूति कर्त्य के परिणाम का ही अग माना जायगा। अतएव क' 'ए' का सारी धृति के लिय धृतिपूति दने का उत्तरदायी है।

प्रश्न ४८ — सप्रहार (Battery) की परिभाषा देते हुए आऽमण्ड (Assault) और नप्रहार (Bittery) के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—सप्रहार (Battery) — सप्रहार एसा अनियुत कर्त्य है जिसम एक व्यक्ति द्वारा "यक्ति" के द्वारा का अनधिकृत स्वरूप बरता है। भारतीय नड़ संहिता की धारा ३५० म सप्रहार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है — “काई व्यक्ति नप्रहार का भावराधी तद होता है जब वह स्वोधावदा में किसी भय व्यक्ति को छरने या परेनान करने या हाती पहुँचान तो नायत से उमके शरीर पर वास्तव म प्रहार कर या उथ स्वर्ण कर।” इस धनिन य के लिय यह गात निरूप है कि इस प्रकार प्रहार द्वारा वादी के द्वारा को इसी प्रकार की चोट लगी या नहीं। यह गात भी भावदरक नहीं है कि प्रतिवादों अपने किसी अग द्वारा हो वायी के शरीर पा स्पश वरे। यदि प्रतिवादों न वाणी के द्वारा का स्वरूप यिसी भय वस्तु के माध्यम से किया है तो भी वह हृय नप्रहार व अन्तर्गत या जाएगा। उदाहरणाय, ये प्रतिवादों एक छोटे द्वारा वानी के शरीर का स्वर्ण करता है तो उसका यह व्यय नप्रहार ही वहा आदेता। इसी व्यक्ति के ऊपर थूक दना भी नप्रहार के अनुगत भाना है। [(१६२७) ४३ दो० एत० घार० ५६५]

नप्रहार को उपुक्त परिभाषा के प्रकार म उसके निर्माणित तत्त्व (Clementis) है —

(१) दूर व्यक्ति द्वारा दूषरे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार या उमरा स्वर्ण होना,

(२) यह प्रहार या स्पर्श उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं आनंद के विरुद्ध होना, तथा

(३) यह निरयन है कि शरीर का स्पर्श धोरे से किया गया अथवा इस प्रवार उम व्यक्ति का इसी प्रवार वा वष्ट हुआ या नहीं।

आत्ममण (Assault) और सप्रहार (Battery) का अंतर — आत्ममण और सप्रहार दोनों विभिन्न प्रवार के धृतपूर्ण कल्प हैं। आत्ममण में केवल प्रहार की घमड़ी मात्र दी जाती है, जबकि सप्रहार में शरीर पर प्रहार अथवा उपरा स्पर्श भा किया जाता है। रत्नाल धारज लाल के मतानुसार आत्ममण में शरीर वा वास्तव में स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु सप्रहार में एसा होना अनिवार्य है। यद्यपि दोनों क्षतिपूर्ण कल्पों में गति (Motion) आवश्यक है परन्तु जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो वह कल्प जो विना स्पर्श के आकर्षण होता, सप्रहार के प्रान्तगत आ जाता है।

प्रश्न ८२ — आक्रमण और सप्रहार किन परिस्थितियों में अभियोग्य (Actionable) नहीं हैं? विवरण कीजिये।

उत्तर — आक्रमण और सप्रहार का अधिकारीत्य — आत्ममण और सप्रहार के क्षतिपूर्ण कल्प निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोग्य नहीं हैं।

(१) स्वरक्षा (Self defence) — यदि विसा व्यक्ति ने आक्रमण या सप्रहार अपनो स्वरक्षा के लिये किया है तो वह उन्हें दायित्व से मुक्त समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा के अधिकार का सिद्ध करने को जिम्मेवारी हमेशा प्रतिवादा पर होती है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property) — सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा के लिये कल्पे समय क्षम्य उतना हो वल प्रदूँक्त होना चाहिये किन्तु वह उस परिस्थिति में नितान आवश्यक है। [हिंग प्रति गोडे, (१९५३)४ द० ५३१]

(३) सम्पत्ति का पुनर्गद्वय (Recalling of Property) — इसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसके अधिकार सदर को अधिकार है यदि वह एन व्यक्ति से किये गए उसकी सम्पत्ति वो गैरकानूनी दण से हविया निया हो वारता ले ले। एउटा मामन में किया गया आत्ममण या सप्रहार क्षम्य है। [०७म प्रति हिंग, (१९६१) १० सो० दी० १०१]

(४) अवश्यम्भावी दुर्घटना (Inevitable Accident) —यदि किसी घबश्यम्भावी दुष्टनावश किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का ग्रनथिकृत स्थान उसकी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े तो बाहुन उसको ऐसे कृत्य के लिये दामा कर देगा।

(५) विधिपूर्ण सुधार (Lawful correction) —माता पिता तथा अभिभावक अपने बच्चों को सुधारने के लिये विधिपूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं और उनके वे कृत्य अभियोज्य नहीं होते।

(६) अनुमति (Leave) —अनुमति से किये गये कृत्य क्षतिकृत होते हुये भी अभियोज्य नहीं समझे जाते हैं।

(७) सार्वजनिक शान्ति को सुरक्षा (Preservation of public peace) —सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा में किए गए आनंदण या सप्रहार बाहुनों क्षम्य सम्म्य हैं। तबिन यह भावश्यक है कि ऐसे मामलों में केवल उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि उपस्थित परिस्थिति में नितार भावश्यक हो।

(८) कानूनी व्यवहार में किए गए कृत्य (Acts done in legal process) —कानूनी व्यवहार के लिए कृत्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति को आनंदण या सप्रहार का प्रयोग करना पड़े तो उसका वह कृत्य क्षम्य समझा जाता है और अभियाच्य नहीं होता है।

प्रश्न ४३—मानसिक एव स्नायुविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति के कानून की विवेचना कीजिए।

उत्तर—मानसिक एव स्नायुविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा क्षति —परमर ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिन्हे दख या मुनहर अथवा अनुमद वरन् किसी व्यक्ति के मन म आकस्मिक टेस लगती है और वभा-नभो उत्तर वरिणामस्वरूप उसक सबग इतने अधिक उत्तेजित हो जात है कि उगने उसक स्नायुप्रो को बहुत बड़ी धाति पहुँचती है। तबिन वभा-नभो बबल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है। प्रतएव बाहुन का नियम यह है कि जरूर किसी घटना को उत्तर, मुनहर या अनुमद वरन से व्यक्ति को देवल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है और काई स्नायुविक धाति नहीं पहुँचती सो बाहुन व अन्तर्गत वह क्षति नहीं मानी जाती और वह मुक्तम का कारण (Cause of action) नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि मानसिक कष्ट अथवा मसुविधा को मापन के लिए कोई यात्र उपलब्ध नहीं है। ताकून यदि किसी कृत्य से क्षतिप्राप्त व्यक्ति को समर्ति या शरीर

को हानि पहुँचने के सामन्याथ उसे मानसिक बष्ट भी पहुँचा हा तो ऐसी परिस्थिति में धातिपूर्ति की घनराणि नियत करते समय साम्पत्तिवा या शारीरिक धाति के साथ मानसिक बष्ट पर भी विचार किया जाता है।

एक प्रमुख मामले में प्रतिवादी न एक स्त्री से मूठ मूठ वह क्या कि उसमा पनि इक दुष्टना भ घायल हो गया और उसके दोनों पैर दूट गए। यह मूर्गा समाचार पाकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ और वह बहुत अविक बीमार हो गई। उसके पति को उसके इलाज म दहुत सा घन खब बरना पड़ा। इस मुद्दमे में यह निर्णय किया गया कि प्रतिवादी वाली की धातिपूर्ति का उत्तरदायी है। [विकासन प्रति डाक्टरन, (१८६७) २ वर्ष ० वा० ५७]

मानविक एव स्नायुविक माप्राप्त क मामला भ धातिपूर्ति की घनराणि निर्धारित करने में प्रतिवादी के आचरण का भी ध्यान रखा जाता है। यदि प्रतिवादी का आचरण अनुचित रहा है या उसका उद्देश्य बहुप्रिय रहा है तो धातिपूर्ति की घनराणि बढ़ा दी जाती है।

**प्रश्न ४४—अग भग (Mayhem) नामक धातिहृत्य की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तर—अग भग (Mayhem)** —शारीर के प्रति विद गए धातिहृत्यों में मत्यु क अनियिक घगभग (Mayhem) हो राखा अविक गम्भार धातिहृत्य समझा जाता है। यह ऐसी शारीरिक धानि है जिसम बोई व्यक्ति अपनी नानद्रिय अथवा बहेद्रिय स वचित वर कि या जाता है जबकि इसका इन्द्रिय स्थाया रूप से एव सामाय रूप से काय परन के लिए दुखन हो जाए। उत्तरारणाथ, यदि इसका व्यक्ति का हाय पर, उपलो या दात ताढ या बाट लिए जाए या उसका गाँव को दा जाए तो उस बाकून की तरनीकी भाषा म घगभग (Mayhem) कहा। लिन यहि इसी व्यक्ति की नान या बात कुतर लिए जाए तो वह बाकून की तरनीकी भाषा म घगभग कहा जाएगा। इसका बारण यह है कि इसी व्यक्ति के हाय, पैर, उपलो या दात के न रहन से वह व्यक्ति सरेक के लिए दुखन हो जाना है कि तु नान या बात बाढ लिय जाने पर एसा नही होगा।

यह यात भी स्मरणीय है कि घगभग करना घाराय भी है और उसके लिए फौजदारी बाकून क भानगठ भा गुबदमा चलाया जा सकता है और घगभगों को धातिपूर्ति के साथ साथ दण्ड भी किलाया जा सकता है।

**प्रश्न ४५—मिथ्या कारावास (False Imprisonment) की परिभाषा देते हुए उम्मेदवारों की विवरणा कीजिए।**

## शरीर के प्रति धतिहत्य

**उत्तर—मिथ्या कारावास** ( False Imprisonment ) की परिभाषा — मिथ्या कारावास ( False Imprisonment ) का गत्यवय विसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विना किसी घोषित्य ( Justification ) के पूणे भवरोध लगाने का है। रत्नलाल धीरजलाल न मिथ्या कारावास की परिभाषा इस प्रकार की है—“मिथ्या कारावास ऐसा धतिहत् वृत्त है जिससे कि विसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूणे रूप से रक्षावट ढाली जाए तथा इस रक्षावट ढालने के लिए कोई कानूनी घोषित्य न हो।”

यदि कोई व्यक्ति विसी व्यक्ति का एक भाष्म रात्मे पर एक विशेष दिया म उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने वा मज़हूर कर तो उसका यह वृत्त मिथ्या कारावास मन्त्रगत आएगा। लक्षित यह कोई यत्ति विसी व्यक्ति को केवल एक और जान ही उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक रख वह केवल आधिक कारावास ( Partial Imprisonment ) कहा जाएगा और यह आधिक कारावास मिथ्या कारावास के मन्त्रगत नहीं आता है, क्योंकि मिथ्या कारावास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता पर पूणे प्रतिबन्ध हो।

**मिथ्या कारावास के वृत्त —**मिथ्या कारावास सिद्ध करने के लिए वादी को उसके निम्नलिखित तरफे को सिद्ध करना चाहिए—

(१) यह कि उसको स्वतंत्रता ( Liberty ) पर पूणे प्रतिबन्ध न लगाया गया,

(२) यह कि वह प्रतिबन्ध विना किसी कानूनी घोषित्य के था।

वादी का यह सिद्ध करने को जरूरत नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता पर भवरोध काफी समय तक रहा थयवा उसे किसी कारागार या इस प्रकार के किसी भाष्म स्थान में वास्तविक स्फुरण कर दिया गया। [ बड़ प्रति जो-स, (१८८५) ७ क्यू० वी० ७४२ ] लक्षित यह वात यिद्द बर्ला भान्यक है कि उसकी स्वतंत्रता पर भवरोध गैरकानूनी या और वह भवरोध पूणे रूप था।

प्रन ४६ — पुलिस तथा जन साधारण द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना अथवा उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध लगाने के प्रचलित भारतीय कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

**उत्तर—गिरफ्तार करने का भारतीय कानून** — भारत में गिरफ्तार ( Arrest ) करने का कानून रूप प्रतिया एटिंग ( Criminal Procedure Code ) के प्रत्यक्ष अधिकार है। भाष्म तोर पर विसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी के वारंट ( Warrant of arrest ) की आवश्यकता होती है।

और सामाजिक दिना उसके किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। सेकिन इस सामाजिक नियम के कुछ अपवाद भी हैं और कुछ परिस्थितियों में पुलिस वो दिना वाराट के भी गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है।

भारत को दण्ड प्रक्रिया सहिता में अपराधों को दो बगों में बांटा गया है। एक तो अनुमेय ( Cognizable ) अपराध हैं जिनके किए जान पर सदिग्ध ( Suspected ) व्यक्ति को पुलिस अधिकारी दिना किसी वाराट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरे बग के अपराध निरनुमेय ( Non cognizable ) हैं जिनके किए जाने पर सदिग्ध व्यक्ति को दिना वाराट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

जन साधारण ( Private persons ) भी निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध लगाने का अधिकार रखते हैं —

(१) जब किसी व्यक्ति पर इस बात का सदेह किया जा रहा हो कि उसने हत्या आदि ऐसा अभीर अपराध किया है अथवा जब किसी व्यक्ति न बास्तव में ऐसा अपराध किया हो,

(२) जब किसी व्यक्ति को सावजनिक शांति (Public peace) भग करते अथवा करने की कोशिश करते देखा गया हो,

(३) यदि किसी व्यक्ति को जमानत किसी व्यक्ति न की हो तो जिस व्यक्ति की जमानत की गई हो उस व्यक्ति को पिरपतार करके यायात्रा में लाने का अधिकार जमानत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त रहता है एवं

(४) फरार और अपराध करने के आदी अपराधियों को दिना वाराट गिरफ्तार किया जा सकता है।

यदि कोई पुलिस अधिकारी भ्रमवण किसी एक व्यक्ति के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हों ऐसा करने पर वह पुलिस अधिकारी उस दशा में उत्तरदायी नहीं होगा जब यह मिछ हो जाए कि उसने बास्तव में उस व्यक्ति को पूर्णतया भ्रमवण गिरफ्तार किया था।

यह बात भी स्मरणीय है कि यह कोई व्यक्ति यायात्रा से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाराट प्राप्त करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हों तो गिरफ्तार किए जाने पासी व्यक्ति गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या बारावास की कायवाही नहीं कर सकता। सेकिन ऐसे मामले में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित उच्च तिदं भरने होंगे —

- (१) यह कि वारट किसी अधिकृत यादिक संस्था (Competent judicial tribunal) द्वारा जारी किया गया था,
- (२) यह कि उसने कानूनी रूप से जारी किए गए वारट द्वारा अधिकृत होकर गिरफतार किया, एवं
- (३) यह कि उसने जिस परिस्थिति में गिरफतार किया उम परिम्यति में कानून द्वारा उसको एसा करने का अधिकार प्राप्त था।
-

## मान हानि

( DEFAMATION )

प्रश्न ४७ — मानहानि (Defamation) की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न रूपों की विवेचनात्मक व्याख्या दीजिए।

उत्तर—मानहानि (Defamation) की परिभाषा —विसो व्यक्ति का प्रतिष्ठा वो हानि पहुँचाना उस व्यक्ति को मानहानि कहलाती है। अडरहिल (Underhill) के मतानुसार मानहानि प्रतिष्ठा को बलकित करने वाला ऐसा मूठा कथन है जिसका विप्रकाशन (Publication) किया गया हो। इस कथन के लिए आवश्यक है कि उसमें वादी को प्रतिष्ठा वो क्षति पहुँची हो और उस कथन को प्रकाशित करने का कोई कानूनी भीचित्य न हो। दूसरे शब्दों में मानहानिकारी कथन उस कथन को कहते हैं जिसमें विसो व्यक्ति के आचरण के विट्ठ ऐसी वातें पही गई हो जिसके कारण उस व्यक्ति का समाज में निरादर हो या उस दण मिल या वह समाज में घणित समझा जाए या जिसके कारण उस पर, उसके दबावाय अधिकार पद के सम्बन्ध में दुरा प्रभाव पड़े।

मानहानि के रूप —मानहानिकारी कथन के दो रूप हो सकते हैं— एक लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित मानहानिकारी कथन को अपमानकारी लेख (Label) कहते हैं और मौखिक मानहानिकारी कथन को अपमानकारी वचन (Slander) कहते हैं।

अपमानकारी लेख (Label) —अपमानकारी लेख का तात्पर्य वेवल संकुचित घटों में न होकर बहुत ही वृहत् घटों में लिया जाता है। इसका तात्पर्य ऐसे उन सभी विचारों से है जिनका विसो भी स्थाई रूप में परिणत कर दिया गया हो। उचाहरणाय विसो व्यक्ति का व्यङ्ग चित्र (Cartoon) बनाना और उस चित्र के द्वारा उसको अपमानित करना अपमानकारी लेख के ही अन्तर्गत आएगा। इसी प्रकार विसो व्यक्ति का पुतला बनाकर उसकी मानहानि करना अपमानकारी लेख (Label) के ही अन्तर्गत आएगा।

विसो व्यक्ति के विषय में सबेत एक यदि कोई ऐसा लेख लिखा गया है जिसमें विप्रकेतिक व्यक्ति की मानहानि हो तो वह अपमान कारी लेख ही समझा

जाएगा। एक मामले में प्रतिवादी ने एक रामाचार पन्थ म एक विद्यालय की अध्यापिका के विषय म यह प्रवाणित किया कि यदि वह उस विद्यालय म पढ़ने वाली लड़कियों को पढ़ाती रहती तो वह वहाँ की सभा लड़कियों का भविष्य बिगाढ़ दगी। वह अध्यापिका वास्तव म उस विद्यालय म लड़कियों का अध्यापन बाय करती थी। इस मामले म यह निश्चय किया गया कि प्रतिवादी का लख अपमानकारी लस था। [मिठन प्रति नुपरवाँ जा, ४३ वम्बई लॉरिपाटर, ६३१]

अपमानकारी लस व मुहम् तत्त्व निम्नलिखित हैं—

(१) व्यक्त किया हुआ वर्णन मिथ्या होना चाहिये,

(२) जिस माध्यम के द्वारा वह व्यक्त किया गया हो उसको स्थायी होना चाहिये, एवं

(३) उस वर्णन को ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा वादी को मानहानि हो।

इस प्रकरण में यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि अपमानकारी लस के द्वारा किया क्षतिशृंखला स्वरूप अभियोग (Actionable per se) है और उसमें वादी को यह सिद्ध करने की भावश्यकता नहीं है कि मानहानि के कारण उसको वास्तव म कुछ हानि पहुँची।

**अपमानकारी घर्षन (Slander)** —अपमानकारी घर्षन (Slander) से तात्पर्य भौतिक रूप से वह हुए ऐसे घर्षन स है जिससे वादा को मानहानि होती है। अडारहिल (Underbill) के मतानुसार य भौतिक रूप से वह हुए ऐसे घर्षन हैं जिनका कि अस्त्यायी (Transitory) होना आवश्यक है। उदाहरणाय, मुह से कुशकुमाना, संकेत, मुह, मुद्रा या भावमयी द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि करना अपमानकारी घर्षन व अत्यन्त घाते हैं।

इस प्रकरण में यह बात स्मरणीय है कि अपमानकारी घर्षन घाम तोर पर स्त्री अभियोग नहीं होते हैं। लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में व भी स्वतं अभियोग मान लिए जाते हैं और वादा को मानहानि करने वाले अपमानकारी घर्षनों द्वारा वास्तविक क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है—

(१) जब प्रतिवादी न वादी पर काइ ऐसा अपराध करने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसका दण्ड दारोरिक दण्ड होता है।

(२) जब प्रतिवादी न वादा को किसी ऐसी बीमारी से प्रस्त रहने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसके पारण वादी समाज म विद्युत वर किया जाए और लोग उसे साप उठाना चाहें। यहाँ न वर्ते।

(३) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह घमुक पद या अध्यवसाय के अध्योग्य है।

(४) जब प्रतिवादी ने किसी छो-वादी पर दुश्चरित्रता (Unchastity) का मिथ्या आरोप लगाया हो।

(५) जब प्रतिवादी न वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह जिस पद पर काय कर रहा है उस पद से दुराचरण (Misconduct) वे कारण पदच्युत किए जाने योग्य है।

(६) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह साध-खनिक विश्वास (Public trust) के अध्योग्य है।

यह बात भी स्परणीय है कि अपमानकारी वचन अभियोज्य (Actionable) रही हो सकत हैं जब यह सिद्ध हो जाए कि वे मिथ्या हैं और उनका प्रकाशन किया गया है तब प्रकाशन के परिणाम स्वरूप वादी को विशेष क्षति (Special damage) पहुँची है।

प्रश्न ४८ —अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) में अन्तर —अपमानकारी लेख और अपमानकारी वचन में निम्नलिखित भावर हैं —

(१) अपमानकारी लेख निश्चित या मुद्रित अपमानकारी कथन है जब कि अपमानकारी वचन बोला हुआ या दर्शाया हुआ अपमानकारी कथन है।

(२) अपमानकारी लेख स्वतं अभियोज्य (Actionable per se) नहीं है, विन्तु अपमानकारी वचन सामाजिक विशेष क्षति (Special damage) के लिए होने पर ही अभियोज्य है।

(३) अपमानकारी लेख स्वतं अभियोज्य (Actionable per se) क्षति है, विन्तु अपमानकारी वचन सामाजिक विशेष क्षति (Special damage) के लिए होने पर ही अभियोज्य है।

(४) अपमानकारी लेख का वास्तविक प्रकाशन निर्दोष हो सकता है, विन्तु अपमानकारी वचन का प्रकाशन, यदि वह जान दूर कर स्वाक्षर से प्रकाशन करता है तो उनि पूर्ण पांच सतरदायी होगा।

प्रश्न ४९ —मानदानि के विषय में भारतीय कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उचर—मानहानि के विषय में भारतीय कानून —मानहानि के विषय में भारतीय कानून अङ्ग्रेजी कानून से बही बही भिन्न है। भारतीय कानून के अर्तगत अपमानकारी वचन विना विशेष धनि (Special damage) सिद्ध किए हुए भी अभियोज्य हैं। [ काशी राम प्रति मादू ( १८७० ) ७ बी० एच० सी० ( ए० सी० जे ) १७ ] लेकिन साधारण अपशब्द व्यक्तिपि गानी हो सकते हैं पर विना विशेष धनि सिद्ध किए अभियोज्य नहीं होते ।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख भी पुनरावृत्ति (Repetition) एक नया प्रकाशन माना जाता है। यदि वोई अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख इस प्रकार के हैं कि व स्वयं मूलत अपमानकारी नहीं ये किन्तु उनकी पुनरावृत्ति धनि पूण है तो ऐसी परिस्थिति में उनका मूल वक्ता या सखर क्षति पूर्ति देने का उत्तरदायी नहीं होगा। बल्कि उनकी पुनरावृत्ति करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा। इस सामाज्य नियम के निम्नलिखित अपवाह हैं —

(१) जब वि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कहे या लिखे हाँ कि वे आप व्यक्तियों द्वारा दोहराए जाएं ।

(२) जब वि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कह हाँ या लिखे हों कि उनकी पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी हो ।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख यदि बास्तव में सत्य हैं तब एसे दाना को वह कर या लिख कर प्रकाशित करन वाल व्यक्ति पर क्षति पूर्ति का वोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। चोर को चोर, व्यभिचारा को व्यभिचारी व अप्टाचारी यो अप्टाचारों कहना या सिखना क्षति पूण वृत्त्य नहीं है। अनेक मानहानिक मुकदमे में अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख भी सत्यता सिद्ध करना पूण बचाव (Complete defence) है। यदि यह सत्य है तो यिस उद्देश्य से वे कहे या लिखे गय हैं वह महत्वहीन है। यह बात भी व्याप्त रक्षने योग्य है कि प्रतिवादी के लिए यह आवायव नहीं है कि वह यह सिद्ध करे कि अपमानकारी विषय वस्तु (Slanderous or libelous matter) का प्रत्यक्ष यह सही है। यदि यह ऐसा हो इतना ही सिद्ध कर दे कि अपमानकारी विषय वस्तु का सारांश रही है तो भी यह उत्तरदायित्व में मुक्त हो जाएगा ।

एवं जनर हित (Public interest) म भी गद्द समालोचनाएँ अपमानकारी (Defamatory) नहीं समझी जानी। राय सम्बंधी मामल, याय प्रशासन (Administration of justice), एवं जनर स्थापना (Public Institutions) तथा स्थापत्य सामन (Local self Government) सम्बंधी

बात एवं धार्मिक मामलों में को गई समालोचनाएँ सावजनिक हित की बातें मानी जाती हैं। कला सम्बद्धी कुछ जैसे साहित्य, संगीत, चित्रकारी, नाटक एवं चित्रपट तथा भाष्य सावजनिक मनारजन भी सावजनिक हित में आत्मगत आत हैं। इस प्रकरण में यह बात स्मरणीय है कि उचित आलाचना की स्वतंत्रता प्रजातम का प्राण होती है। शा प्रत्यक्षिप्ति पाल्पी वे मतानुसार वाद स्वातंत्र्य (Freedom of Speech) तथा प्रेस की स्वतंत्रता सभी प्रजात त्र सत्याघोषों का आधार है, जोकि स्वतंत्र राजनीतिक वाद विवाद के बिना जनता की निकासा, जो कि प्रजातंत्र खलाने के लिये बहुत माड़ायक है सम्भव नहीं है।

यदि कोई लखक किसी सावजनिक पश्चिका या समाचारपत्र में किसी व्यक्ति के विषय में अपना मत प्रकट करता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है किन्तु यदि वह उसको दुराचारी या अप्टाचारी कहता है तो उसको अपने कथन का औचित्य सिद्ध करना होगा।

भारतीय कानून के अनुसार अपमानकारी वचन व अपमानकारी लख दोनों दातिकृत्य भी हैं और अपराध (Crime) भी हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए अपमानकारी लखों के लिए समाचार पत्र वे स्वामी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मूल्यक सभी व्यक्ति समुक्त रूप से व व्यक्तिगत रूप से दातिकृति के उत्तरदायी हैं। जिस समाचार पत्र में कोई अपमानकारी लेख प्रकाशित होता है उसके प्रति की विनी एवं अलग प्रकाशन माना जाता है। लेकिन यदि प्रति यादी निम्नलिखित बातें सिद्ध बरदे तो वह दातिकृति के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है।

(१) यह कि उसको इस बात का जान नहीं था कि समाचार पत्र में अपमान कारी लेख है एवं

(२) यह कि उसकी यह अनभिन्नता उसकी असावधारी का परिणाम नहीं था।

लेकिन अपमानकारी वचनों वा प्रकाशक समाचार त्र किसी भा परिस्थिति में गदेव ही दोषी माना जाता है।

इन्हें म अपमानकारी वचन और अपमानकारी लख वे विषय में मुख्यमा चलाने के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित है। अपमानकारी लख के लिए उगे वे प्रकाशन व द महीने के भीतर वा उपस्थिति पर दना चाहिए और अपमानकारी वचन के लिए अवधि दो वर्ष है। लेकिन भारत में नवीनतम कानून लैमा कि अवधि अधिनियम १९६३ म प्रतिपादित किया गया है अपमानकारी लैमा तथा अपमानकारी वचन दोनों के लिए ही वाद उपस्थिति बरने की अवधि एक वर्ष है।

**प्रश्न ५० — मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं ? उनकी सक्षिप्त व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर—**मानहानि के आवश्यक तत्व — मानहानि करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जा दाते सिद्ध कराए आवश्यक हैं वे मानहानि के आवश्यक तत्व वहे जाने हैं। इन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित है —

(१) अपमानकारी लेप तथा अपमानकारी वचन के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा वादी की मानहानि हुई हो।

(२) यदि वचन या लेप अपमानकारी (Defamatory) है तो मक्त्य (Intention) या मतत्व (Motive) जिसमें वे कहा या लिखे गए हैं तब्यहीन (Immaterial) है।

(३) मानहानि करने वाले वचन या लेप वादी के प्रति वह गण या लिखे गए होने चाहिए। इस मर्दभूमि में इन हल्टन कम्पनी प्रति जास (१६१० ए० सी० २०) का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक समाचारपत्र में 'ग्राटिमस जोस', शापक के अंतर्गत एक बहानी प्रकाशित हुई जिसमें कि यह क्या गया कि ग्राटिमस जोस नाम का व्यक्ति जा कि एक गिरजाघर का सरकार या फास में एक न्यौते से साथ अवध घृण्य में रहता था। सदोग्रण ग्राटिमस जोस नाम का वास्तव में एक व्यक्ति वैरिस्टर तथा पश्चकार था। यद्यपि वह गिरजाघर का सरकार नहीं था, विनु जिन व्यक्तियों न वह समाचार पत्र पढ़ा न रहीं यही समझा कि उस समाचार पत्र में छोपी हुई बहानी उसी प्रकार है कि वे प्रति लिखो गई हैं। इस पर ग्राटिमस जोस न समाचार पत्र पर क्षतिपूर्ति वा मुकदमा चलाया। इस मुकदम में यह नियुक्त दिया गया कि प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है भले भी उसका इरादा वादी की मानहानि करना नहीं रहा हो। इस नियुक्त में प्रतिपादित नियम पो मानहानि अधिनियम, १९५२ (The Defamation Act, 1952) द्वारा गणोधित बर दिया गया है। "या गणपत वा घनुमार यदि बोइ पर्क्स अपमानकारी लेप ग्रादि प्रकाशित करता है और जो भी में यह करता है कि यह नगादि नमन घन जान में प्रकाशित हो तो उन इस वात का घनमर दिया जाना है कि वह घननी भूत गुप्तार ले और जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसमें दामा मौग ले। इस अधिनियम का घन्तगत वादी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह घना याचना के स्वीकार करने स्वयं अस्वीकार कर दे। घना याचना किन परिस्थितियों में स्वीकार की जाए और किन में नहीं, इस सम्बन्ध में विशेष प्रविधान इस अधिनियम में गए हैं।

(४) मानहानि करने वाले प्रबंधी का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। बिना प्रकाशन के मानहानि असम्भव है।

(५) मानहानि करने वाले वचन या सेतु मिथ्या होने चाहिए। प्रतिवादी पर इस बात का मानित बरा बा भार है कि जो कुछ उसे कहा है अब वा लिखा है वह सत्य है।

**प्रश्न ११** — (अ) विशेषाधिकृत सम्बन्ध (Privileged communication) से क्या वात्पर्य है? मानदानिं के मदर्भ म सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege), और परिमित विशेषाधिकार (Qualified privilege) की व्याख्या कीजिए।

(ब) 'क' 'ग' की कर्म मे नीकरी के लिए उन्मीदवार था। 'स' ने 'ग' से 'क' के सम्बन्ध मे मालूमात दी। 'ग' ने 'स' को इस सम्बन्ध मे जो पत्र लिया उसम 'क' के चारित्र के विषय मे कुछ मिथ्या अपमानकारी कथन भी था जिसे 'ग' सत्य समझा था। 'ग' की भूल से यह पत्र एक दूसरे लिफाफे मे रखा गया जो 'घ' को मिला। 'घ' न 'क' को इस विषय मे सूचित निया।

क्या 'क' 'ग' के विरुद्ध मानहानि के लिए क्षतिपूति का मुकदमा खला सकता है?

**उत्तर** — (अ) विशेषाधिकृत सम्बन्ध (Privileged Communication) — विशेषाधिकृत सम्बन्ध (Privileged Communication) वह व्यय है जो इसी विशेषाधिकृत अवसर पर बहा जाए। समाज के कुछ व्यक्तियों वे कत्ताम इस प्रकार के होते हैं कि जिनका समाज के हित मे ही इस बात की छूट देनी पड़ती है तो वे अपने व्यक्तिय प्रतिक्रिया के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऐसे दो या बहनों को भी कह सकते हैं कि अब या मानहानि करने वाल मान जाते हो। यह विशेषाधिकृत संदेश कवल विशेषाधिकृत अवसरों पर ही कह सकते हैं।

विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं—(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार, और (२) परिमित विशेषाधिकार। इन दोनों प्रकार के विशेषाधिकारों की व्याख्या निम्न लिखित है—

(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege) — सम्पूर्ण विशेषाधिकार वह है जिसम प्रवार विधाय पर व्यक्ति को पूण वानस्वान्त्र्य (Complete freedom of speech) होना है और इस प्रवार पर वह यह क्यनों या लिए गए लगा के प्रात दम पर मानहानि का मुक्तमा रहा खलाया जा सकता।

लिखित चार प्रकार की कायवाहियों के अवसर पर कुछ व्यक्ति विशेषों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं —

(क) संसदीय कार्यवाही ( Parliamentary proceedings ) — संसद के सभी सदस्यों को संसदीय कायवाही के दौरान में कहे गए कथनों के लिए इस बात की पूरी छूट रहती है कि उन कथनों के अपमानकारी होने पर भी उन पर मुकदमा लगाया जायगा। लेकिन यह बात स्मरणार्थ है कि संसद सदस्यों का यह विशेषाधिकार संसद की कायवाही के समय ही प्रयुक्त हो सकता है। यदि संसद का कोई सदस्य अपमानकारी शब्दों का प्रयोग संसद की परिधि से बाहर करता है तो वह उसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा।

(ख) न्यायिक कार्यवाही ( Judicial proceedings ) — न्यायिक कायवाही में कहे गए कथनों और उनको कहने वालों का कानूनी उमुक्ति ( Legal Immunity ) प्राप्त है। यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि वह कथन जज, वकील, गवाह या पदाकार विस्ते थहा। इस उमुक्ति का माधार सांवजनिक नीति ( Public policy ) है।

(ग) सना तथा नीसेना सम्बन्धी कायवाही ( Military and Naval proceedings ) — सना तथा नीसेना सम्बन्धी अधिकारों तथा वक्तव्यों के पालन में कहे गए कथनों को भी सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है।

(घ) राज्य की कायवाही ( State proceedings ) — राज्य के मामलों व सम्बन्ध में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का भेजे हुए समता संदर्भों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है, यदि इस प्रकार के सादा राज्य द्वारा दिए गए वक्तव्यों के पालन में भेजे गए हैं।

(ङ) परिमित विशेषाधिकार ( Qualified privilege ) — परिमित विशेषाधिकार वह है जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कहे गए अपशब्दों के लिए उन अपाइनो का बहने वाला तब तक चतुरदाया नहीं होता। जब तक कि वाली यह सिद्ध न कर दे कि वे अपशाद प्रत्यक्ष द्वेष ( Malice ) से ब्रेरित होकर वह गए हैं। इस प्रकार के विशेषाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं।

(क) फक्तव्य पालन में भेजे गए सन्देश ( Communication made in performance of duty ) — यदि कोई सर्वा विसी भाष्य अवति के पाल वालों के वक्तव्यों का पालन करने के तिलमिल में भजा जाए और वह सन्देश विसी अवक्ति के लिए अपमानकारी निट हो तो एगा सर्वा वालों की कायवाही से दायुक्त समझा जाएगा। लेकिन शात यह है कि एगा सर्वा जिस अवति के पाल भेजा गया

है उसका भी उस संदेश को प्राप्त करने का कानूनी कर्त्तव्य हो। उदाहरणाथ, आप को अपने यापार के लिए किसी व्यक्ति को नीचर रखना है। वह व्यक्ति पहले किसी आय यापारिक सम्बन्ध में बाइम कर चुका है। आप उस सम्बन्ध के मैनेजर से उस व्यक्ति के चाल चलने के विषय में पूछताछ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस सम्बन्ध का मैनेजर आप के पास उस व्यक्ति के विषय में जो कुछ भी लिखकर भेजेगा उसको परिमित विशेषाधिकार प्राप्त होगा। यदि उस सम्बन्ध का मैनेजर उस व्यक्ति के विषय में कोई ऐसी बात लिख भेजता है जिससे कि यह नात हो जिं उसने द्वेषपूण नीति से प्रेरित होकर ऐसा किया है तो वह व्यक्ति यह सिद्ध कर देने पर उस सम्बन्ध के मैनेजर से मान हानि के लिए शतिहति पाने का अधिकारी होगा।

(र) किसी हित की रक्षा के लिए कहे गए कथन (Statements in protection of an interest) — यदि किसी हित की रक्षा के लिए किसी ने कोई इस प्रकार के कथन कहे हैं तिससे किसी को मानहानि होती है तो वे कथन भी परिमित रूप से उमुक्त समझे जाते हैं। उदाहरणाथ, यदि किसी न अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कहा और कथन उसकी मानहानि करने का कारण बन गया हो उस कथन के कहने वाले को परिमित उमुक्त प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह तब तक शतिहति की कायदानी नहीं कर सकता जब तक वह यह न सिद्ध कर दे कि इस प्रकार का कथन द्वेषपूण नीति से किया गया है।

(ग) निप्पन तथा सही रिपोर्ट (Fair and accurate report) — इस प्रकार की रिपोर्टों के लिए यह जरूरी है कि वे नामवाही का सच्चा बएन करते हों। इन रिपोर्टों के भातगत सम्बन्धीय कायदानी का रिपोर्ट तथा यायिक व अध यायिक कायदानी की रिपोर्ट आ जाती है।

(व) समस्या — प्रस्तुत भागल की परिस्थितिया के अनुरूप विसा नीचर के घरित्र के विषय में किसा यक्ति से दी गई पूछ ताछ परिमित विशेषाधिकृत सम्बन्ध मानी जाती है। [गाडनर प्रति स्ताइ ५८ एन जे० बू० वा० \* ४] भरतएन 'ग' का न देश यथाविग्रह य व अपमानज्ञारी है, बिन्दु 'क' न उस नडनीयती स प्रेपिन किया है। भने हाँ 'ग' का यसावधानी स उस राज्य का प्रकारान 'घ' का हो गया। पर 'ग' ने उस संदेश का 'स' का जिसका पूछ ताछ का थो, प्रेपिन किया था। ऐसी परिस्थिति में 'क' 'ग' के विश्व मानहानि के लिए शतिहति का मुकाबला नहीं बला सकता।

प्रश्न ५० — 'क' ने अपनी नाटक कम्पनी में एक गाने वाले स्ट्रो को नीचर रखा। 'ख' ने उस स्ट्री के विश्व एक अपमानज्ञारी लेट प्रकाशित किया। उस स्ट्री ने भयभीत होकर 'क' की नीचरी छोड़ दी।

क्या 'र' 'क' की ज्ञातिपूति के लिए उत्तरदायी है ?

ममस्या — कानून का यह एवं सामाय नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके हृत्य द्वारा घटित साधारण व स्वाभाविक परिणाम का जान होता है एवं उसका ऐसा इराना होता है, यह समझा जाना चाहिए। लेकिन यह नियम प्रस्तुत समस्या का घटनाप्रा पर लागू नहीं होता, क्योंकि 'ख' के द्वारा अपमानज्ञारों द्वारा प्रकाशित हान का यह साधारण व स्वाभाविक परिणाम नहीं है कि गाँधी वाली स्त्री न 'क' की नींवरी छोड़ नी। ग्राम तार पर एस हृत्य में ऐसे परिणाम की आगा नहीं हो सकती। घरएवं 'क' को ज्ञातिपूति व लिए 'ख' उत्तरदाया नहीं है।

प्रश्न ५३ — मानहानि की कायवाही में बचाव की सम्भव दलीलों पर मन्त्रिमंडलियों लिखिष्य।

उत्तर—बचाव की सम्भव दलीलें ( Possible defences ) — मानहानि की कार्यवाई व बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) सत्य द्वारा आचित्य (Jusification by truth) — अपमानज्ञारों का द्वारा की सत्यता मानहानि की कायवाही में प्रतिवाची की ओर स बयाव की पूर्ण दलील है। इमरा कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलो का अधिकार है। सेविन यह भीवित्य मिठ बरना प्रतिवाची का कर्तव्य है।

(२) निरपक्ष तथा स्वायोचित समालोचना (Fair and bona fide comment) — सावजनिक बाद विवाह के घोषण विसीभा विषय पर निष्पत्ति एवं स्वायोचित समालोचना मानहानि नहीं मानी जाती। लेकिन यह समालोचना विषा द्वेष की भावना से ग्रेवित होकर न की गई है।

(३) विशेषाधिकृत संदेश (Privileged communications) — हृष्टया ग्रन्त ५१ (म) के अनुगत उत्तर दियिए।

प्रश्न ५४ — 'प्रकाशन (Publication)' से क्या तात्पर्य है ? क्या निम्नलिखित परिवर्तियों में कहाँ गए अपशंद प्रकाशित हुए ममके जाएगे —

(अ) 'क' न 'र' से कहा कि घट (र) जारज सन्तान है।

(ब) 'र' ने अपनी पत्नी से कहा कि 'र' जारज सन्तान है।

(स) 'क' ने 'र' की पत्नी से कहा कि 'र' जारज सन्तान है।

उत्तर—प्रकाशन (Publication) — प्रकाशन से तात्पर्य विसी वस्तु को जानकारी दानी के प्रतिरक्ष घाय व्यक्तियों को देना है। ये व्यक्ति ब्रिन्दको जानकारी दी गई तथा क्षमता को समझने में समय होना चाहिए।

(अ) व (ब) — कानून का नियम है कि जब अपमानकारी संदेश अपमानित व्यक्ति को या अपमानकर्ता की पत्ती को दिया जाए तो प्रकाशन नहीं कहसाता। अपमानकर्ता और उसकी पत्ती दोनों कानून के भासगत एक ही व्यक्ति हैं। इतएव 'क' न 'स' से जो वहा मथवा अपनी पत्ती से जो वहा उस प्रकाशित होना नहीं समझा जाना चाहिए।

(स) यह प्रकाशन कहा जाएगा।

प्रश्न ५४ — मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि निर्धारित करने की व्यवस्था किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर — मानहानि द्वारा की गई क्षति की क्षतिपूर्ति — मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए जो पत्रानि निर्धारित की जाती है उसकी व्यवस्था मनका परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनमें मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) अपमानकारी लेन्व या बचन की प्रहृति

(२) वानी भीर प्रतिवादी की हैसियत,

(३) अपमानकारी लेन्व या बचन का सचार, तथा

(४) क्या मानहानि जान दूँझ वर की गई है या अकस्मात् एव किसी भय कृत्य के अप्रत्यान्ति परिणाम स्वरूप हो गई है।

क्षतिपूर्ति की धनराशि निम्नलिखित परिस्थितियों सिद्ध वरने पर कम की जा सकती है —

(१) देव की भावना की अनुपस्थिति (Absence of the attitude of malice)।

(२) अपना दोष मानकर क्षमा याचता की जाए।

(३) वानी की निम्न कौति (Bad reputation)।

(४) वादी द्वारा उत्तेजना (provocation) द्विया जाना।

प्रश्न ५५ — क्या पति पत्ती के धीर मानहानि की कार्यवाही हो सकती है? इस विषय के कानून पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर — पति पत्ती के धीर मानहानि की कार्यवाही — भारत म पति भीर पत्ती एव मारणा व दो न्न माने जाने हैं। कानून भी इस विषार पारा का सम्बन्ध वरना ही भीर पारा की विष्ट म भी पति भीर पत्ती एव इकाई (One Unit) मान जाने हैं। इस बारण किसी व्यक्ति स सम्बन्धित अपमानकारी व्यवहार का

एक प्रतिवादी की पत्ती को ज्ञात होना प्रकाशन नहीं माना जाता। उदाहरणाय, यदि किसी की मानहानि करने वालों बातें उसका एक लिफाके में बाद करके भेजी गई हैं और उन बातों की जानकारी भेजन वाले व्यक्ति का पत्ती को है तो प्रकाशन नहीं कहा जाएगा। इसी आधार पर सामाय नियम यह है कि पति और पत्नी वे दोनों मानहानि को कायवाही नहीं हो सकते।

#### प्रश्न ५७ —टिप्पणी लिखिये—

(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि।

(स) किसी वग विशेष की मानहानि।

उत्तर—(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति —यदि वोई अपमानकारी लेख या वचन इस प्रकार वा है कि वह स्वयं मूलत अपमानकारी नहीं या किंतु उसकी पुनरुक्ति (Repetition) धातिपूण है तब ऐसी अवस्था में उस अपमानकारी लेख या वचन का मूल लेखक या वक्ता धातिपूर्ति देन का उत्तरदायी नहीं होगा वल्कि वह व्यक्ति जो उनकी पुनरुक्ति करने वाला है धातिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

(१) जबकि अपमानकारी शब्दों के मूल वक्ता न अपमानकारी शाद इस उद्देश्य से कहे हों कि वे माय व्यक्तियों द्वारा दाहराए जाए।

(२) जबकि मूल वक्ता द्वारा कह गए अपमानकारी शाद इस ढग से कह गए हों कि उनकी पुनरुक्ति अवश्यम्भावी हो।

बास्तुन के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरुक्ति को एक नया प्रदान माना जाता है। उदाहरणाय, यदि एक समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मानहानि करने के लिए वोई व्यक्ति घाज छपा और वल फिर छपा तो प्रत्येक बार का छपना एक नया प्रकाशन माना जाएगा। लेकिन स्परण रहे कि समाचार पत्र का बेचन वाला समाचार पत्र में उपर्युक्त अपमानकारी लेख के लिए उत्तरदायी नहीं है परं यदि वह उस अपमानकारी लेख को चिल्ला फर दोहराता है तो वह भी उत्तरदायी समझा जाएगा।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि —निगम एक कानूनिक व्यक्ति (Fictitious person) है। इस बारण उसके प्रति धणादि की भावना जागृत होना अभिव नहीं है। भग उम पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यदि निगम के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अपमानकारी व्यक्ति पर काई आपत्ति है तो वे इसके प्रति बाद उपस्थित कर सकते हैं। किसी अपमानकारी सेवे के प्रति निगम द्वारा मुद्रदमा चलाने के लिए यह बिंद बरला जहरी है कि उसके निगम की सम्पत्ति वो धाति पहुँची है या उसके व्यवसाय को हानि पहुँची है।

(स) इसी वर्ग विशेष की मानहानि — यदि कोई अपमानकारी लख इसी वर्ग विशेष के विषय में प्रवाणित विद्या गया है तो उस वर्ग का कोई एक सदस्य ऐने अपमानकारी लख व विरुद्ध साधारणतया मुक्तदमा नहीं चला सकता जब तक कि मुक्तदमा दायर करने व ता यह न मिढ़ कर सके कि उस लेता स विशेष कर उसके ऊपर एक आधेप है। उदाहरणाय, यदि किसी व्यक्ति ने लिखा कि सभा डाक्टर कुर आर अविद्यवसनीय होते हैं तो कोई डाक्टर विशेष एस लख के लिए मुक्तदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह मिढ़ न कर सके कि जिस सदम में वह लख प्रवाणित किया गय है उससे उसके ऊपर आधेप हुआ है। लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा जब कि इसी वर्ग विशेष में वह दो चार व्यक्ति ही हो।

प्रश्न ५३ — 'क' एक अपमानकारी पत्र 'ख' के नाम लिखता है जिसमें वह 'ख' पर कुछ मध्या आरोप लगाता है और 'ख' के पते पर भेज देता है। वह पत्र 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी (personal assistant) को मिलता है जो उस पढ़कर 'ख' के समक्षा आवश्यक कार्यवाही के लिए पेश कर देता है। 'ख' 'क' के विरुद्ध मानहानि का दावा करता है।

क्या 'क' 'ख' की मानहानि के लिए उत्तरदायी है?

उत्तर समस्या — प्रस्तुत समस्या में 'ख' को मानहानि के लिए 'क' उत्तरदायी नहीं है, क्याकि 'क' क द्वारा भेजे गए अपमानकारी पत्र का कानूनी घयों में प्रकाशन नहीं हुआ। 'क' ने 'ख' के पते पर सीधा पत्र भेजा या जो 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी को नहीं पढ़ना चाहिए था।

प्रश्न ५४ — गवाह का वयान बराते हुए कम्पनी के वकील ने उससे पूछा "क्या यह सच है कि वह कम्पनी शहर को सवस बड़ी कम्पनी है?" गवाह ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तभा प्रतिपक्षी ये वकील ने रिमार्क किया, "और वह शहर की सबस नेईमान सस्था है।" कम्पनी ने प्रतिपक्षी के वकील पर मानहानि का दावा किया। क्या प्रतिपक्षी का वकील उत्तर दायी है?

उत्तर—समस्या — न्यायिक कार्यवाही — (Judicial proceedings) के दौरान में फैहे गए अपमानकारी कथन और उनके बहन बाने को कानूनी उमुक्ति प्राप्त होती है। वे समूण विशेषाधिकृत सदा (Absolute privileged communication) बहनात हैं। अनेक ऐने अपमानकारी दावा के लिए नाप, वकील, गवाह एवं पठारों के विरुद्ध मानहानि का मुक्तदमा नहीं लग सकता। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रमुख मामले में यह निषेप दिया है कि गवाह वा यान होते समय प्रतिपक्षी के वकील वा

अपमानकारी रिमाक उसके मवविक्ति के हित में नहीं बहा जा सकता और न उसके बाहुनी वक्तव्यों के पालन में ही किया गया समझा जा सकता है। अतएव वह ऐसे अपमानकारी रिमाक के लिए मानहानि का उत्तरदायी है। [ वहश प्रति वच्चा लान, ५१ इनाहावाद ५०६ ]

प्रश्न ६० — ‘क’ अपने एक सार्वजनिक भाषण में यह कहता है कि सभी उकील मिल्याभाषी होते हैं। ‘ख’ जो एक उकील है और ‘क’ के भाषण के समय घैठक में उपस्थित रहता है, ‘क’ के विशद्म मानहानि का दावा करता है। क्या ‘ख’ का दावा चलने योग्य है ?

उत्तर—समस्या—बाहुन का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई अपमान कारी वचन विसी वग विशेष के विषय में बहा गया है तो उस वग का कोई एक सदस्य ऐसे वचन के विशद्म साधारणतया मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर सके कि वह अपमानकारी वचन विशेष कर उसके क्षेत्र एक आधेप है। ‘ख’ भाषण के समय घैठक में उपस्थित था। अतएव इस सम्भावना के लिए स्पान है कि ‘ख’ पर आधेप करने के लिए ‘क’ ने उसने भाषण में उकील वग के विशद्म अपमानकारी वचन बोला हो। ‘क’ की आलोचना न को सावजनिक हित में ही जा सकती है और न बिना द्वेषपूण मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में ‘ख’ का दावा ‘क’ के विशद्म चलने योग्य है।

---

## पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति ज्ञतिकृत्य (TORTS TO DOMESTIC RELATIONS)

प्रश्न ६१ —पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति ज्ञतिकृत्यों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर —पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति ज्ञतिकृत्यों का वर्गीकरण — ऐसे धातिपूण दृत्य जो पारिवारिक सम्बन्धों को धाति पहुँचाते हैं पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति धातिकृत्य कहे जाते हैं। इन धातिकृत्यों को निम्नलिखित बोटियों में रख सकते हैं —

(१) दाम्पत्य अधिकारों के प्रति धातिकृत्य (Torts to marital rights),

(अ) परपत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife),

(ब) परपत्नी का शमन (Adultery), एवं

(स) परपत्नी को शारीरिक धाति पहुँचाना (Causing bodily injury to another's wife)।

(२) मातृ पितृ अधिकारों के प्रति धातिकृत्य (Torts to parental rights),

(३) स्वामी के अधिकारों के प्रति धातिकृत्य (Torts to Master's rights)।

प्रश्न ६२ —दाम्पत्य अधिकारों के प्रति ज्ञतिकृत्यों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिये

उत्तर —दाम्पत्य अधिकारों के प्रति ज्ञतिकृत्य —पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे की सेवाओं का उपभोग करने का जन्मजात अधिकार है। जो व्यक्ति पति या पत्नी के इस अधिकार को भग भरता है वह कानून की दृष्टि में एक धातिपूण दृत्य करता है और धातिपूति देने का उत्तर दायी होने के लाय साथ कभी कभी दण्ड का भी भागी होता है। दाम्पत्य अधिकारों को सामायक तीन प्रकार से भग किया जा सकता है जिनका विवरण निम्नलिखित है —

(१) पर पत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife) —

यदि कोई व्यक्ति दिसी की पत्नी का बहका लुटा। वर पति से या दूसरों ने भगाने वाले और इस प्रवार पति को पत्नी की गताश्रा व वचन वर दे तो पति भगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धार्तिपूर्ति वा मुद्दमा चला सकता है। इसी प्रवार यदि दिसी को क पति का कोई व्यक्ति उसकी पत्नी क साथ से अचित कर दता पत्नी को भी अधिकार होगा जिसे वह उप व्यक्ति व विषद् जिम्मे रि दगड़ पति वा उससे वचित किया है धार्तिपूर्ति वा मुद्दमा चलाय। इसके साथ साथ यह यान भी समरणीय है कि यदि कोई व्यक्ति दिसी कानूना अधिकार के दिसी व्यक्ति की पत्नी को उत्तराधिकार रहने को प्रेरित करता है तो भी वह पति के विरुद्ध अनुचित वृत्ति करता है और इस वृत्ति के लिये धार्तिपूर्ति वा उत्तराधिकारी है। लेकिन उस व्यक्ति का पत्नी का एम प्रेरित करने के परिणाम स्वरूप पत्नी पति के सहवास (Co-habitation) से दूर हो जाना चाहिये [वैष्ट प्रति समुद्देश फाक्स एड कम्पनी, (१९५२) ए० रो० ७१६]

भारतीय मानून के अनुसार यह तथ्य होता है कि जिस समय पत्नी को उसके पति के घर से नहाया गया। उस समय उसका पति उसी नगर म जिम्मे कि पत्नी थी, या या नहा। [पाभाराम प्रति टाडाराम (१९१६) ५५ इताहास, ६०३]

(२) पर पत्नी गमन (Adultery) —भारत म पर पत्नी गमन (Adultery) भारतीय दृढ़ सहिता (Indian Penal Code) की धारा ४५७ के प्रत्यक्ष एवं दृढ़ोंय प्रपराध है। इस प्रपराध म यद्यपि खो और पुरुष दानों ही समान दृढ़ से भाग लते हैं जिन्हें मुख्य कारणवाण बयल पुरुष हा प्रपराधी माना जाता है। इसी दृढ़ म यदि कोई पुरुष दूसरी की पत्नी के साथ पति की अनुमति व दिना समागम (Sexual intercourse) करता है तो वह दृढ़ का भागी न होकर उस खो के पति का धार्तिपूर्ति दन का उन्नरामा होता है। भारत म यह दृढ़ोंय प्रपराध है। जिसके बारे वेवल प्रपना "बड़ा से अपन पति की अनुमति के दिना पर पुरुष म गमागम करने के लिये इच्छा नहीं है। यह बात भी समरणीय है कि कोई दिसी दिसी धार्ति को पर इस बात के लिये धार्तिपूर्ति वा मुद्दमा नहीं चला रहता कि उसके उपर एवं के साथ गमागम किया है।

पानूना और पर प्रत्यक्ष पति का अपनी पत्नी के साथ गमागम करने का एकाधिकार है। पाठ यात्रा मे प्रेम भावना हा यान हा, और जो व्यक्ति पति को अनुमति दे किसे उसकी पत्नी के साथ गमागम करता है वह पति के उक्त बानूनी

अधिकार को भग करता है और पति को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी है। [बारलॉ प्रति बारलॉ (१६१६) १७२ कलकत्ता ६८]

(३) पर पत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाना (Causing bodily injury to another's wife) — इगल डे में सबसाधारण कानून (Common Law) के अंतर्गत प्रत्यक्ष पति को अधिकार है कि यदि वोई व्यक्ति उसको पत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाय तो वह उस यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चला कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पत्नी को भी इसके समरक अधिकार प्राप्त है। धानक दुष्टता अधिनियम (Fatal Accidents Act) के अंतर्गत यह प्राविधान है कि यदि शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप पत्नी या पति शी मृत्यु हो जाय तो मृतक की पत्नी या पति, जैसा भी हो, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

प्रश्न ६३ — मातृ पितृ अधिकारों (Parental rights) के प्रति क्षति कृत्यों पर सचिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर — मातृ पितृ अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य — माता पिता को अधिकार है कि उह अपने बच्चों की सेवा सदा उपलब्ध रहे। कानून की हाइटे माता पिता का यह अधिकार ठीक उसी प्रकार का है जैसा स्वामी का अधिकार सेवक के प्रति होता है। यदि वोई व्यक्ति किसी को लड़कों या लड़के को बहारा कर माता पिता को उनकी सेवाओं से बचित कर दे तो वह माता पिता को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी होगा। कानून के अंतर्गत प्रत्यक्ष वह लड़की जो घरन पाता पिता के साथ रहती हो माता पिता की सेवा में मानी जाती है। इसीसे वप स कम को मधिकारहत लड़की यहां पिता की अस्थि सेवा में नहीं है तो वह अपने माता पिता को मदा में मानी जाती है। इस गदन में एक प्रमुख मामला उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाये इस प्रकार है कि एक लड़का नीरसों से हटाय जाने के बाद घरन पिता के घर वापस आ रहा था। रास्त में उसको बहारा या (Seduced)। लड़की के पिता न वहकान बात के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा लेताया। इस मुकदमे में यह निश्चय दिया गया। यह पिता वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। [टरी प्रति हटविनान, १८६८ एन० ग्रार० ३ ब्यू० बी० ५६६]

माता पिता को उनके बच्चों की सेवा से किसी प्रकार वचित कर देना क्षतिकृत्य का केंद्र के अन्तर्गत अभियोग है। ऐसे मामलों में यह मिठ करना जरूरी है कि बच्चा माता पिता की सेवा में या और प्रतिवानी ने उसकी सेवा से माता पिता को वचित कर दिया। [वैयम प्रति जेम्स (१६३७) २ बै० बी० ५२७]

**प्रश्न ६४—स्वामी के अधिकारों के प्रति लक्षित्यों का विवरण दीजिये।**

उत्तर — स्वामी के अधिकारों के प्रति लक्षित्य — प्रथम स्वामी द्वारा घपन सबका व मदराप्राप्त वा सराएं प्राप्त बरतन का कानूनी अधिकार है और जो व्यक्ति इसी स्वामी का उमड़े सबका व मविकाप्राप्तों की मेवाप्राप्तों म बचित बरता है वह स्वामी के उक्त अधिकार का भग करता है और इसलिय लक्षित्यूनि दा का उत्तरदायी माना जाता है। स्वामी वा घपन मेवाप्राप्तों की नवाप्राप्तों से निम्नलिखित तीन प्रकार म बचित किया जा सकता है —

(१) सबक या सविका का कारावासित बरक या उत्तरो चाट पहुंचा कर आहून बरक जिससे कि वह सबा बरने म घमगम्य हो जाए।

(२) सबक या सविका द्वा प्रतोभन देकर स्वामी को नोकरा रह हटा दना।

(३) ऐसे सबक या सविका का जिसन कि घपन स्वामी को नोकरी अनुचित ढग से छोड़ दा है, शरण दना।

यदि इसी व्यक्ति ने इसी स्वामी की सेविका को बहुताकर उस स्वामी को उप सेविका की सवाप्राप्तों स बचित किया है तो लक्षित्यूनि स्वामी को लातिकर्ता के गिरद मुक्तमे में यह लिद्व बरना धावश्यक है कि (१) जिस समय स्वामी को घपनी लेविका को लेवाप्राप्त बचित किया गया उस समय सेविका स्वामी के पास इसी सविका को दानों के धनंगत बाय बर रही थी, तथा (२) लक्षित्यूनि (Sucuclion) ए परिणाम स्वरूप लक्षित्यूनि स्वामी की सबा बरा म घमगम्य हो गई। दू वार भी लिद्व बरना चाहिए कि बहुताके व परिणाम स्वरूप बारा का लिक्षित लक्षित (Special damage) पहुंचा।

बहुताके वा इस बदल सेविका के नोकरी दाहूर आद्य चन जान मात्र का नहीं है, बल्कि सविका को व्यामिचार आदिक लिय रखना का भी हाता है।

**प्रश्न ६५ — घदकावे के मामले में लक्षित्यूनि का निर्धारण (Assessment of damage) किस आधार पर होता है ? व्यामिया कीचित।**

उत्तर — घदकावे के मामले में लक्षित्यूनि का निर्धारण — घदकावे के मामले में यायानय गामाद्यत उत्तरानीय लक्षित्यूनि (Exemplary damage) प्रदान बरता है। घदकावे के इस में वेदन घदकावा मात्र हा सम्मिलित नहीं है बल्कि घदकावे ही उद्दी को दुराचार और व्यामिचार बरने के लिय प्रेरित

भरता नो है। अब इन क्षतिङ्गाय विधियों के दरते समय इस पर भी विचार किया जाता है कि लड़ी के प्रति किये गये दुष्यगहार से लड़ा के पिछा का मानिक घट तथा घरमात भी हूपा है। बट्टाने याने यति व साय - परिचार करने से लड़ी गभदरा भी हा मर्दी है। अब इन क्षतिङ्गाय विधियों के दरते समय उत्तरी हानि यात्री जारज मारने का पान यात्रणे का रव का नो उत्तर रखा जाता है। इसके मनिरिक मामले की माय परिस्थितिया पर भी विचार किया जाता है।

---

## स्वतन्त्रता व परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य WRONGS AFFECTING FREEDOM AND STATUS

### (अ) द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution)

प्र० ६६—द्वेषपूर्ण अभियोग ( Malicious Prosecution ) की परिभाषा देते हुए उन तत्त्वों की व्याख्या कोजिए जिन्हें क्षतिपूर्ति के मुकदमे में सिद्ध करना वादी के लिए निरान्त आवश्यक है ।

उत्तर —द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution) —द्वेषपूर्ण अभियोग से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर फौजदारी या दियालिया सम्बन्धी तिराघार व मिशन प्रारोप लगाकर तिफ्फल कारबाही करने स है ।

द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को जिन तत्त्वों को मिल वरना निरान्त आवश्यक है उनकी व्याख्या नीचे बी जा रही है ।

(१) प्रतिवादी द्वारा अभियोग चलाना (Prosecution by the defendant)—द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए सब प्रयत्न वालों को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी न वादी के विरुद्ध अभियोग चलाया, भर्यात् प्रतिवादी के विरुद्ध चलाए गए अभियोग म अभियोक्ता (Prosecutor) या । अभियोक्ता का नून को दृष्टि में वह व्यक्ति है जो अभियोग का नियामन रूप में प्रणीता हो । उदाहरणाय, यह में किसी व्यक्ति से यह कहूँ कि मेरी घड़ी चोरे जलो गई है और मैंने कुछ देर पहले उस घड़ी को अमुक व्यक्ति के पास देया है । यदि यह सूचना पास म सड़ा बोई अधिकारी सुन ले और उस व्यक्ति के दिक्षिण अभियोग चला दे तो ऐसी परिस्थिति में अभियोक्ता नहीं कहा जाऊँगा । लेकिं यह में जान बूझ कर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस म रिपोर्ट दज करा हूँ और उस पर उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाया जाए तो मैं अवश्य अभियोक्ता पहलाऊँगा । यह प्रतिवादी न स्वयं या अपने अधिकृत एजेंट अपना वकील द्वारा आरोप लगाया है तो वह स्वयं उनके परिणाम में लिए उत्तराण्यी है । [प्रेसेन प्रति वाटमन (१९४१) ८ एम० एफ० इन्ड इन्न० ६६१] । अभियोक्ता के प्राप्त पर विचार करने के लिए प्रतिवादी का अभियोग से पहले और अभियोग के बाद में किया गया व्यवहार

विशेष रूप से विचारणीय होता है। [गया प्रसाद प्रति भगत सिंह, ग्राइंड एल० ग्रार० ३० इलाहाबाद, ५२५]

फौजदारी के मामला में क्वल आरोप पत्र का मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अभियोग का चलना नहीं कहा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र को प्रारम्भिक गवाहों के आधार पर विना प्रतिपक्षी की तलबी किए सारिज करदे तो प्रतिवादी द्वारा अभियोग चलाया जाना नहीं समझा जा सकता। लेकिन यदि उसके कारण प्रतिपक्षी की तलबी हुए विना भी उस विसी प्रकार की क्षति पहुँची है तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाला उसका क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। पटना उच्च यायालय ने इस सम्बन्ध में यह निणय दिया है कि जब कि प्रतिवादी के आरोप पत्र प्रस्तुत करने से वादी की तलबी तो नहीं हुई और आरोप पत्र सारिज कर दिया गया किन्तु उसके मकान की तलाशी हुई इसलिए वह वादी की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। [जब पाण्डे प्रति जलधारी रावत, ४ पी० एल० डब्लू० ६६]

दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की पारा ४७६ के भागत की गई कायवाही अभियोग समझो जाती है और अभियोक्ता उसके लिये उत्तरदायी है।

(२) अभियोग में वादी की जीत होना (Favourable termination of prosecution) — वानी का दोषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुख्यमें में यह सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि प्रतिवादी द्वारा चलाय गय अभियोग का निणय उसक (वादी के) पक्ष में हुआ। लेकिन जब कि अभियोग का निणय वादी के पक्ष में तो हुआ हो किन्तु निणय एक्स्टरका (Ex parte, हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वानी ऐसे अभियोग के निणय के आधार पर भी दोषपूर्ण अभियोग का मुख्यमान घता सके।

दोषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुख्यमें में दावे का कारण उस दोषपूर्ण मुख्यमें के चलने की प्रारम्भिक तारीख से पैदा नहीं होता बल्कि वानी के पक्ष में उसके निणय की तारीख से पैदा होता है।

(३) अभियोग में निराधार व मिथ्या आरोप लगाना (Prosecution on the basis of false accusation or without reasonable or probable cause) — वानी को यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी उसके विश्व जा अभियोग चलाया उमम जो आरोप वानी पर लगाय गय थे वे सच्चा निरापार व मिथ्या थे। वादी का यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी को उन आरोपों के निरापार व मिथ्या होने का पूर्वानन या और उसने

वादन्त्र इसके बादी पर अभियोग चलाया। यदि प्रतिवादी आरोपी के सत्य व साधार होने को दखोत देता है तो उसे सिद्ध करने का भार उसके ऊपर होता है, अर्थात् बादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आराप निराधार व असत्य थे।

(४) द्वेष (Malice) —जिस अभियोग की बादी द्वेषपूण बताता है उसे द्वेषपूण सिद्ध करना बादी की जिम्मेदारी है। द्वेषपूण कृत्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति किशेष को दाति पहुँचाना रहता है। ऐसा होना भी सम्भव है कि कोई कानूनों कायवाही प्रारम्भ से ही द्वेषपूण न हो किन्तु वह कायवाही कुछ आगे चल कर द्वेषपूण हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि अभियोक्ता को यह जान हो जाये कि वह कायवाही द्वेषपूण है किन्तु पिर भी वह उस कायवाही को अप्रसर करने में क्रियादील रह तो कहा जायगा कि वह अभियोग प्रारम्भ में द्वेषपूण नहीं या पर आगे चल कर द्वेषपूण हो गया। ऐसी कायवाही के लिए भी द्वेषपूण अभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है।

(५) क्षति (Damage) —द्वेषपूण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए यह भी प्रावश्यक है कि बादी यह सिद्ध करे कि प्रतिवादी ने उस पर जो द्वेषपूण अभियोग चलाया उसके परिणाम स्वरूप उसका दाति पहुँची है। वह क्षति दारी, सम्पत्ति या बीति आदि किसी व भा प्रति किसी भी प्रकार की पहुँची हो।

प्रभ ६७ —द्वेषपूण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर —द्वेषपूण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर —द्वेषपूण अभियोग और मिथ्या कारावास में अन्तर जानने के लिए निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

(१) द्वेषपूण अभियोग से तात्पर्य जान नूफ़ कर मिथ्या प्राराप लगा कर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का होता है, किन्तु मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का होता है।

(२) द्वेषपूण अभियोग में बाने को यह सिद्ध करना होता है कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति जिसमें उस पर अभियोग चलाया गया भीहूद नहीं थो, किन्तु मिथ्या कारावास में यह सिद्ध करने का भार (burden of proof) प्रतिवादी पर रहता है कि वह वास्तव में किसी व्यक्ति को कारावासित करते समय अपन को ऐसा करने

वे लिए कानूनी रूप से समय समझना था, अर्थात् उस ध्येय वृत्त्य का औन्नित्य स्वयं सिद्ध करना चाहिये।

(३) द्वेष पूण मधियोग मे वादी वो यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रति वादी ने द्वेष को भावना से प्रेरित होकर उसके ऊपर भभियोग चलाया, किंतु द्वेष (Malice) मिथ्या कारावास की कायवाही का आवश्यक हत्या नहीं है।

(४) दाति (Damage) द्वेषपूण मधियोग की कायवाही का आधार है पर मिथ्या कारावास की कायवाही का नहीं है।

प्रश्न ६८ — 'क' ने 'ख' के विरुद्ध द्वेषपूण भावना से प्रेरित होकर एक निरावार व मिथ्या आरोपपत्र भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा ५२० के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समन्वय प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने 'क' का शपथपूर्वक यान लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा २०२ का सबूत 'ख' की उपस्थिति में देने का आदेश दिया। इस आदेश के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के आधार पर 'ख' उक्त सबूत की तारीख पर अपने वकील के साथ उपस्थित हुआ और उसे वकील के शुरकादि में छ्यय करना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने उक्त सबूत के आधार पर यह निराय दिया कि 'ख' के उपरान्त किसी अपराध का किया जाना सात्रित नहीं हावा और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २०३ के अन्तर्गत 'क' का आरोप पत्र रह फर दिया गया। 'ख' ने 'क' के विरुद्ध द्वेषपूण अभियोग के आधार पर चतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। 'क' न लील दी छि कानून के अन्तर्गत अभियोग का चलना नहीं माना जा सकता।

क्या 'क' की दलील न्यायसंगत है ?

उत्तर समस्या — द्वेषपूण मधियोग के आधार पर दातिपूर्ति का मुकदमा घलाने के लिए वादी वो यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी उम्मेद विरुद्ध द्वेषपूण मधियोग चलाया। कीजदारी वो कानूनी कायवाही किसी वरण विनोद पर पहुँच कर ही मधियोग मानो जानी है, यह मान नहीं नहीं, बल्कि यह उससे प्रतिपक्षी को किसी प्रकार भी, किसी भी प्रकार भी, किसी भी वरण पर दाति पहुँची है तो वह द्वेषपूण मधियोग के अन्तर्गत माना [ मोहम्मद असीन प्रति योगेंद्र कुमार अनंगी ] प्रस्तुत मामने में 'क' की कायवाही से 'ख' की दाति पहुँची। अनेक कानून की दृष्टि में 'क' के हारा मधियोग खलाया जाना जाएगा और इसकी

यह दस्तील कि बानून के भागत मामले की परिस्थितिया में अभियोग का चलना नहीं माना जाना चाहिए, यायसगत नहीं है।

प्रश्न ६६—‘क’ के आगेप पत्र पर मजिस्ट्रेट ने ‘स’ के विरुद्ध समन और तलाशी का वारन्ट (Search warrant) जारी करने का आदेश दिया। लेकिन इसमें पहले कि समन व तलाशी का वारन्ट जारी किया जा सके ‘स’ न्यायालय में उपस्थित हो गया और उसकी सुनवाई पर मजिस्ट्रेट ने अपना पूर्णादेश रद्द कर दिया।

यद्या ‘स’ ‘क’ के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर उत्तिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है?

उत्तर समस्या — कानून के भागत प्रस्तुत मामले में अभियोग का चलना उसी समय से माना जायगा जिस समय मजिस्ट्रेट ने ‘स’ का समन व तलाशी का वारन्ट जारी करने का आदेश दिया। यह बात तथ्य हीन (Immaterial) है कि ‘स’ पहले ही यायालय में उपस्थित हो गया और उसका समन व तलाशी का वारन्ट जारी न हो सका। यदि ‘स’ द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर उत्तिपूर्ति का मुकदमा चलाने के आवश्यक तत्व-द्वेष, आरोगा का निराधार व मिथ्या होना, खति, इत्यादि सिद्ध करने में समर्य है तो वह ‘क’ के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर उत्तिपूर्ति का मुकदमा चलाकर उत्तिपूर्ति पाने का अधिकार है।

### (न) द्वेषपूर्ण दीवानी कायवाही (Malicious Civil Proceedings)

प्रश्न ७०— यद्या द्वेषपूर्ण दीवानी कायवाही (Malicious Civil proceedings) के किए उत्तिपूर्ति की कायवाही हो सकती है? विवेचना कीजिये।

उत्तर — द्वेषपूर्ण दीवानी कायवाही (Malicious Civil Proceedings) — यदि कोई दीवानी का बाद (Suit) द्वेषपूर्ण भावनासे द्रोरित होता रहिया गया है तो उसके लिए भ्रष्टग म उत्तिपूर्ति का मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) का पारा ३५ (प्र) में कहते ही यह यस्था है कि “यायालय एस बाद म जोख्त बाप का विवाह गतिपूर्ति भी दायनाय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह भ्रष्टग रहे कि यदि एस बाद के परिणाम स्तर पर यक्ति की दायति (Reputation) की सति पड़ती चाहे अब उसकी द्वेषपूर्ण गिरफतारी या उसकी सम्बति की कुर्की (Attachment) प्राप्ति हुई है तो वह उत्तिपूर्ति में लिए भ्रष्टग से कायवा के बरा बा भी अधिकारी है। [भूदायनाय बट्टों प्रति विनायनी दायो, (१९४४) २ बलवत्ता ३५८]। द्वेषपूर्ण

अस्थायी यायादेश प्राप्त करने पर भी शतिष्ठीति के लिए मुकदमा खलाया जा सकता है।

### (स) कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes)

प्रश्न ७८ —कानूनी आदेशकों के दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) से क्या तात्पर्य है? निर्णयों से अधिकृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर —कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) —कानूनी आदेशकों का दुरुपयोग तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति द्वेषपूण भावना से प्रेरित होकर निराधार कारणों से किसी व्यक्ति के विहृद कानून को गति देता है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि यदि कोई कानूनी कायवाही करने के लिए उचित आधारों का अभाव है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी कायवाही करने वाले ने द्वेषपूण भावना से प्रेरित होकर वह कायवाही की है। [प्राइन प्रति हाउस, (१८६१) के ० एण्ड बो० ७१८]। कानूनी आदेशकों के दुरुपयोग के माध्यम पर शतिष्ठीति के मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी का कायवाही का निराय वादी के पक्ष में हूँगा। [निकोतस प्रति शिवरामा अम्यर, (१९२२) ४५ मद्रास ५२७]।

भारत में इनी के निष्पादन में की गई शतिष्ठीति कुर्बी की जिम्मेवारी छिन्नीदार वे ऊपर होता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की पारा ६५. म यह प्राविधिक है कि जिस वक्ति वो अनुचित गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की पूर्व निलंबन कुर्बी (Attachment before judgment) से धरि पड़ चो हो तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त कायवाही (Summary proceeding) में प्रतिकर (Compensation) या सबता है। यदि वह उक्त धारा के अन्तर्गत प्रतिकर न पा सके तो वह शतिष्ठीति के लिए अलग से भी वारू (Suit) प्रस्तुत कर सकता है। [गोवर्धन मेषो प्रति देनी चार्दास (१८७८) २१ डब्लू० आर० ३५५] सेकिन एसा वारू उस स्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जब कि वादी की सम्पत्ति वा कुर्बी उसके जमानत न दाविल करने के पारण की गई हो। [रामाश्वामी अम्यर प्रति गाविंद पिल्ल (१९१५) ३० एम० एस० जे० १८०]

शतिष्ठीति कुर्बी के लिए शतिष्ठीति की घन रायि कुर्बी की गई सम्पत्ति की कुर्बी व समय वी वीमत व चरापर होनी है। यदि प्रतिवादी वारू य द्वेषपूण और निराधार है तो शतिष्ठीति दण्ड (Penalty) और प्रतिकर (Compensation) दोनों रूपों में वी जानी चाहें।

प्रश्न ७९—द्वेषपूण गिरफ्तारा (Malicious arrest) की भारतीय कानून के सदमें में व्याख्या कीजिए।

**उच्चर—द्वेषपूर्ण गिरफतारी** (*Malicious arrest*)—द्वेषपूर्ण गिरफतारी से तात्पर्य निराधार दीवानी आँशकों (*Civil processes without reasonable cause*) द्वारा कानून को गति में ला कर किसी व्यक्ति को गिरफतार कराना है। भारतीय कानून के अन्तर्गत किसी घटित को गिरफतार उस समय समझा जाता है जब कि उसे गिरफतार करने वाले ने वास्तविक रूप से छुआ या रोका हो। प्रतिवादी के द्वारा कराई गई द्वेषपूर्ण गिरफतारी क्षतिपूर्ति के मुकदमे का कारण होती है। [प्राहम प्रति हेनरी गुडरे (१८३३) ६० क्लवता, ६५५] द्वेषपूर्ण गिरफतारी के माधार पर क्षतिपूर्ति के लिये कारबाई तब नहीं होगी जबकि प्रतिवादी ने सभी तथ्य गिरफतारी का माददा दने वाले अधिकारी के समक्ष उसके स्वविवेकपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत कर दिए हों। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति के मामलों में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि—

- (अ) द्वेषपूर्ण गिरफतारी को कायदाही का अतिम निशाय उसके पक्ष में हुआ,
- (ब) गिरफतारी प्रतिवादी ने निराधार कारणों से नहीं, और
- (स) पहुंचाई गई क्षति उस क्षति के मतिरिक्त है जिसके लिए प्रतिकर वाद को दिक्की में दिया जा चुका है या दिया जा सकता था।

#### (द) प्रास्थिति पर प्रभाव ढालने वाले न्यूतिकृत्य (Torts affecting Status)

प्रश्न ७३.—प्रास्थिति (*status*) पर प्रभाव ढालने वाले न्यूतिकृत्यों की विवेचना कीजिए।

**उत्तर—प्रास्थिति (*Status*) पर प्रभाव ढालने वाले न्यूति कृत्य—** कानून ऐसे कृत्यों को जिनसे किसी व्यक्ति की प्रास्थिति (*Status*) पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़े क्षतिपूर्ण मानता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ण दृष्टियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित बगौं में रख सकते हैं—

(१) जाति से बहिरकार (*Exclusion from caste*) —प्रत्येक व्यक्ति जो अधिकार है कि जिस जाति में उसका जाम हुआ है उसका सदस्य बना रहे। यदि कोई घटित उसका इस अधिकार न बचित बरता है तो उसका हृत्य क्षतिपूर्ण माना जायगा। और यह क्षति पूर्ति देने का उत्तरदायी होगा। भाष्यवाला के मतानुगार जाति से बहिरकार व्यक्ति की प्रास्थिति (*Status*) पर प्रभाव ढालने वाला क्षतिपूर्ण हृत्य है और इसीलिए अभियाज्य (*Actionable*) है।

(२) स्तन या अन्य संस्था की सदस्यता में बहिरकार (*Exclusion from membership of club or association*) —मस्तर द्वय या अन्य

सत्याए सदस्य बना। वे लिए कुछ शर्तें निष्पारित कर देती हैं और प्रत्येक ऐसो साधनिक सत्या की कुछ अपनी सम्पत्ति होती है। यह सम्पत्ति साधारणतया सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति मानी जाती है। अत प्रत्येक व्यक्ति जो सत्या का सदस्यता की निष्पारित शर्तें पूरी करता है उसको अधिकार रहता है कि वह उस मस्या का सदस्य बना रह। यदि उसको दिना किसी यायाचिन कारण के सत्या की सदस्यता से निकान दिया जाए तो उसे अधिकार होगा कि वह उग व्यक्ति के ऊपर जिसने कि उसे सत्या की सदस्यता से बचित बराया है धर्मित्वा का मुकदमा खलाए। भावबाला वे मतानुसार यह अधिकार इस कारण होता है कि सत्या की सदस्यता से बचित किए जाने के कारण वह अवित क्लव या सत्या की सम्पत्ति पर उसका जो अधिकार है उससे भी स्वत अपित हो जाता है। यदि सत्या के पास कोई सम्पत्ति न हो तो इस प्रवार का अधिकार भी उत्पन्न नहीं होगा।

(३) पूजा पाठ आदि के अधिकार से बचित करना (Exclusion from worship) — प्रत्येक धर्मविलम्बियों के लिए साधनिक पूजा-पाठ आदि के बास्ते मदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजा पर आदि स्थान निष्पारित रहत हैं जिनम प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वह सम्बद्धित धर्म का अनुयायी है तो माधवनिक पूजा पाठ या ईश्वरोपासना आदि कर सके। कानून अपत्तिया के इस अधिकार को मायता देता है और यदि व्यक्ति के इस अधिकार को भग दिया जाता है तो उसके लिए धर्मिकर्ता धर्मिप्राप्त व्यक्ति को धर्मित्वत्य कानून के अन्तर्गत धर्मित्वा देने के लिए उत्तरायणी है।

---

## सम्पत्ति के प्रति चातिरुत्य

(TORTS TO PROPERTY)

(अ) अचल सम्पत्ति के प्रति चातिरुत्य

(Torts to Immovable Property)

**प्रश्न ७४** — अचल सम्पत्ति के प्रति चातिरुत्यों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर — अचल सम्पत्ति के प्रति चातिरुत्यों का वर्गीकरण — प्रचल सम्पत्ति के प्रति किए गए चातिरुत्यों का निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है —

(१) अनधिकार प्रवेश (Trespass),

(२) वास्तव या निष्कासन (Dispossession),

(३) भावी उत्तराधिकारी के अधिकारों को घाति (Injury to reversionary rights),

(४) प्राकृतिक अधिकारों तथा सुखाधिकारों को घाति (Injury to Natural rights and Easements),

(५) नष्टीकरण (Waste), एवं

(६) वाया (Nuisance).

**प्रश्न ७५** — अनधिकार प्रवेश (Trespass) की परिभाषा देते हुए इस चातिरुत्य पर सहित टिप्पणी लिखिए।

उत्तर — अनधिकार प्रवेश (Trespass) — जिसी घट्का की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करो या उसकी भूमि के भागिपत्त्य (Possession) में विस्तीर्ण करने को अनधिकार प्रवेश कहते हैं। रत्नलाल धोरजलाल ने अनधिकार प्रवास की परिभाषा देते हुए कहा है कि—“अनधिकार प्रवेश विस्तीर्ण की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने या उसके भागिपत्त्य में विस्तीर्ण करने का एक अद्वितीय घटना है।” डॉक्टर अंडरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार अनधिकार प्रवेश में यह घावरण नहीं है कि प्रवेशकी घट्का का प्रयोग करे

और न ही क्षतिपूर्ण इरादा (Wrongful intention) या वास विक क्षति (Actual damage) का होना भवितव्य है। सेव म वहा जा सकता है कि अग्र यदि नीमपति के प्रति दिया गया छोट से दोटा अनुचित बत्य अनधिकार प्रवेश के अंतर्गत आ जाता है यदि उसने सम्पत्ति के स्वामो एवं साधिपत्य में हस्तभेष होता है। [एट्ट प्रति वैरिगटा, १३६५, १८ एस० टी० १०२६]

अनधिकार प्रवेश के सबसे म यह बात स्मरणीय है कि जो यक्ति भूमि के पटल (Surface of the land) का स्वामी है वह भू पटल के नीचे की भूमि (Underlying strata) का भी स्वामी है। यदि वोई व्यक्ति भू-पटल के बीचे भी नीचे के भाग म अनधिकार हस्तक्षेप करता है तो वह अनधिकार प्रवेश का बना माना जाएगा। यह भी स्मरणीय है कि यदि इसी यक्ति वो किसी मय व्यक्ति नी भूमि पर किसी निदित्तन समय तक ठहरो की अनुमति प्राप्त हुई है और वह यक्ति, जितने समय की अनुमति प्रियो है, उसके बाद भी भूमि पर ठहरा रहता है तो ऐसा यक्ति उस समय अनधिकार प्रवेशकर्ता ही माना जायगा।

अनधिकार प्रवेश के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनधिकार प्राप्त करने का समिकारी होगा, यदोंविं अनधिकार प्रवेश एक बार किए जाने पर जब तक जारी रहे तब तक प्रत्येक दिन वह एक नया अनधिकार प्रवेश माना जाता है। उदाहरणात्मक, यदि वोई व्यक्ति मापकी भूमि पर कूड़ा केंद्र दे तो जब तक वह कूड़ा वहाँ पर रहेगा तब तक जिस व्यक्ति नी भूमि पर कूड़ा केंद्र दे तो जब तक वह दिन की क्षतिपूर्णी पान वा अधिकारी होगा और कूड़े का वर्ती पर रहना प्रत्येक दिन एवं नया अधिकार प्रवेश माना जाएगा।

प्रश्न ५६ — यदि नोई यक्ति इसी व्यक्ति नी भूमि के वायुमण्डल में अनधिकार प्रवेश पर तो क्या उसके इस कुत्य को अनधिकार प्रवेश नामक क्षतिहृदय के अन्तर्गत रखा जा सकता है?

उत्तर — वायुमण्डल में अनधिकार प्रवेश (Aerial trespass) — अपनी भूमि के ऊपर उपस्थित वायुमण्डल पर पूर्णधिकार है, इन्हु यदि वोई यक्ति दूसरे व्यक्ति नी भूमि के ऊपर के वायुमण्डल में अनधिकार प्रवेश को कोटि में रखा जाए या नहीं, यह निदित्त नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार ए में जर्ही तब इसी व्यक्ति नी भूमि के वायुमण्डल में वायुयान (Aircraft) के ऊपर दी यात्र है इष विषय में वायु नोवरण

अधिनियम, १९२० (Air Navigation Act, 1920) ने स्थिति विलक्षण स्पष्ट कर दी है। इम अधिनियम के अनुसार यदि कोई वायुयान किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर वायुमण्डल में हाकर उड़ता है तो उस भूमि का स्वामी वायुयान के स्वामी के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश के आधार पर मुक्तमा नहीं चला सकता, किंतु यह है कि वायुयान भूमि स पर्याति उचाई पर उड़े। यदि वायुयान के उडान नेत समय या उत्तरत समय भू स्वामी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगो तो भू-स्वामी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा।

भारत में भी इगलैंड के वायु नीतरण अधिनियम (Air Navigation Act) के समान ही भारतीय वायुयान अधिनियम (Indian Aircraft Act) लागू है जिसके प्राविधान सामान्य यत इगलैंड के अधिनियम के प्राविधानों के समान हैं। इस भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत एक प्राविधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति जान वूक कर किसी व्यक्ति को या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के इराद से उसकी भूमि के ऊपर वायुयान स उड़ाता है तो वह एक अपराधी कृत्य (Criminal offence) करता है तथा ६ महीने के बारावारा या एक हजार रुपया अध दण्ड या दानों के लिये किम्बेदार है।

**प्रश्न ७७ — (अ) अनधिकार प्रवेश के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुक्तमे में वाटी को किन तरों का सिद्ध करना आवश्यक है ?**

**(ब) मियुक्त स्वामी (Joint owners) क्या एक दूसरे के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश का मुक्तमा चला सकते हैं ?**

**उत्तर — (अ) अनधिकार प्रवेश का मूलत — अनधिकार प्रवेश के आधार पर उपस्थित विए गए वाद में वाटी को निम्नलिखित बात मिद्द करना चाहिये —**

(१) यह कि जिस समय अनधिकार प्रवेश किया गया उग्रा भूमि पर वास्तविक अधिष्ठित था, तथा

(२) यह कि उग्रे आधिष्ठित में प्रत्यग एव अनधिकार प्रवेश किया गया।

वाटी को यह तिदं करने की आवश्यकता नहीं है कि इग प्रकार के हस्तेषेष के परिणाम स्वरूप उसको वास्तविक हानि पहुँचो, क्योंकि अनधिकार प्रवेश एवत अभियोग्य (Actionable per se) क्षतिकृत्य है।

**(ब) मियुक्त स्वामी का दायित्व — समुक्त स्वामी (Joint owners)** भी एक दूसरे पर अनधिकार प्रवेश का मुक्तमा चला सकते हैं यदि उनमें से किसी ने समुक्त स्वामित्व (Joint ownership) को उठो का उत्तरपत्र किया है।

**प्रान्तम् — अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध दानी को क्या उपाय ('remedies') उपलब्ध हो सकते हैं?**

**उत्तर — उपाय (Remedies) — अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध दानी दा निम्नलिखित दो उपाय (Remedies) उपलब्ध हो सकते हैं —**

(१) वह प्रतिवादा के विरुद्ध वाइ प्रान्तुन कर सकता है, या

(२) वह वनपूर्वक अपनी आधिकार्य (Possession) का रक्षा कर सकता है यार अनापकृत प्रवावर्ती का अपनी भूमि से बनपूर्वक हटा सकता है, या

(३) वह प्रतिवादा के विरुद्ध यामादा (Injunction) द्वारा वराहर सम्मानित अनधिकार प्रवेश का रक्षा सकता है तथा पहले विए गए प्रवावर्ती के वृत्ति की समाप्ति रक्षा सकता है।

**प्रश्न ५६ — अनधिकार प्रवेश के मुकदमे में प्रतिवादी को अपने विचार (Defence) की क्या दलील उपलब्ध हो सकती हैं?**

**उत्तर — विचार (Defence) की दलील — अनधिकार प्रवेश के आधार पर चनाए गए मुकदमे में प्रतिवादी अपने विचार में निम्नलिखित दलीलें दे सकता है —**

(१) चिरभोगाधिकार (Prescription) — प्रतिवादी अपने विचार में यह दलील दे सकता है कि जिस भूमि पर प्रवेश करने का आरोप में उस पर अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चलाया गया है उस भूमि पर उसको चिरभोग के पारण प्रवेश करने का अधिकार था।

(२) अनुमति एवं अनुमता (Leave and Licence) — दानी की अनुमति अद्यता अनुमता के अन्तर्गत प्रतिवादी न उसकी भूमि पर प्रवेश किया, प्रतिवादी का विचार की एक अच्छी दलील है। यह अनुमति अद्यता अनुमता प्रत्यक्ष या लिखित रूप से नो (Express) हो रही है अद्यता उपलब्धित (Implied) भी हो सकता है।

(३) कानूनगत अधिकार (Authority under Law) — इसमें प्रान्ती आदाना (Legal processes) के द्वारा दिया गया प्रवेश तथा सावधानी आवश्यकता का (Act of Public necessity) गया गया प्रवेश होता है जो कानून का हेट में अनधिकार प्रवेश नहीं माना जाता, जिसु वह आदाना आदानी येत होना चाहिए। इसी आदाना प्रतिवादी के विए यह एक अच्छी विचार की दलील है कि उनके दानी का भूमि पर सावज्ञिक आवश्यकता के बावजूद प्रवेश किया। दानाद्वारा यह, यदि किसी व्यक्ति के गवान में धारा लग गई हो और

आप माला बुझाने के लिए उसकी भूमि पर उसकी अनुमति के दिना प्रविष्ट हो जाएं तो ऐसा प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(४) भूमि पर पुनः प्रवेश (Re entry on land) —जो व्यक्ति अपनी भूमि से बिना किसी ग्रोचित्य के बेखल या निष्पातित कर दिया गया हो और वह अपनी भूमि पर पुनः प्रवेश कर ले तो उसका वह पुनः प्रवाना अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(५) चल सम्पत्ति की पुनर्रूपीत (Retailing of goods) —यदि कोई व्यक्ति किसी की चल सम्पत्ति अपनी भूमि पर ले गया है तो जिस व्यक्ति की वह सम्पत्ति है उस अधिकार है कि उस सम्पत्ति को वापस लेने के लिए सम्पत्ति से जाने वाले व्यक्ति को भूमि पर प्रवेश करे। ऐसा प्रवाना अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(६) वाधा को समाप्त करने के लिए प्रवेश (Abatement of Nuisance) —निसी को भूमि पर वापा (Nuisance) को हटाना या नम परने के लिए जाने वाले व्यक्ति का प्रवेश अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(७) सुखाधिकार (Easement) —जिस व्यक्ति की भूमि पर अन्य व्यक्ति को मुखाधिकार (Easement) प्राप्त है उस व्यक्ति को भूमि पर वह अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किन्तु यह अधिकार कबल आवश्यकता पड़ने पर, अर्थात् जिस आवश्यकता के लिए वह मुखाधिकार प्राप्त है, प्रयुक्त किया जा सकता है।

प्रश्न ८०—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) (Trespass ab initio) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से)—जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई अधिकृत रूप से प्रवेश करता है किन्तु भूमि पर प्रवेश करने के याद वही पर कोई ऐसा काय करता है जिसको करने का उस अधिकार नहीं दिया गया था तो उस व्यक्ति का प्रवेश आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेश (Trespass ab initio) माना जाता है। लेकिन यदि प्रवेशकर्ता न भूमि के स्वामी या बन्देशार की अनुमति से भूमि पर प्रवेश किया था तो नि बानूत द्वारा अनुमति पाकर, वो प्रवेशकर्ता का प्रवेश आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) के लिए निम्ननिमित्त शर्तों का पूरा होना जरूरी है—

(१) यह वि प्रवेश बानूत यानिकर मे दिया गया, धर्ति को अनुमति दे नहीं, तथा

(२) प्रवास करने के बाद का वृत्त्य गैरकानूनी ढग से किया गया ।

दूसरी शर्त के विषय में यह जान लेना जरुरी है कि किसी गैरकानूनी वृत्त्य का विया जाना (Malfeasance) एक बात है और किसी वृत्त्य का गैरकानूनी ढग से किया जाना (Misfeasance) एक दूसरा बात है तथा किसी वृत्त्य के करने अथवा न करने का कानूनी क्षमता या उचित न करना (Non feasance) एक अन्य बात है । भनधिकार प्रवेश (भारम्भ से) के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि प्रवेशकर्ता ने प्रवेश करने के बाद का काय बानूनी ढग से नहीं किया । इस सम्बन्ध में ६ बट्टायों का मुकदमा विशेष रूप से उल्लंघनीय है । इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक बार ६ बट्टाएँ एक सराय में भाएं । वहाँ पर कुछ दाराव उतको दी गईं । उस दाराव के पीने के बाद उन्हाँने कुछ और दाराव के लिए कहा । इस दाराव को पीने के बात उन्होंने उसका मूल्य देन से इकार कर दिया । इस पर सराय वाले ने उनके विरुद्ध उन्हें भनधिकार प्रवेशकर्ता घोषित कराने के लिए बाद प्रस्तुत किया । इस बाद में यह निषेध किया गया कि दाराव का मूल्य न देना वेचल किसी वृत्त्य के करने अथवा न करने के कानूनी क्षमता या उचित न करना (Non feasance) है और वह किसी वृत्त्य का गैरकानूनी ढग से किया जाना (Misfeasance) नहीं माना जा सकता । भतएव बट्टायों को भनधिकार प्रवेशकर्ता घोषित नहीं किया गया । [ सिवस बारपेटस, (१९१०) एस० एल० सी० १४५ ]

प्रश्न द१—वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की परिभाषा देते हुए उसके आधार पर की गई कायवाही में प्रतिवादी के वचाव की सम्भव दलीलों का वर्णन कीजिए ।

उत्तर—वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession)—जब कोई व्यक्ति किसी भाय व्यक्ति की मूमि पर उसे वेदखल करके बिा किसी भणधिकार वे अपना आधिपत्य जमा लेता है तो उसके इस दातिपूण वृत्त्य को वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की गता दी जाती है । जिस व्यक्ति की मूमि पर इस प्रकार भनधिकार आधिपत्य जमाया गया हो उसे भणधिकार होता है कि वह आधिपत्य वरने वाले व्यक्ति पर इस वृत्त्य के प्रति शाद प्रतिवाद करे और उस वेदखल वरा दे ।

यथाव की दलीलें—उपर्युक्त प्रकार के मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से वचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं—

(१) यह कि प्रतिवादी को मूमि पर बानी स भण्डा स्वत्त्व (Better title) प्राप्त है, या

(२) यह वि चिरभोगाधिकार ( Prescription ) के बारण प्रतिवादी का अधिकार वादी की भूमि पर हो गया है और वादी का साम्पत्ति अधिकार समाप्त हो गया है ।

**प्रश्न ८—सुखाधिकारों (Easements)** के अन्तर्गत आने वाले अधिकारों पर सचिवत टिप्पणी लिपिए ।

**उत्तर—सुखाधिकारों** के अन्तर्गत अधिकार —सुखाधिकारों (Easements) के मात्रगत माने जाने वाले वह तो अन्तर्गत अधिकार होते हैं जिन्हें इनमें से मुख्य अधिकारों की विवरता नीचे दी जा रही है ।

(१) जल प्राप्त करने का अधिकार ( Right to water ) —प्रत्येक व्यक्ति को जो विसी नदी पथवा जलाशय वे जल स लाभ उठाना रहा है उसको अधिकार है कि वह उसी प्रकार लाभ उठाता रहे । जल प्राप्त करने के इस अधिकार के साथ तीन प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

(अ) पानी की धारा को रोककर, या

(ब) पानी को गडा बरके, या

(स) पानी के स्रोत को रोककर ।

इस प्रकार के अधिकारों को धाति पहुँचाने वाले के विश्व विविध परिस्थिति के अनुनार वानूनी उपाय प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(२) प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार ( Right to light ) —प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार विसी इमारत के सद्भ में ही प्राप्त किया जा सकता है । खुले हुए मैदान या उद्यान वे प्रति चिरभोगाधिकार ( Prescription ) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । स्मरण रह कि जब सुखाधिकार ( Easement ) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार अन्तिम तर लिया जाए तो उसमें विसी प्रकार का हस्तक्षेप करना एक अभियाज्य दातिपूण वृत्त्य माना जाता है ।

(३) वायु प्राप्त करने का अधिकार ( Right to air ) —वायु प्राप्त करने का अधिकार गो सामाजिक चिरभोग द्वारा अन्तिम किया जाता है । इस अधिकार में हस्तक्षेप निए जाने पर वादी वादी वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह विश्व करने का दावा कर सके कि वायु के प्रतिवादी द्वारा राने जान से उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की सम्भावना है । भारतीय दण्ड संहिता ( Indian Penal Code ) की धारा २७८ के मात्रगत वायु को दूषित करना एक दण्डनीय अपराध भी है ।

(४) पथ का अधिकार (Right to way) —दूसरे व्यक्ति की भूमि पर होकर रास्ता खनने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार स्वेच्छा (Grant), प्राचीन रिवाज (Immemorial custom), आवश्यकता (Necessity) अथवा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह बात भी स्मरणीय है कि यह अधिकार या तो सावजनिक अधिकार हो सकता है अथवा वैमतिक।

(५) गोपनीयता का अधिकार (Right to privacy) —प्रत्यक्ष व्यक्ति को अपने घरेलू काम घाथा से सम्बद्धित बातों को गोपनीय रखने का अधिकार है। भारत में इस प्रकार का अधिकार स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर रक्षित किया जाता है। लेकिन इस विषय में निर्दिष्ट हप्ते से कुछ नहीं वहा जा सकता, यद्योंकि भारत के उच्च यायालय इस विषय में एकमत नहीं है। भारतीय संविधान भी स्त्रियों का पद्मे रखने के पक्ष में नहीं जान पड़ता। पद्मे की प्रथा का वहिकार करते हुए इलाहापाद उच्च यायालय के समानीय जज भी घबन ने एक मुकदमे का निराय दते हुए वहा है कि पद्मे की प्रथा दिनों दिन समाप्त होती जा रही है और यही तक कि बहुत से प्रगतिशील मुसलमानी देशों में भी इसका वहिकार किया जा रहा है। इस आधार पर वहा जा सकता है कि नागरिकों को अपने मकानों की बनावट में बेवजह इस कारण परिवर्तन करने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा किसी के भर की लियों की बेवदगी होती है।

बम्बई उच्च यायालय के भनुसार गुजरात में प्रचलित प्रथा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के घर की गोपनीयता के अधिकार को भग करना एक अभियोग कृत्य है। अत इसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मकान में इस प्रकार के दरवाजे या लिफ्ट्स के द्वारा उसके पढ़ासियों के मकान में भीतर का भाग दिलाई दे और इस प्रकार उसके गोपनीयता के अधिकार को अवहेलना हो। बसकता तथा मद्रास में उच्च यायालय ने यह लिफ्ट और स्वीकार नहीं किया। पटना उच्च यायालय के भनुसार भी गोपनीयता का अधिकार अचल सम्पत्ति का जामजात अधिकार नहीं है।

प्रश्न द३ — किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण (Waste) किस प्रकार का क्षतिकृत्य है?

उत्तर—नष्टीकरण (Waste) —किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण भी उस सम्पत्ति के प्रति किए गए क्षतिकृत्यों में आतंगत घाटा है। यदि कोई व्यक्ति अचल सम्पत्ति की सम्पत्ति को बानूनी रूप से प्रयोग करने में यजाय उसको बर्दाद करे

भयवा उसमें तोड़ फोड़ करे तो ऐसे वृत्य को नष्टीकरण (Waste) के अन्तर्गत रखा जाएगा। यह नष्टीकरण दा प्रकार वा हा सत्ता है—एक तो किसी वत्त य को न करने के कारण और दूसरे शर्तिपूण वृत्य को करके उदित किया हुआ नष्टीकरण।

(प) चल सम्पत्ति के प्रति शर्तिकृत्य (Torts to Movable Property)

प्रति द४ — चल सम्पत्ति के प्रति किये जाने वाले शर्तिकृत्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

उत्तर चल सम्पत्ति के प्रति शर्तिकृत्य — चल सम्पत्ति व प्रति मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तिकृत्य दिए जा सकते हैं—

(१) चल सम्पत्ति को अनधिकृत हस्तगत करना (Trespass to goods) — किसी व्यक्ति को चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत करने, उस पर आपि पत्त जमाने या उसके प्रति किसी प्रकार वा हस्तक्षेप करने को चल सम्पत्ति व प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप करना (Trespass to goods) कहते हैं। इस प्रकार वे शर्तिपूण वृत्य के प्रति चलाए गए मुद्रादम म वादी को निम्नलिखित बातें मिल बरना चाहिए—

(म) यह कि विधिन चल सम्पत्ति उसके आधिकार्य म था, और

(ब) यह कि उसके आधिकार्य म प्रतिवार्ता द्वारा अनधिकार हस्तक्षेप किया गया।

(२) अनधिकृत हस्तगत करना (आरम्भ से) [Trespass ab initio] — जब कोई व्यक्ति कानूनी ढग से कोई चल सम्पत्ति प्राप्त करता है किन्तु प्राप्त करने के बाद उसको वर्द्धित करने सकता है या जिस बात मे लिए उसका सिया या उसके परिवर्तन किसी भय प्रयोग मे साना है और वह प्रयोग कानूनी घटों के विद्यु होता है तो वहा जाता है कि उस चल सम्पत्ति वा हस्तगत करना आरम्भ से ही अनधिकृत (Trespass ab initio) था।

(३) अवरोध (Detention) — अवरोध (Detention) से रात्यर विद्यु दूसरे की चल सम्पत्ति (Chattel) पो बिना किसी कानूनी घोषित्य (Legal justification) क परन याए रोक लता है। इस वृत्य के प्राचार पर चलन वाले मुद्रादमों म वादी वा मिल बरना चाहिये कि यह आधिकार्य का अधिकारी है और प्रतिवार्ता ने वादी द्वारा मति जान पर सम्पत्ति को बातच दन से इनार कर दिया है।

(४) परिवर्तन (Conversion) — जब कोई व्यक्ति किसी भय व्यक्ति दो चल सम्पत्ति वा अनधिकृत रूप से सरक उसको प्रयोग म लाता है प्रयोग द्वारे यदाद बरना है या उसके आधिकार्य से किसी भय प्रकार वा हस्तक्षेप करता है

को उसे परिवर्तन करना (Convection) कहते हैं। परिवर्तन में यूव सम्पत्ति का हस्तगत विधा जाना भविष्याय है। यदि कोई व्यक्ति किसी भाय व्यक्ति की सम्पत्ति लेकर उसका अनधिकृत विनय करले तो उसका इत्य परिवर्तन के अन्तर्गत ही आएगा। इस प्रकार के शतिहूण कृत्यों के विरुद्ध बादी को तीन प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं—

(म) वह उस चल सम्पत्ति को पुनर्प्राप्ति (Recaption) कर सकता है, या

(ब) वह यायात्रा से उस सम्पत्ति को बापसी के लिए यायादश जारी बरा सकता है, या

(स) वह शतिहूति के लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न द५—चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण दीजिए।

उत्तर—चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यवाही—चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियों की जा सकती हैं—

(१) रेप्लेविन (Replevin)—यह एक पुरानी कायवाही का रूप है जिसके पनुसार बादी प्रतिवादी से अपनी चल सम्पत्ति पुनः प्राप्त करता था। कायवाही का यह रूप भव बहुत कम प्रयुक्त होता है।

(२) ट्रोवर (Trover)—इस कायवाही के पनुसार बादी प्रतिवादी से शतिहूति के रूप में, मौलिक चल सम्पत्ति के स्थान पर, घनराशि लेता था, यदि प्रतिवादी चल सम्पत्ति बापस करने को मना कर देता था। इस कायवाही के द्वारा बादी चल सम्पत्ति का मूल्य भव ही बमूल बर सकता था न कि वास्तविक सम्पत्ति।

(३) डेटिन्यू (Detinue)—इस कायवाही के पनुसार बादी प्रतिवादी से अपनी वास्तविक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और साथ ही सम्पत्ति के प्रतिवादी के दाम अनुचित रूप से रहने के लिए शतिहूति भी बमूल बरता था।

प्रश्न द६—चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत कर लेने के मुकद्दमे में प्रतिवादी को अपने घचाव में क्या सम्भव दलीलें उपलब्ध हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर—घचाव दलीलें—चल सम्पत्ति के अनधिकृत रूप से हस्तगत बर हेने के मुकद्दमे में प्रतिवादी अपने घचाव में निम्नलिखित दलीलें देता है—

(१) स्वरक्षा अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा (Self defence or defence of Property)—जिस व्यक्ति में पाप्त चल सम्पत्ति दा भाष्यित्य

है उससे यदि कोई आय व्यक्ति भनुचित ढग से सम्पत्ति छीनना चाहता है तो सम्पत्ति पर आधिपत्य रखने वाले को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति के प्रति बल का प्रयोग कर और अपने आधिपत्य की रक्षा कर।

(२) पूर्णाधिकारों तथा परिमित अधिकारों का उपभोग —इसका ताप्य यह है कि जिस व्यक्ति का विराया दूसरे व्यक्ति के जिम्मे वाली है उसे अधिकार है कि अपने विराय को वसूल करने के लिए वह उसको सम्पत्ति से ले।

(३) कानूनी अधिकार —कानून द्वारा अधिकृत हानि पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चल सम्पत्ति पर अधिकार जमा सकता है।

(४) वादी के स्वयं चक्रिपूर्ण एवं असावधानीपूर्ण वृत्त्य —यदि कोई व्यक्ति किसी आय व्यक्ति की राह रोके, उदाहरणात्मक, उसके प्राप्त घाड़ा मा गाढ़ी प्रादि खट्टों करने मात्र व द करने का प्रयत्न करे तो उस अधिकार होगा कि वह बल का प्रयोग करके अपना रास्ता साफ कर ले।

(५) पुनर्प्राप्ति (Recapitulation) —जो व्यक्ति भनुचित ढङ्ग से अपनी चल सम्पत्ति व आधिपत्य से बचित कर दिया गया है उस अधिकार है कि वह उस चल सम्पत्ति को जहाँ वहाँ देखे या पाय वहाँ से चाप्स ले ले, किन्तु एसा करने में उसे न तो सावजनिक दार्ति (Public peace) भग करने का अधिकार है और न हिसात्मक ढग अपनाने पा।

(६) जस्टटर्ड जस्ट टर्म (Jus Tenui) —इस पद (Term) का शास्त्रीय अप है “आय व्यक्ति का अधिकार”। प्रतिवादी यह दखोल नहीं द सकता कि वादी जिस वस्तु के लिए मुकदमा चला रहा है उस पर वास्तविक स्वामित्व का अधिकार किसी आय व्यक्ति का है न कि वादी का। एसी दखोल प्रतिवादी तभी दे सकता है जब कि वह वास्तविक स्वामी द्वारा अधिकृत होकर वाय पर रहा हो। यह बात भी स्मरणीय है कि प्रतिवादी उक्त दखोल व वल एसे वादी के विशद दे सकता है जिसके पास न तो वित वस्तु का वास्तविक आधिपत्य (Actual possession) है और न रक्तनात्मक आधिपत्य (Constructive possession) है।



## वाधा

( *NUISANCE* )

प्रश्न द७ — वाधा ( *Nuisance* ) की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का विवरण दाजिए ।

**उत्तर — वाधा ( *Nuisance* )** — प्रदेशी भाषा का यह 'यूस स' जिसका हिंदी पर्यायिकाची शब्द 'वाधा' प्रयुक्त हमा है, फ़ासीसी भाषा के नुई ( *Nuice* ) शब्द से पैदा हुमा है । नुई ( *Nuice* ) शब्द का अर्थ हानि पहुँचाना या परेगार करना है । रतनलाल धीरजलाल ने वाधा ( *Nuisance* ) की परिभाषा देते हुए कहा है कि विसी घर्य व्यक्ति की भूमि, भवन या दायदाय सम्पत्ति को हानि पहुँचाना या उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप करना कि वृत्त्य भ्रष्टिकार प्रवेश ( *Trespass* ) व भ्रष्टिगत न रखा जा सके 'वाधा' कहलाता है । ब्लैकस्टोन ( *Blackstone* ) व मगानुसार वाधा ऐसा वृत्त्य है जिसमें कि विसी को हानि पहुँचती हो या भ्रष्टिया घर्यवा क्षति पहुँचती हो । विनफील्ड ( *Winfield* ) का कथन है कि यद्यपि यापा की यथेष्ट परिभाषा दना सम्मव नहीं है, लेकिन क्षतिवृत्त्य कानून के उद्देश्यों के लिए यह एक ऐसा भ्रुचित वृत्त्य कहा जा सकता है जिससे विसी की भूमि भार्ती में भ्रष्टिकार हस्तक्षेप का मान हो ।

इस प्रकार वापा विसी व्यक्ति की भूमि के प्रति किया गया भ्रुचित वृत्त्य है । इसके द्वारा विसी व्यक्ति को भ्रष्टिया हो सकती है । यह वाधा भूमि का वात्तविक शाहि पहुँचा कर भी हो सकती है घर्यवा गुसाईकार या भूमि द्वारा हाने वाले सभी को क्षति पहुँचाकर भी हो सकती है ।

वाधा भ्रात्तवधानी ( *Negligence* ) के कानून का भगोकरण नहीं है । अठरएव वाधा सम्बन्धी वाद में प्रतिवादा भ्रपन बचाव में यह दलोल नहीं द सकता कि उसने उचित सावधाना से वृत्त्य किया ।

वापा के दो प्रकार होते हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है —

(१) सार्वजनिक वाधा ( *Public Nuisance* ) — गावजनिक वापा विसी सावजनिक घर्यिकार के भग फरन व भारण या उसम विसी प्रकार ऐकानूनी

हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसी बाधा के लिए यह मावश्यक नहीं है कि वह भूमि विशेष के प्रति ही हो, बल्कि इसके भारतगत व सभी परिणाम आ जान हैं जिनके कारण सबसाधारण को असुविधा, परेशानी या धृति आदि पहुँचे या जिनस उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो। उदाहरणाय किसी सावजनिक माय को रोकना, बाना को बुरी लगन वाली आवाज (Noise) उत्पन्न करना, बायुमढल की विपेली गैस आदि स दूषित करना तथा और किसी प्रकार का धु भाषार आदि करना सावजनिक बाधा कहलात है।

सामण्ड (Salmand) वे मतानुमार सावजनिक बाधा एक ऐसा गैरकानूनी वृत्त्य है जिसक बरन या न करन के कारण किसी को असुविधा होनी है या किसी को सुरक्षा को खतरा पैदा होना है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि सावजनिक बाधा के लिए यह अनिवाय नहीं है कि वह निश्चित सावजनिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए जान से ही उत्पन्न हो, प्रत्युत वे सभी वृत्त्य जो जन साधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, सावजनिक बाधा के भारतगत माने जाते हैं। लक्षित दात यह है कि इम प्रकार का हस्तक्षेप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर जन साधारण के प्रति होना चाहिए।

यह बात भी स्मरणीय है कि किसी सावजनिक बाधा के विशद् किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बानूनी बायवाही नहीं की जा सकती जब तब कि उस व्यक्ति को सब साधारण की तुलना में कुछ अधिक धृति न पहुँची हो।

सावजनिक बाधा के विषय में यह भी याद रखना चाहिये कि यदि कोई वृत्त्य बानून द्वारा स्वोहृति के पश्चात् किया गया है तो वह सावजनिक बाधा के भारतगत नहीं माना जाएगा। यह बात भी याद रखना चाहिये कि माय अधिकार तो चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं पर सावजनिक बाधा का अधिकार इस भाषार पर भर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए सावजनिक बाधा के भाषार पर चलाए गए मुद्रकमें में प्रतिवानी अपन बचाव में यह दसों नहीं दे सकता कि उसे सावजनिक बाधा उत्पन्न करने का अधिकार चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त हो गया था।

(२) व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)—जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उपभाग इस प्रकार परता है कि उससे माय व्यक्ति की सम्पत्ति का गैर-पानूनी रूप से धृति पहुँचती है तो ऐसी धृति को व्यक्तिगत बाधा कहते हैं। इसके अनिवाय यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का इस प्रकार उपभाग करता है कि उससे दूसरी सम्पत्ति में गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप होता है तो वह भी व्यक्तिगत बाधा

के मन्त्रगत घाटा है। स्मरण रहे विं सम्पत्ति में हस्तदेष अनधिकार प्रवेश (Trespass) द्वारा होने पर बाधा नहीं बहा जायगा।

**प्रश्न ८८—सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का अन्वर स्पष्ट कीजिये।**

**उत्तर—सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का आतर—  
सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा में निम्नलिखित आतर हैं—**

सार्वजनिक बाधा (Public Nuisance)	व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)
१ यह ऐसा गैरकानूनी रूप है जिसे करने या न करने के कारण घाम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में बाधा पड़े।	१ यह सम्पत्ति का हस्त प्रकार उपयोग करना है जिससे अब व्यक्ति की सम्पत्ति को गैरकानूनी रूप से धाति पहुँचे या उसमें गैरकानूनी रूप से हस्तदेष हो।
२ यह सार्वजनिक अधिकार भगवरता है।	२ यह व्यक्तिगत अधिकार में हस्तदेष करता है।
३ यह सबसाधारण या उसके बड़े हिस्से की पहुँचनी चाहिए।	३ यह व्यक्ति विशेष को पहुँचनी चाहिए।
४ चिरभोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त नहीं होता।	४ चिरभोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त हो सकता है।
५ जब व्यक्ति को विशेष शर्त न पहुँची हो वह बाद प्रस्तुत नहीं कर सकता।	५ व्यक्ति कानूनी कायदाही कर सकता है।
६ बाधा उपस्थित भरने वाले वे विश्व कोजारी यायालम भी वार प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे रोकने ने लिए यायांग (Injunction) भी जारी कराया जा सकता है।	६ यह प्राप्त व्यक्ति बाधा वी समाप्ति के लिए तथा क्षतिपूति प्राप्त भरने के लिए कायदाही बर सकता है।

**प्रश्न ८९—सार्वजनिक बाधा के आधार पर बाद प्रस्तुत करने का क्या नियम है?**

**उत्तर—सार्वजनिक बाधा के प्रति बाद—सार्वजनिक बाधा वे विश्व सामायत नियोग व्यक्ति विशेष को वार प्रस्तुत भरने का अधिकार नहीं है। लेकिन**

इस सामाय सिद्धात के कुछ अपवाद भी हैं। विसी सावजनिक वाधा के विरह काइ व्यक्ति तब वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह सिद्ध कर दे कि—

- (१) सदसाधारण भी अपेक्षा उसको विशिष्ट धाति (Special damage) पहुँची है,
- (२) यह धाति विषित वाधा वा प्रत्यग परिणाम है, तथा
- (३) जो धाति पहुँची है वह तुच्छ (Petty) न हारर पर्याप्त (Substantial) धाति है।

**प्रश्न १०—सार्वजनिक वाधा के प्रति उपायों (Remedies) पर**  
**टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तर—सार्वजनिक वाधा के प्रति उपाय—सावजनिक वाधा के प्रति दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। एक तो दीवानी व्यापालय से यायवाही द्वारा वाधा को रोका जा सकता है और विशिष्ट धाति की दशा में धातिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरे फौजदारी व्यापालय में भी सावजनिक वाधा के विरह कायवाही की जा सकती है। इनलैंड में दीवानी वायवाही अटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा भी जा सकती है। भारत में भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ६१ तथा ६३ में सम्बंधित वानुमोक्ष प्राविधिकार है। इन प्राविधिकारों के अनुसार बलकत्ता, भद्रम और बख्दी में एडवोकेट जनरल (Advocate General) तथा प्राय नगरों में कलेक्टरों (Collectors) ने सावजनिक वाधा के विरह कायवाही करने का प्रधिकार है। फौजदारी व्यापालयों में कायवाही करने के सम्बन्ध में भारतीय दाढ़ संहिता (Indian Penal Code) तथा दाढ़ प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) में याचनाएँ प्राविधिकार किये गए हैं।**

**प्रश्न ११—अनधिकार प्रवेश (Trespass) और वाधा (Nuisance) में अन्तर व्यस्त कीजिए।**

**उत्तर—अनधिकार प्रवेश (Trespass) और वाधा (Nuisance) में अन्तर —** इन दोनों में निम्नलिखित भवर हैं—

(१) अनधिकार प्रवेश स्वत अभियोज्य (Actionable per se) है पर वाधा सामायत नहीं।

(२) अनधिकार प्रवेश वापिस्तय (Possession) के विरह अनुचित है तिन्ही वाधा वापिस्तय तथा सम्बन्धित अधिकारों के विरह धातिपूर्ण है।

**प्रश्न ६२** — व्यक्तिगत बाधा ( Private Nuisance ) के विरुद्ध कानूनी उपायों का विवरण दीजिए।

**उत्तर** — व्यक्तिगत बाधा के प्रति उपाय — व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance) के विरुद्ध निम्नलिखित उपाय उपलब्ध होते हैं —

(१) समाप्ति (Abatement) — यदि विसो व्यक्ति को व्यक्तिगत बाधा द्वारा असुविधा हा रही हो तो वह स्वतं सहायता ( Self help ) का सहारा लेकर उस बाधा को समाप्त बर सकता है। लेकिन ऐसा करने से उसे शार्टपूण दग भपनाता भावधक है।

(२) न्यायादरा (Injunction) — यह उपाय तब उपलब्ध हो सकता है जब बाधा का व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वालों द्वारा इनी स्थायों तथा धर्षिक हो कि उसकी पूनि घन द्वारा अतिपूनि दबर न दी जा सकती हो।

(३) क्षतिपूति ( Damages ) — व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वाली क्षति को पूरा करा का परिम उपाय क्षतिपूति प्राप्त करना है।

**प्रश्न ६३** — बाधा के लिए किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?

**उत्तर** — बाधा का दायित्व — निम्नलिखित व्यक्तियों को बाधा के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है —

(१) जो व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है वह उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है। लेकिन भूमि जिस व्यक्ति के भागित्व में हा उत्तरदायी क्षतिय है विं वह बाधा का कायम न रहने दे, अन्यथा दायित्व उस पर भा होगा।

(२) आमतौर पर जिस व्यक्ति की भूमि पर बाधा का उदय होता है उसके विहद कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(३) मामतौर पर भूमि पर बसने वाले किरायेदार के विहद हो उस भूमि पर उदित होने वालों बाधामो के लिए कानूनी कार्यवाही को जाती है। लेकिन भूमि का मालिक भी निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है —

(अ) जब कि भूमि के मालिक न भूमि को किराये पर उठाने से पहले ही बाधा उत्पन्न कर दा हा, या

(ब) जब कि भूमि के मालिक के वक्तव्यों को न निमान के बारण पैरा हुई हो, या

(स) जब कि भूमि के मालिक ने किरायेदार को बाधा यताए राजन के लिए प्रत्याय या परोग स्वर में भ्रन्तिपति द दी हा।

प्रश्न ६४ — बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलों का विवरण दीजिए।

उत्तर — बचाव की सम्भव दलीलें — बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमों में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) स्वीकृति (Grant) — बचाव को यह एक अच्छी दलील मानी जाती है कि प्रतिवादी यह सिद्ध करे कि वादी द्वारा कथित बाधा निसी स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

(२) प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दें सकता है कि कथित बाधा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा अंजित अधिकार का परिणाम है।

(३) प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दें सकता है कि कानून न प्रतिवादों को कथित बाधा के लिए अधिकृत बताया है।

लेकिन बाधा सम्बंधी मुकदमों में निम्नलिखित दलीलें बचाव में नहीं दी जा सकती —

(१) यह कि वादी स्वयं बाधा के पास आया और इस बारण उसको शक्ति पहुँची।

(२) यह कि अन्य यक्ति भी इस प्रकार को बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

(३) यह कि प्रतिवादी अपनी भूमि का तथा उससे सम्बंधित अधिकारों का उपभोग कर रहा है और यदि उससे कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(४) यह कि वह बाधा रोकने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर चुका है।

प्रश्न ६५ — 'क' एक मकान बनाता है। 'र' उसके मकान के आगे गादा पानी इस प्रकार से इकट्ठा कर देता है जिससे बाधा उत्पन्न होती है। 'क' जानता है कि 'र' को चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 'क' 'र' के विशद्ध क्षतिपूर्वि तथा न्यायादेश (Injunction) के लिए दाया करता है। 'र' अपने बचाव में यह दलील देता है कि 'क' यह सब जानते हुए भी उस मकान में रहता रहता है।

क्या 'र' की उपर्युक्त दलील बचाव प्रस्तुत कर सकती है?

उत्तर — समस्या — प्रस्तुत मामसे में 'र' की दलील बचाव प्रस्तुत करने

में असमय है। बाधा को कायबाही में प्रतिवादी की यह दलील निरायक है कि वादी या बाधा का ज्ञान या और वह यह जानते हुए भी उसमें रहता रहा।

**प्रश्न ६६—**प्रतिवादी की भूमि में स्थाने एक वृक्ष की एक शाखा सार्वजनिक माग के ऊपर करीब तीस फीट की ऊँचाई पर झुकी हुई थी। जाड़ों की स्तर में अकस्मात् वह शाखा बादी की गाढ़ी पर जो उस मार्ग से जा रहा था गिर पड़ी। जसके परिणामस्वरूप बादी की गाढ़ी को चिति पहुँची। यह सिद्ध हुआ कि शाखा भीतर से स्थोत्रली हो गई थी किन्तु उसका खोखलापन उचित निरोक्तस द्वारा लचित नहीं हो सकता था।

क्या बादी प्रतिवादी की ज्ञातिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है?

**उत्तर—समस्या—**प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि शाखा बाकी ऊँचाई पर झुकी हुई था और किसी प्रवार भी सावजनिक माग में बाधा उपस्थित नहीं करती थी। यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि वह शाखा भीतर से खोखली हो गई थी पर उसका खोखलापन प्रत्यक्ष लक्षित नहीं हो सकता था। शाखा के अकस्मात् गिरने का कारण उसका प्रत्यक्ष खोखलापन था जिसके लिए प्रतिवादी वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

**प्रश्न ६७—**प्रतिवादी एक स्थान पर अपनी मशीन को उस वर्ष से अधिक समय से चला रहे थे। उस स्थान के करीब बादी, जो एक डाकटर था, का बगीचा था। बादी ने उस बगीचे के एक कोने पर अपने अध्ययन के लिए एक कमरा बनवाया। मशीन के शोर से उसको बड़ी असुविधा हुई।

क्या बादी बाधा के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध दाधा कर सकता है?

**उत्तर—समस्या—**प्रस्तुत मामले में बादी प्रतिवादी के विरुद्ध दाधा कर सकता है यदि वह यह मिल बर दे कि प्रतिवादी की मशीन से उसे बहुत असुविधा होती है। प्रतिवादी चिरभागाधिकार (Prescription) की दलील मपने बचाव मनहीं दे सकते, क्योंकि बादी ने अध्ययन का कमरा बनवाये से पहले मशीन का खोर बगीचे के सिए हानिकारक नहीं था, किन्तु अध्ययन का कमरा बन जाने के कारण वह हानिकारक हो गया और इसीलिए वह अभियोज्य (Accionable) बन गया।

**प्रश्न ६८—**क' ने 'र' को अपनी भूमि कैमिकल पत्थरों को एसिड घनाने के लिए एकत्रिव करने को किया था पर दी। 'र' के पत्थर एकत्रिव

करने की प्रक्रिया से निकलने वाली गेस वायुमण्डल को विद्युता करती है जिससे पास पड़ोस के रहने वालों के स्थान्त्र्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दूरदृश्य असुविधा होती है।

उपर्युक्त मामले में बाधा के लिए क्या 'क' उत्तरदायी है?

उत्तर — समस्या — बानून के अन्तर्गत भूमि का स्वामी विरापदार द्वारा पैदा की गई बाधा के लिए तब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि बाधा उपस्थित करने की उसने भ्रष्टुमति दी हो। भ्रष्टुत मामल में 'क' न कैमिकल पत्थरों वो एवं चित करन के लिए अपनी भूमि को विराप्ते पर दिया है। वह जानता है कि ऐसा करने से विद्युती गेस वायुमण्डल में कैंचेगी। भ्रष्टएव बाधा उपस्थित करने के लिए उसका यह श्रद्धय उभको अप्रत्यक्ष भ्रष्टुमति सिद्ध करता है, इसलिए वह उपर्युक्त बाधा के लिए उत्तरदायी है।

---

## असावधानी

*(NEGLIGENCE)*

**प्रश्न ६६ — (अ) असावधानी (Negligence) और आशिक असावधानी (Contributory Negligence) की परिभाषा दीजिए।**

(ब) वादी ने एक चलती हुई ट्राम गाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न किया किन्तु अपने प्रयत्न में असफल रहा और इस प्रयत्न में ट्राम गाड़ी के पहिये से उसके पेर का ऊँगड़ा कट गया। वादी ने ट्राम वे कम्पनी पर ज़िविपूर्ति के लिए दाया किया। क्या वादी ज़िविपूर्ति पाने का अधिकारी है?

**उत्तर — असावधानी (Negligence) —** चम्बस के पद्ध कोप में असावधानी (Negligence) का अथ उचित सावधानी का घमाव (Want of proper care) दिया गया है। सामण्ड (Salmond) ने असावधानी की परभाषा देते हुए कहा है कि “असावधानी इडलीय लापरवाही है (Negligence is culpable carelessness)”。 विल्स (Willes) के पनुतार असावधानी से ऐसी सावधानी की बमी का बोध होता है जिसका बरतना प्रतिवादी का व्यतीर्ण हो। कहा जा सकता है कि असावधानी एक ऐसा वृत्त्य है जिसमें विकर्ता अपने वृत्त्य के परिणाम की ओर से उदासीन हो। विनफील्ड (Winfield) ने कहा है कि असावधानी एक क्षतिवृत्त्य की हैसियत में उचित सावधानी बरतने के कानूनी व्यतीर्ण की अवहेलना बरतना है जिसका परिणामस्वरूप प्रतिवादी के न चाहो पर भी वादी को क्षति पहुँच जाए। दूसरे शब्दों में अपेक्षित सावधानी न बरतने के कारण व्यतीर्ण से विमुत होने की असावधानी बहुत है।

उपर्युक्त विवरण में धारावार पर असावधानी के सीन धावायक तत्त्व (Elements) हैं। पहला तो कानूनी व्यतीर्ण, दूसरा उस फर्तन य से विमुत होना और तीसरा उस कानूनी व्यतीर्ण से विमुत होने के परिणाम स्वरूप क्षति का होना। इस प्रकार यह यात विनोद स्वरूप से स्मरणीय है कि सावधानी बरतने का व्यतीर्ण कानूनी व्यतीर्ण होना चाहिये। नतिक या पारिक व्यतीर्ण से विमुत होने वाले के विट्ठ व्यतिवृत्त्य कानून के धारणाएँ असावधानी का धारों में समाया जा सकता।

किस परिस्थिति में सावधानी बरतने का वृत्तव्य विद्यमान है इस विषय पर ढोनोपा प्रति स्टीवेंसन का नामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं। एक जिजर वियर (एक प्रकार का पेय) के निर्माता ने एक भपारदशक शीशी को बोतल में वियर भरकर एक दुकानदार को बेच दी। दुकानदार ने उस वियर की बोतल को ऊंचों को ऊंचों एवं दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति ने वह वियर एवं खो को पीन के लिये दी। उस खो ने घोड़ी सी वियर पीने के बाद देखा कि उसम बड़ा हुआ थापा मिला या जो कि बार-खाने में बरत भरते समय वियर में मिल गया था। वह खो वियर पीकर बोमार हो गई। उसने वियर के निर्माता के विहृद क्षणित्रूति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के निणुय में वहां गया कि दक्षिण वियर निर्माता एवं वियर प्रयोग बरने वाली स्त्री की चीज़ कोई अनुबंधाय वस्तु (Contractual duty) न था तो भी वियर निर्माता घसावधानी के लिए उत्तरदायी है।

सावधानी बरतन के प्रसुग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को किस परिस्थिति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनवेताधों ने सावधानी का जो मापदण्ड (Standard) निर्धारित किया है, उसके अनुसार मनुष्य तोन प्रकार की सावधानी बरत सकता है। एक तो प्रत्येक परिस्थिति में अत्यधिक सतर्कता एवं सावधानी बरतो जाए, दूसरे उन्होंने सावधानी जितनी कि सापारण व्यक्ति घपने वायों को करने में बरतता है और तीसरी वह, जो कि इस सापारण सावधानी से कम हो। इन तीनों का टिक्कों सावधानी में से दूसरे कोटि की सावधानी की प्रत्येक व्यक्ति से भावा को जाती है। सेविन यह बात भी स्मरणीय है कि व्यक्ति की सापारण सावधानी भी परिस्थिति में घनुमार बदलती है। उच्चाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति घपने हाथ में बल्लम सेवर भोड़ में जा रहा है तो उसको उस व्यक्ति की तुलना में जो उस भोड़ में छाना सेवर जा रहा है, उद्गत अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस सम्बन्ध में यह बात यह रखिए कि सावधानी की कोटि इस बहुत पर निर्भर रहती है कि जितनी कृत्य को किया जा रहा है और जिये परिस्थिति में किया जा रहा है, उसम जितनी सावधानी भी आवश्यकता है।

**आशिक घसावधानी (Contributory negligence)** —भागिक घसावधानी को परिभाषा देते हुए रत्ननाल धीरजलाल न बहा है कि आशिक घसावधानी ए उम घसावधानी का बोध होगा है जिसमें कि बादी किसी घाय व्यक्ति द्वारा हो जात परिणामों को परित होने से न रोक जब कि उसे ऐसा करने का पूर्ण परामर प्राप्त हो। डाक्टर अन्डरहिल (Dr Underhill) द्वे घनुसार बादी को

भारिक भसावधानी का दोषी हब बताया जाता है जब कि उसने अपनी सापरवाही द्वारा अपने को इस प्रकार खति पहुँचाई हो जि यदि वह सावधानी से काय करता तो उसकी प्रतिवादी द्वारा की गई भसावधानी के परिणामस्वरूप खति न पहुँचती।

भारिक भसावधानी के विषय में विलेस (Willes) ने कहा है कि यदि वादी और प्रतिवादी दोनों बराबर-बराबर दोषी हैं और दोनों की समुक्त भसावधानी के कारण दुर्घटना पटी है तो वादी प्रतिवादी से खतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। यदि वादी की भसावधानी ही खति का कारण है तो भी वह खतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है चाहे ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी वो वितनी भी भसावधानी रही हो।

भारिक भसावधानी ने सिद्धात को समझने के लिये डेवोय प्रति वान [(१८४२) १० एग० डब्लू० ५४६] में मामले का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं—एक बार एक व्यक्ति ने सायजनिक मार्ग पर एक गधे का उसक पैर बाध कर वान चलने के लिए छोड़ दिया। एक मोटर ट्राइवर द्वारा खड़ा पर चलते समय उस गधे को चाट पहुँच गई। गधे के स्वामी ने मोटर के स्वामी पर आठिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में कहा गया कि मोटर ट्राइवर को लुपटना चाने वा भवार या, और इस भवार के होते हुए भी उसने गधे को चोट पहुँचाई। अतएव मोटर वा स्वामी गधे के स्वामी को खतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

भारिक भसावधानी सिद्ध बताने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो यह घटना है कि उसक विपक्षी न ममावधानी से काय बिया। सामायत प्रतिवादी ही अब वधाव में वादा की भारिक भसावधानी की दसोन देता है। यदि प्रतिवादी ऐसा सबूत प्रस्तुत करने में भसावधानी की दसोन के सबूत के भाषार पर वादी की भारिक भसावधानी सिद्ध नहीं होती तो वादी को यह सिद्ध करने को भावशक्ता नहीं है कि यह मानिए भसावधानी का दोषी नहीं है। यदि यायात्रा इस निष्ठ्य पर पहुँचने से भसावधानी का दोषी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में काय भसावधानी का दोषी है जो ऐसी परिस्थिति में काय प्रतिवादी के पक्ष में होगा।

(ब) समस्या —प्रस्तुत मामले की घटनाएँ एक प्रमुख मुद्दमे से मूल जो अमेत जो प्रति बद्दई ट्रामवे बम्पनी (१८११) बम्पई लॉ ट्रिपोटर, ३४५) की घटनाएँ हैं। इस मुद्दमे में यह निर्णय दिया गया है कि प्रतिवादी (ट्रामवे बम्पनी) वाने का आठि पूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, व्याप्ति वाने ने स्वयं ही भसावधानी से काय बिया है।

प्र० १०० — आशिक असावधानी के सिद्धान्त पर जबीन विधानों ने क्या प्रभाव डाला है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर आशिक असावधानी पर जबीन विधानों का प्रभाव :—  
इंग्लैण्ड के सब साधारण कानून (Common Law) के पारिषक असावधानी के सिद्धान्त को सुधारने के लिये कानून सुधार (आशिक असावधानी) प्रधिनियम, १९४५ [The Law Reforms (Contributory Negligence) Act] पास किया गया है। इस प्रधिनियम ने आशिक असावधानों के सिद्धान्त में बहुत अवश्यक बदलाव कर दिया है। अब सशोधित कानून के अनुसार यह नियम बन गया है कि अब जिसी व्यक्ति को अपनी तथा भाय जिसी व्यक्ति को असावधानी के परिणामस्वरूप बोई जाति पहुँचे तो ऐसा परिस्थिति में उस जातिपूति प्राप्त वरन के प्रधिकार से शुल्क देया बचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में यायात्रियों को प्रधिकार होगा कि वे परिस्थितियों को देख कर यायानुदूल ढग से जातिपूति की घनराणि कम कर दें। लेकिन जातिपूति की घनराणि को कम करने से पहले यायात्रिय को यह निश्चय करना अनिवार्य है कि यदि वादी न असावधानी से काय न किया होता तो उसको वित्ती जातिपूति प्राप्त करने का प्रधिकार होता।

प्र० १०१ — असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमे में खादी को क्या सिद्ध करना चाहिए ?

उत्तर असावधानी का सन्तुत — असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमे में खादी का निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिए —

(१) यह कि प्रतिवादी का कानूनी वक्तव्य वा कि वह उचित मात्रा में रावधानी बरतता,

(२) यह कि प्रतिवादी का यह वक्तव्य वादी के प्रति था ,

(३) यह कि प्रतिवादी ने अपने कानूनी वक्तव्य का पातन नहीं किया ,

(४) यह कि खादी को जो जाति पहुँची, वह प्रतिवादी को असावधानी का प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया (Direct consequence) था

(५) यह कि वादी को प्रतिवादी को वित्ती असावधानी के परिणामस्वरूप जाति उठानी पड़ी ।

स्मरण रहे कि असावधानी सम्बन्धी मुकदमों में भी कानून का यह सामान्य नियम काम होता है कि जो व्यक्ति बोई बात बहता है, उसको सिद्ध करना उसे करा

चतुरदामित्व है। भवएव बादी को यह सिद्ध करना जरूरी है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काय किया और उसकी असावधानी के कारण बादी को क्षति पहुँची है।

प्रश्न १०२ — 'परिस्थितियाँ स्वय बोलती हैं' (Res ipsa loquitur) के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

उत्तर — परिस्थितियाँ स्वय बोलती हैं (Res ipsa loquitur) असावधानी के आपार पर चलने वाले मुकदमों में वानी पर यह सिद्ध करने का भार (onus of proof) होता है कि प्रतिवादी के असावधानी से काय करने के परिणामस्वरूप ही उसको (वारी को) क्षति पहुँची है। सकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जब वारी इतना तो सिद्ध कर सकता है कि उसको दुष्टनावश क्षति पहुँची है कि तु यह यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं होता कि उसे प्रतिवादी की असावधानी के कारण क्षति पहुँची है, क्योंकि घटना की परिस्थितियाँ पूर्णतया प्रतिवादी को ही ज्ञात होती हैं और उनकी जानकारी बादी की पहुँच स परे होती है। ऐसी परिस्थिति में वात्स का यह सिद्धान्त कि परिस्थितियाँ स्वय बोलती हैं (Res ipsa loquitur) लागू होता है और बादी को प्रतिवादी की असावधानी मिल करने के भार से मुक्त कर दिया जाता है।

उपयुक्त सिद्धान्त को सरलता से समझने के लिए बन प्रति बोटिल [(१०६३) २ एच० एण्ड० सी० ७२२] के मुद्रदमे का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मुद्रदमे की घटनाए इस प्रकार है कि एक बादी एक सड़क पर जा रहा था। सड़क के दिनारे एक मवान में प्रतिवादी का माटे का भण्डार था। इस भण्डार की एक लिडकी सड़क पर खुलती थी। जब बादी उस लिडकी के ठीक नीचे से होकर सड़क से गुजर रहा था तो माटे का एक बोरा लिडकी से निकल कर गिरा जिससे बादी को छोट पहुँची। इस मुद्रदमे में निणय दिया गया कि घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काय किया और इसी कारण यह दुष्टना हुई, क्योंकि सापारणतया लिडकी से निकल कर माटे का बोरा सड़क पर तब तक नहीं गिर रखता जब तक असावधानी ये काय न किया गया हो। दुष्टना स्वय हो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि असावधानी से काय किया गया है।

डॉ. अंडरहिल (Dr Underhill), ने उपयुक्त सिद्धान्त की विवेदना बरत हुए बहा है कि जब वभा दिसी काय की व्यवस्था प्रतिवादी या उसके सेवकों द्वारा देते रेते ग होती है और दुष्टना को प्रहृति इस प्रकार भी होती है कि यदि उचित शावधानी से काय किया जाए तो इस प्रकार की दुष्टना सापारणतया

चटिन नहीं हो सकती तो ऐसी परिस्थिति में कानून यह निष्क्रिय निकालता है कि प्रतिवादी की असावधानी के बारण ही दुष्पटना हुई है और वादी को दाति पहुँची है।

इस सिद्धात की उत्तमूमि यह है कि यदि कथित परिस्थितियों में असावधानी सिद्ध करने का भार वाले पर ढाला जाए तो वह वार्ता के लिये बेवल दुष्ट हो कठिन ही न होगा, वरन् प्राय असम्भव होगा क्योंकि जिन कार्यों की व्यवस्था पूरणपूर्ण प्रतिवादी की देख रेख में हुई है, व पूरणतया उसके अधीन होनी है और वहाँ तक प्राय वार्ता की पहुँच नहीं हो सकती। इसलिए ऐसो परिस्थितियों में कानून प्रतिवादी की असावधानी का अनुमान कर सेता है।

लेकिन यदि दुष्पटना इस प्रकार है जैसा कि साधारणतया हो जाती है तो उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा। उदाहरणात्मक, यदि आप भपते कार में बैठे हों और आपके पैर से जूता निकल कर सड़क पर गिर जाए और किसी राह चलने वाले को खोट पहुँचे तो यह नहीं वहा जापगा कि यह एक अस्वाभाविक घटना है, क्योंकि पैर से जूता निकल कर गिर जाना कोई अस्वाभाविक या असाधारण बात नहीं है। इस सम्बन्ध में विद्यु प्रति बड़ीदा सेंट्रल इंडिया रेलवे कम्पनी (२५ बम्बई लॉ रिपोर्ट, ८८१) का मामला उल्लेखनीय है। एक बार एक व्यक्ति (वादी) एक रेल में यात्रा बर रहा था। इस यात्रा परत समय रेल की वर्ध (Bend) पर चढ़ने के लिए जो सोडी (Ladder) लगी होती है, वह वादी पर गिर पड़ी। वादी ने प्रतिवादी (रेल कम्पनी) पर उक्त सिद्धात का आधार पर मुकदमा लगाया। इस मुकदमे में निण्य दिया गया गि इस मामले में उक्त सिद्धात (Res ipsa loquitur) लागू नहीं निया जा सकता।

प्र११ १०३ —‘ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)’ से आप क्या उमझने हैं? असावधानी सम्बन्धी मुकदमों में क्या यह घटाय की एक अच्छी दलील है?

उत्तर —‘ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)—कानून की तरनीकी भाषा में ईश्वरीय वृत्त्य का यह तात्पर्य नहीं है कि समारे सभी काय आपार ईश्वरीय वृत्त्य है। कानून की भाषा में यह तात्पर्य यह है कि जिनसे आधो, तूफान, भूकम्प, विज्ञी गिरना आदि ऐसो घटनाघों का प्रयोग करते हैं तो उनसे आधो, तूफान, भूकम्प, जिनसे रोकना और जिन पर नियन्त्रण रखना मानव-क्षमता से पर है। ये सभी घटनाएँ प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनमे हाने वाली दाति के लिए कोई व्यक्ति या संस्था उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती।

दा० अडरहिल (Dr Underhill) वे मतानुसार ईश्वरीय प्रकोप यह ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God) वे घटनाएँ घणवा हुए हैं जिनके परिणामों से मानवीय दूरदृशिता द्वारा नहीं बचा जा सकता। ये ऐसी घटनाएँ घणवा कृत्य हैं जिनकी सम्भावना को मानवीय गुणि कभी भी मान्यता नहीं प्रदान कर सकती। इम कारण ईश्वरीय घटनाएँ जब घटित होती हैं तो हम उनको भावस्मिन् सकट कहते हैं और उनके द्वारा होने वाले परिणामों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

उत्तराल धीरजलास का कथन है कि वे कृत्य जो कि प्राकृतिक शक्तियों के परिणामस्वरूप घटित होते हैं और जो मानवीय एवं आय शक्तियों से पूरुतया स्वतन्त्र होते हैं, ईश्वरीय कृत्य की कोटि में रखे जाते हैं, जैसे—धधी, तृफान, घसापारण वर्षा, घसाघारण ज्वार आदि।

क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत घसावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में प्रतिवादी का घपने बचाव में यह कहना कि क्षति एक ईश्वरीय कृत्य द्वारा हुई है, एक अच्छी दसील पानी जाती है यदि प्रतिवादी घपन कथन की सिद्ध कर सके।

विनफील्ड (Winfield) ने इस सदम में निकोलस प्रति मामले-८ का एक प्रतिद मामला घपनो तरसम्बधी पुस्तक में उद्धृत विया है। इम मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी की कुछ पानी की भीले थीं। उनसे बनाने में विसी प्रकार की घसावधानी नहीं बरती गई थी और न उनको देख रेख में विसी प्रकार की घसावधानी बरती गई। लेकिन एक बार घसाघारण वर्षा होने के कारण उन भीलों के चारों ओर के बाय हूट गए और भीलों का पानी दूर तक फूँ गया। इस प्रकार की घसाघारण वर्षा पहले कभी नहीं हुई थी और न ही प्रत्याहित की जा सकती थी। भीलों का पानी कैलने से चार बड़ी नावें (Barques) बह गद। नावों के स्वामी ने भीलों के स्वामी पर क्षतिपूति का मुकामा घनाया। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि पानी का इस प्रकार बढ़ कर बहना एक ईश्वरीय कृत्य था। मतएव भीलों का स्वामी नावों के स्वामी का क्षतिपूति देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रश्न १०४ —असावधानी के संदर्भ में अपश्यम्भावी दुर्घटनाओं (Inevitable Accidents) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—अपश्यम्भावी दुर्घटनाएँ (Inevitable Accidents) — घसावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में प्रतिवादी घपने बचाव में घसाघारणमावी दुर्घटना की दसील दे रहता है। घसावधानी दुर्घटनाओं से तात्पर्य उन

दुघटनामों से है जिनको कि साधारण सावधानी तथा विवेक द्वारा होने से बचाया न जा सके। उदाहरणाथ, आप मोटर से जा रहे हैं और एकाएक जोर का तूफान आ जाने के कारण एक बृक्ष टूट कर आपकी मोटर पर गिर पड़ता है और आपको मोटर टूट जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप बृक्ष के स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बृक्ष का गिरना एक अवश्यम्भावी दुघटना है। इस सावध में रतनलाल धीरजलाल ने अवश्यम्भावी दुघटना की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवश्यम्भावी दुघटना से उस दुघटना का तात्पर्य है जिसको साधारण सावधानी, सततता या दक्षता द्वारा घटित होने से न बचाया जा सके। डॉ. अंडरहिल (Dr Underhill) ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अवश्यम्भावी दुघटना द्वारा होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराना यायोग्यित नहीं है।

**प्रश्न १०५** —‘क’ जिस गैलरी में चैठा फुटवाल का बैच देख रहा था, उस गैलरी का एक भाग गिर जाने से घायल हो जाता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ‘क’ के अधिकार क्या है, यदि उसने—

- (अ) भाड़ा देकर टिकट लिया हो ,
- (ब) केवल पास लिया हो तथा
- (स) अनाधिकार प्रवेश किया हो ?

**उत्तर समस्याएँ** —(प) ऐसी परिस्थिति में ‘क’ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि उसको हैसियत निमित्तित (Invitee) व्यक्ति की है। यदि कोई व्यक्ति विसी व्यक्ति को भाड़ा लेकर निमित्तित करे तो वह स्थान के सुरक्षित होने का भावनासन भी देगा और यदि निमित्तित व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

(व) ऐसी परिस्थिति में ‘क’ की हैसियत केवल अनुज्ञा प्राप्त (Licensee) व्यक्ति की है। अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति स्थान को जैसी भी दाता में है जैसी ही दाता में उपयोग कर सकता है। यदि उसमें कोई जातिम प्रत्यक्ष है तो उसे स्वयं देसना चाहिए और यदि प्रत्यागित है तो उसे स्वयं सततता बरतनी चाहिए। अनेक ‘क’ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(स) बाहून का यह सामाजिक नियम है कि अनाधिकार प्रवेशकर्ता (Trespasser) के प्रति स्थान के स्वामी का वाईक्टश्य नहीं है। अनाधिकार प्रवेशकर्ता जोतिम का स्वयं जिम्मेदार है। यतएव ‘क’ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**प्रश्न १०६—** वादी एक चलती हुई ट्राम में घडने के प्रयत्न में गिर कर घायल हो गया। ट्राम का पायदान (Foot board) जिस पर होकर घडते हैं ढाला था और इसी वारण वादी का पीर किल गया था। क्या वादी क्षतिपूति प्राप्त करने का अधिकारी है?

**उत्तर समस्या—** प्रस्तुत मामले की पठनाएँ एक प्रमुख मामले हसराज प्रति बम्बई ट्रामवे बम्पनी (३१ बम्बई, ४७८) की पर्याप्त हैं। इष मामले में यह निणाय हुआ है कि वादी का यह तक कि ट्राम का पायदान ढाला होते हैं कारण ही वह गिरा और घायल हुआ नहीं माना जा सकता। यदि एही ट्राम में सवार होते समय वादी गिर वर घायल हो गया होता तो ट्रामवे बम्पनी क्षतिपूति देने के लिए उत्तरदायी होती। लेकिन घलती हुई वादी में सवार होते समय वादी स्वयं मानित अमावपानी (Contributory Negligence) का जिम्मेदार है। इसलिये यह क्षतिपूति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**प्रश्न १०७—** नज़ा का आशिक असावधानी (Contributory negligence of Children) पर विचारणी लिखिए।

**उत्तर वशों की आशिक असावधानी (Contributory negligence of children)—** नज़ा का परिपक्व अवस्था के व्यक्तिदों की तरह सोच नहीं सोच सकते कि उनको विवादात्मक परिस्थिति में इस प्रकार सावधानी वरतनी चाहिये, इसलिए आशिक असावधानी (Contributory Negligence) का सिद्धान्त उन पर लागू नहीं होता। लेकिन एवं मामलों में यह सिद्ध करना सावधान है कि वशा परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था। सालम्ड (Salmond) का कथन है कि जब वादी एक वशा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसी की भाँति अगमदना (Incapacity) रखते वाला हा तो वे वन इतना सिद्ध कर देना पर्याप्त है कि उसने उनको सुनिश्चित बरता जितना कि उस अवस्था का व्यक्ति बरत सकता है।

उपर्युक्त प्रश्नालय में निष्प्रति नराठन [(१९४१) १ वर्ष ० दो० ३०] का मुद्रान्मा विनोद व्यवस्था में रहनेवाली है। इस मुद्रादेन की धर्माद इस प्रकार है कि एक बार प्रतिवादी ने धाना घोड़ा और गाड़ी को सड़क पर भ्रष्ट छोड़ दिया। उस समय उसमें कोई भी शक्ति नहा था। एक सातवर्षीय बालक उसमें चढ़ गया और एक दूसरे बालक ने घोड़े को चला दिया। परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति (वादी) उस घोड़ागाड़ी से ज़हरी हो गया। मुद्रान्मा में बहा गया कि प्रतिवादी (घोड़ागाड़ी का स्वामी) क्षतिपूति देने का उत्तरदायी है। यहाँ वशा परिपक्व असावधानी का दोषी नहीं माना जा सकता।

प्रश्न १०८ —‘क’ शराय पिए हुए एक जनमार्ग के सिरे पर पड़ा था। ‘ख’ उस जनमार्ग पर मोटर चलाता हुआ आया और ‘क’ को कुचलता हुआ गुजर गया। जिस जगह ‘क’ पड़ा था, वह जगह साधाधाना से देखने पर देसी जा सकती थी।

क्या ‘क’ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में ‘क’ आविक भ्रसावधानी का जिम्मेदार है, इसलिए वह ‘ख’ से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बाह्यन सुपार ( आविक भ्रसावधानी ) अधिनियम, १९४५ [Law Reforms (Contributory Negligence) Act, 1945] के पन्तगत ‘क’ ‘ख’ से उतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जितनी भ्रसावधानी के लिए ‘ख’ उत्तरदायी है। इस अधिनियम के पन्तगत ‘क’ पूण्यतया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से विचित नहीं हित्या जा सकता।

प्रश्न १०९ —सतरनाक जानवरों को रखने के दायित्व की चायारत्या कीजिए।

उत्तर : सतरनाक जानवरों के रखने का दायित्व —यदि मानवीय अनुभव के बारण जानवरों का कोई वग सतरनाक समझा जाना है, तो हो उस वग का कोई जानवर विशेष पालतू हो, तो वह व्यक्ति जो उसे पालता व रखता है, उसक द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी माना जाना है। [फिल्ड प्रति व्यूपिल्स पेसल (१९६०) २५ एल० बी० ही० २५८] उदाहरणार्थ—दौर, चाता, भेड़िया, बादर और हाथी मादि जानवर जगती भीर सतरनाक समझे जाते हैं। जो व्यक्ति इन जगता जानवरों को पालता व रखता है, वह ऐसा घपनी जिम्मारी पर कर सकता है भीर यदि उनसे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध म यह बात निरपक है कि ऐसे जानवरों का स्वामी उन्ह सतरनाक होना जानता है घरथा नहीं। जो जानवर आदमियों पर आक्रमण करने भीर उन्हें काटने के घारी होते हैं उनसे मालिक इस ज्ञान के साथ ही उन्हें रक्षण देते हैं भीर वे उनके द्वारा हुई क्षति के उत्तरदायी मान जाने हैं।

उपर्युक्त प्रकरण म प्रबाणाकुमार मुमर्जी प्रति हैरे, [(१९०९) ३६ बलकता, १०२१] का मामला उद्घृत बरना हितवर होगा। इस मामले मी परनाए इस प्रकार है कि प्रतिवर्णी के कुत्ते जो उसके नीचे वे देख रेख में पलते थे, नीचे वे जान में आदमियों पर आक्रमण करते भीर उन्ह काटने के घारी थे। एक दिन वह नीचे उन कुत्तों को एक मनोरक्त की जगह पर से गया। घारी वा सातवर्दीय बालक कुत्तों को देग वर दर गया भीर दर के बारण छिलता पड़ा। परिणामस्वरूप मुक्ता

ने उस पर आकृषण कर दिया और उसे दुरी तरह काट लिया। यायासलय ने कुत्तों के स्वामी को बाढ़ी का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया और ४०० रुपय का प्रतिकर और ६०० रुपय इलाज के दृश्य की घनराशि क्षतिपूर्ति में बाढ़ी को प्रदान की गई।

स्मरण रहे कि स्वतरनाक जानवरों को पालने का दायित्व सम्पूर्ण दायित्व (Absolute liability) नहीं है प्रत्युत वह असाधारणी पर निभर करता है।

**प्रश्न ११०** —पुलिस के एक सिपाही ने देखा कि शाम के बाद भी प्रतिवाढ़ी के गोदाम के द्वार सुने हैं। अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उसने सोचा कि गोदाम के भीतर देख लें कि सब कुछ ठीक है। इस आशय से वह भीतर गया और गोदाम के एक गढ़े में गिर फट जखमी हो गया। क्या वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है?

**उत्तर समस्या** —प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि सिपाही अपनी इच्छा से गोदाम में गया और उसे गोदाम में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास वही जाने के लिए बोई अनुज्ञा-पत्र (License) नहीं था। यदि यह मान भी लिया जाए कि उसको भीतर जाने का अधिकार था तो भी प्रतिवाढ़ी पर गोदाम के भीतर का भाग सुरक्षित रखने का कोई क्षतिव्य नहीं था। मतहेतु सिपाही क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है।

**प्रश्न १११** —विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्तियों (Persons professing to have greater skill) के लिए सावधानी का क्या मापदण्ड है? व्याराया कीजिये।

**उत्तर विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्ति** —यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जिसमें उनकी दक्षता एवं विशेष योग्यता ही व्यवसाय का मापांक है तो ऐसे व्यक्तियों का पाने कायी म पूर्ण दक्षता एवं विशेष योग्यता का परिचय देना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित बाँड़ों में रखा जा सकता है—

(१) कम्पनी के निदेशक (Directors of Companies) —कम्पनी के निदेशक पर मात्र अवक्तियों की सम्पत्ति का भारी विश्वास रखा जाता है। उनकी तनिक भी अयोग्यता इह सम्भाली की बाणी में हुआ सकती है। अनेक कम्पनी के निदेशकों को अवधिक साधारणी से बार्यं बरते अपनी दक्षता एवं योग्यता का परिचय देना चाहिया है।

(२) चाहक (Carriers) —चाहक दो प्रकार होते हैं—एक जो जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर से जाने है और दूसरे जो यात्रियों को

तथा उनके सामान दोनों को ले जाते हैं। जो व्यक्ति या सेस्पा बाहक का कार्य करती है, उनपर सामान तथा यात्रियों को उनके इच्छित स्थान तक सुभित पहुँचाने का उत्तरदायित्व माना जाता है। इस प्रकार के सावजनिक बाहक (Public carriers) सामान तथा यात्रियों को सति पहुँचाने पर सतिपूति के उत्तरदायी होते हैं किन्तु केवल उन परिस्थितियों में जबकि सति ईश्वरीय वृत्त द्वारा या राज्य के शत्रु द्वारा या वस्तु के स्वयं ने दोष के कारण न हुई हो। विशेष संक्रम (Special Circuit) के द्वारा बाहक का दायित्व कम भी बिया जा सकता है।

(३) चिकित्सक (Doctors or Physicians) — ऐसे विशेष योग्यता के अवसाय में काय करने वालों से उच्चतम दक्षता की आगा की जाती है।

(४) बैंकर्स (Bankers) — बैंकर्स विश्वास योग्य व्यक्ति होने का दावा करते हैं और इस प्रकार जबता उनपर विश्वास एवं भरोसा करती है। यद्यने ग्राहकों की चेक का मुगवान करना तथा उनका हिसाब भादि रखना उनका कर्तव्य है। नड़लों चेक का मुगवान कर देने पर वैक ही उत्तरदायी माना जाता है।

(५) सालिसिटर्स (Solicitors) — डाक्टरों की मानि ही सालिसिटर्स भी बठित वक्तव्य का भार यद्यने करते हैं। वे यद्यनी असावधानी द्वारा विए गए उन सभी परिणामों के प्रति उत्तरदायी हैं जिनसे कि उनके मुद्रद्वारों (Clients) को सति पहुँचना है।

(६) सराय रक्षक (Inn keepers) — सराय के घ इर ठहरने वाले यात्रियों व उनकी सम्पत्ति को रक्षा करना सराय रक्षकों का बानूली वक्तव्य है। सराय के घाँटर यात्रियों व उनके सामान को यदि सति पहुँचती है तो भास्तीर पर सराय-रक्षक ही सतिपूति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।

इसके अतिरिक्त वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करनवालों पर भी एक भारी उत्तरदायित्व रहता है। भास्तीर पर वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करने वाले तब ही उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं जब उन वस्तुओं का निर्माण करन म उहोंने घरयधिक असावधानी से काय दिया हो। इस सम्बन्ध में प्राट प्रति भास्तीर्नियन नाईटिंग मिल (१८३६ ए० रो० ८५) का मुद्रदमा उल्लेखनीय है। इस मुद्रदमे को पटनाएँ इस प्रकार है कि बादी ने बाजार से कुछ गम बपडा रारीदा। उहरी पहन्दे से उग्री घम रोग (Dormicillitis) हो गया। उसने उस बपडे को एक मुन्हवर व्यापारी से रारीश दी। बपडे में सल्फाइट (Sulphites) की अधिकता से बाराण ही बादी को घम रोग हुआ था। बपडे के इस दोष को मुन्हवर विदेना नहीं

देख सकता था, क्योंकि वह एक गुल दोष था। वपडा उत्पादक (Manufacturer) ने उम्मोदी जयों का त्या बिना किसी परिवर्तन के पहुँचे जाने के लिए बनाया था। इस मुकदमे में निषण वादी के पक्ष में दिया गया और प्रतिवादी को वादी की क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी माना गया।

प्रश्न ११२ —एक होटल के स्वामी ने अपने एक प्राइवेट की रूपयों की चेली बिना किसी स्वार्थ के अमानव में रख ली। जब कि चेली होटल के स्वामी की सुपुर्दगी में वी उसकी असामान्यता से गुम हो गई, प्राइवेट ने होटल के स्वामी के विश्वास त्वारिति का सुकदमा छलाया। होटल के स्वामी ने यह दलील दी कि चेली उसकी अमानव में बिना किसी वदल (Consideration) के रखी गई थी इसलिये वह उसके गुम हो जाने की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

क्या होटल के स्वामी की उपर्युक्त दलील न्यायसंगत है?

उत्तर समस्या —प्रस्तुत मामल में होटल के स्वामी की दलील याय संगत नहीं है। कानून यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी की वस्तु बिना बदल वे अमानव में रखता है तो वह उस वस्तु के साथ गैरकानूनी ढग से विए यए हृत्य (Misfeasance) के लिए उत्तरदायी है। इस सदम में यह स्मरण रहे कि बिना बदल (Without consideration) किसी चीज को अमानव में रखने वाला भी वदल (Consideration) पाने वाले अमोन की तरह ही उत्तरदायी माना जाता है। प्रस्तुत मामल में चेली होटल के स्वामी की असामान्यता के बारण गुप हुई है। अतएव होटल का स्वामी अपने क्षतिप्राप्त प्राइवेट की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

---

## संविदा पर आधारित चक्षिकृत्य

(*TORTS FOUNDED ON CONTRACT*)

प्रश्न ११३—संविदा से स्वतन्त्र (Independent of Contract) और संविदा पर आधारित (Founded on Contract) चक्षिकृत्यों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—संविदा से स्वतन्त्र और संविदा पर आधारित चक्षिकृत्यों में अन्तर—संविदा सम्बंधी चक्षिकृत्य दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो कि संविदा से स्वतन्त्र तथा दूसरे वे जो संविदा के प्राप्तार पर उदित होते हैं। इन दोनों प्रकार के चक्षिकृत्यों में अन्तर निम्नलिखित है—

संविदा से स्वतन्त्र चक्षिकृत्य	संविदा पर आधारित चक्षिकृत्य
१ वादो और प्रतिवादो के बीच किसी प्रकार का कानूनी सम्बंध (privity) नहीं होता।	१ वार्गी और प्रतिवादी में सर्वांदिक सम्बंध (Contractual privity) का हाना अनिवार्य है।
२ इसमें कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य की प्रवहेलना होती है।	२ इसमें पक्षकारों के बीच समझौते के द्वारा निर्धारित कर्तव्य की प्रवहेलना होती है।
३ यह कर्तव्य बिना पक्षकारों की सहमति के कानून द्वारा घाटा है।	३ यह कर्तव्य पक्षकारों की सहमति पर आधारित होता है।
४ चक्षिकूति की घनराहि अनिश्चित (Unliquidated) होती है	४ चक्षिकूति की घनराहि घाम और पर निश्चित (Liquidated) होती है।

प्रश्न ११४—संविदा पर आधारित चक्षिकृत्यों का उदय सामान्यतः किस प्रकार देवा है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर—संविदा पर आधारित चक्षिकृत्यों का उदय—संविदा पर प्राप्तारित चक्षिकृत्यों का—“यदो प्रकार से हो सकता है—एक तो प्रतिवादी की पक्षावधानी और दूसरे प्रतिवादी की घोरेवाजी (Fraud) से।

**प्रतिवादा की असाधारणी** —यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे शृंखला को करने में असाधारणी से काय करे जिसको करने का उसने सविदा किया हो और इस प्रकार वादी को क्षति पहुँचाए तो कहा जायगा कि उसने सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य किया है। चाहाहरणाथ, यदि एक डाक्टर ने किसी व्यक्ति के आपरेशन करने का सविदा किया हो किन्तु उसने आपरेशन करने में असाधारणी से काय किया हो जिससे रोगी को क्षति पहुँची हो तो वह सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य होगा। जो डाक्टर की असाधारणी से उदित हुआ माना जाएगा।

**प्रतिग्रादी की घोषेवाजी** —यदि दो व्यक्ति किसी काय के लिए परस्पर सविदा करें और उनमें से एक व्यक्ति घोषेवाजी करे तथा इस प्रकार दूसरे को क्षति पहुँचे तो घोषेवाजी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वादी को क्षतिपूति का मुकदमा चलाने का अधिकार है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार क क्षतिकृति के लिए वारी को अधिकार रहता है कि वह चाहे तो सविदा के भगाकरण (Breach of Contract) के आधार पर मुकदमा चलाए या क्षतिकृत्य कानून के आतंगत मुकदमा चलाए।

— **प्रश्न ११५** —सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य की कार्रवाई में क्षतिपूर्ति किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

**उत्तर** —क्षतिपूति का निर्धारण —माम तौर पर सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य की कार्रवाई में क्षतिपूति का निर्धारण उसी प्रकार हाना पाहिए जिस प्रकार सविदा भगाकरण की कार्रवाई में किया जाता है। ऐसे मामलों में क्षतिपूति का मापदण्ड (Measure of damage) बही होता है जोकि पशारारों ने सविदा के अतर्गत निर्धारित किया है। इमवा भगाकरण यह है कि ऐसे मामलों में क्षतिपूति दण्ड अपेक्षा उचाहरण के रूप में नहीं, बरन् प्रतिकर (Compensation) के रूप में प्रदान की जाती है।

— **प्रश्न ११६** —सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों के लिए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) किन परिस्थितियों में पैदा होता है ?

**उत्तर** —वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) —निम्नलिखित परिस्थितियों में सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों के निए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent causes of action) पैदा होता है —

(१) ऐसे मामलों में जब कि यह सदैहजनक हो कि संविदा किया गया है अपवा नहीं, अर्थात् वास्तविक रूप से तो संविदा न होने पर कानून के अनुगत संविदा उपलक्षित (Implied) हो और एक ही कृत्य समान रूप से उविदा भगीकरण (Breach of Contract) भी कहा जा सकता हो और क्षतिकृत्य भी माना जा सकता हो ।

(२) जबकि एक व्यक्ति कि हीं पठनायों के अनुगत दूसरे व्यक्ति पर क्षति कृत्य के लिए मुकदमा चला सके और उन्हीं पठनायों के अनुगत किसी तीसरे व्यक्ति पर संविदा भगीकरण के लिए मुकदमा चला सके । ऐसे मामलों में बादी एक होता है और बाद के दो समवर्ती कारण होते हैं ।

(३) जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी कृत्य के लिए जो उसके प्रति क्षतिकृत्य हो तथा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति संविदा भगीकरण हो, मुकदमा चला सके । ऐसे मामलों में प्रतिबादी एक होता है और उसके विश्व बाद व दो समवर्ती कारण होते हैं ।

## व्यापार सम्बन्धी लक्षितकृत्य

(*TORTS RELATING TO BUSINESS*)

प्रश्न ११७ — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन (False statement relating to business) — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन प्रकाशक के ऊपर उस प्रकाशन द्वारा व्यापार को पहुँची लक्षि के लिये क्षतिपूर्ति करने पर ना दायित्व प्राप्त है, भल ही वह प्रकाशन अपमानकारी न हो। मिथ्या सराव (Disparagement) का प्रकाशन हो देपूण भावना का परिचायक है। यदि वह इसी कानूनगत अधिकार से प्रकाशित हुआ है तो उसे प्रकाशित करने में देपूण भावना का अनुमान नहीं दिया जा सकता। यह बात स्मरणीय है कि यदि एक व्यापारी यह विनापन प्रकाशित करता है कि उसकी वस्तुएँ अब व्यापारियों की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मजब्ती है तो उसका यह हत्या अभियोग (Actionable) नहीं होगा। चाहे वह मिथ्या एवं देपूण हो। [द्वाइट प्रति मिलिन (१८६५) ए० सी० १५४]

प्रश्न ११८ — व्यापारिक प्रतियोगिता (Business competition) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर व्यापारिक प्रतियोगिता (Business Competition) — प्रत्येक व्यक्ति जो यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह व्यापार करे। यदि कानून द्वारा स्वीकृत व्यापार करने में वह अपने प्रतिद्वंदी व्यापारियों के साथ होड़ लगाता है, उनके गूल्मियों से इस मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचकर उह बाजार से बाहर कर देता है तो उसका मह कृत्य कानूनी हृत्य कहलाएगा और इस प्रकार प्रतिद्वंदीयों को जो हानि पहुँचेगी, उसका उत्तरदायित्व होड़ लगाने वाले व्यापारी पर कर्तव्य न होगा। इसका कारण यह है कि उचित प्रतियोगिता (Fair Competition) का नाम द्वारा स्वीकृत है और ऐसी प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप इसी जो हानि पहुँच तो हानिकर्ता उस हानि जो पूरा करने के लिए बाध्य नहीं दिया जा सकता, अर्थात् उसका हानिकारक हत्या (Harmful act) अभियोग (Actionable) नहीं होगा। जिन्हें यदि

प्रतियोगिता द्वारा किसी व्यक्ति के कानूनी प्रधिकारों को भग दिया जाए तब हानिकर्ता का कृत्य हानिकारक होने के साथ साथ क्षतिपूण (Wrongful) भी माना जाएगा और वह प्रतियोगिता अनुचित प्रतियोगिता (Unfair competition) कहा जाएगी। ऐसी अनुचित प्रतियोगिता कानून द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतएव ऐसी अनुचित प्रतियोगिता करने वाले के विरुद्ध क्षतिपूण वसूल करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। एक सिद्धांत के रूप में यह बात स्मरणीय है कि अनुचित प्रतियोगिता एक सामाजिक व धार्यक बुराई है किंतु वह कानूनी बुराई तभी मानी जाती है जब उसके द्वारा किसी के कानूनी प्रधिकारों का भगाकरण हो अथवा उसमें छल, घट, क्षतिपूण मिथ्या भागण या मानहानि आदि के तत्व सम्मिलित हो जाए।

**प्रश्न ११६** — क्या सविदा भग करने के लिए प्रेरित करना एक अभियोज्य क्षतिकृत्य है? इस क्षतिकृत्य के तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर — सविदा भग करने के लिए प्रेरित करना — किसी व्यक्ति को सबदा भग करने के लिए प्रेरित करना एक व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य है और अभियोज्य (Actionable) है। इस क्षतिकृत्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) यह कि वादी सवा भाय व्यक्ति के बीच एक कानूनी सविदा विद्यमान था,

(२) यह कि प्रतिवादी ने भाय व्यक्ति को वादी से अपना सविदा भग करने को प्रेरित किया, एव

(३) यह कि इस प्रकार का कृय करने के लिए प्रतिवादी के पास कोई कानूनी घोषित नहीं था।

इस सदभ में यह बात याद रखनी चाहिये कि वादी को इस प्रकार के मुकदमों में विरोध क्षति दिल करना अनिवाय नहीं है।

**प्रश्न १२०** — व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्यों के सदभ में पद्यन्त (Conspiracy) की विवेचना कीजिय।

उत्तर व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य और पद्यन्त — व्यापार करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कानूनी प्रधिकार है कि वे मिलकर एक सम बनाए या साझेशारी पम लोल से और इस प्रकार मिले-जुले प्रयास से व्यापार करें। यदि इस प्रकार मिलकर व्यापार करने से किसी भाय व्यापारी को क्षति पहुँचती है तो कोई व्यक्ति क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूण देने का उत्तरदायी नहीं होता। सेविन ऐमे व्यक्तियों को मिलकर विसी प्रकार ऐसा पद्यन्त रखने का प्रधिकार नहीं है, जिससे वे विसी भाय व्यक्ति को अपने व्यापार में क्षति पहुँचे।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल कर रियो गेर कानूनी कृय के करने के